

<u>विषय</u>	पृष्ठ
1 परिभाषा और व्याख्या.....	3
1.1 परिभाषाएँ .....	3
1.2 व्याख्या .....	8
2 परियोजना का प्रयोजन.....	11
2.1 परियोजना का प्रयोजन .....	11
3 रियायत अनुदान .....	12
3.1 छूट .....	12
3.2 अधिकारों की मान्यता .....	12
3.3 रियायत शुल्क .....	13
4 पूर्ववर्ती परिस्थिति.....	15
4.1 परियोजना के लिए शर्तें .....	15
4.2 संतोषप्रद स्थितियों के लिए बाध्यताएँ .....	15
4.3 शर्तों को पूरा न करने की मिसाल .....	15
4.4 प्रभावी तिथि .....	16
5 भारत सरकार के दायित्व .....	17
5.1 भारत सरकार के दायित्व .....	17
5.2 विशिष्टता .....	17
5.3 समतुल्य आचरण.....	17
5.4 समर्थन .....	18
5.5 मौजूदा हवाईअड्डे .....	18
6 अभ्यावेदन और आश्वासन .....	20
6.1 अभ्यावेदन और आश्वासन .....	20
6.2 बंद करना .....	21
6.3 स्वीकृति .....	21
6.4 अस्वीकरण .....	21
7 हवाई अड्डे का निर्माण .....	24
7.1 मास्टर प्लान.....	24
7.2 निर्माण और विस्तार .....	24
7.3 स्वतंत्र अभियंता .....	24
7.4 साइट और सामग्री .....	24
7.5 हवाईअड्डे का उदघाटन.....	25
7.6 लाइसेंस .....	25
7.7 कमीशनिंग .....	26
8 प्रचालन और रखरखाव .....	27
8.1 हवाईअड्डा प्रचालन और रखरखाव .....	27
8.2 संयुक्त समन्वय समिति .....	27
8.3 आरक्षित गतिविधियाँ .....	27
8.4 सीमा शुल्क, प्रवासन और संगरोध .....	27

8.5 सुरक्षा .....	28
8.6 मौसम सेवा .....	29
8.7 वीआईपी लाउंज .....	29
8.8 मानक .....	30
8.9 हवाईअड्डा व्यापार का प्रबंधन .....	30
8.10 सामान्य दायित्व .....	30
8.11 स्लॉट .....	30
8.12 अ-भेदभाव .....	30
8.13 प्रचालन में व्यवधान .....	30
8.14 निर्माण या प्रचालन में रुकावट .....	31
8.15 द्विपक्षीय .....	31
8.16 दिन और रात के समय के प्रचालन .....	31
8.17 कर्मचारियों के लिए प्रवेश .....	31
9 प्रचालन और रखरखाव की निगरानी .....	32
9.1 कार्य-निष्पादन मानक.....	32
9.2 कार्य-निष्पादन मानकों की निगरानी .....	32
9.3 अभिलेख .....	33
10 प्रभार .....	35
10.1 आरोप लगाने के अधिकार वाले पक्ष .....	35
10.2 हवाईअड्डा शुल्क .....	35
10.3 अन्य शुल्क.....	35
10.4 कर का भुगतान .....	36
11 बीमा का रखरखाव .....	37
11.1 रियायत अवधि के दौरान बीमा .....	37
11.2 नीतियाँ .....	37
11.3 बीमा करने में विफलता के उपाय .....	37
11.4 बीमा कार्यवाही के आवेदन .....	37
12 लेखा और लेखा परीक्षा .....	38
13 अप्रत्याशित घटना और समापन .....	40
13.1 अप्रत्याशित घटना .....	40
13.2 अप्रत्याशित घटना के परिणाम .....	40
13.3 डिफ़ाल्ट.....	40
13.4 डिफ़ाल्ट के परिणाम .....	42
13.5 हवाईअड्डे का स्थानांतरण .....	42
13.6 पूर्व-समाप्ति के दायित्व .....	43
13.7 अवधि .....	44
13.8 समाप्ति के अन्य अधिकार .....	45
13.9 उत्तरजीविता .....	45
13.10 निलंबन .....	45

14 नियत कार्य और सुरक्षा .....	47
14.1 नियत कार्य और सुरक्षा .....	47
15 दायित्व और क्षतिपूर्ति .....	48
15.1 बायल देयता .....	48
15.2 कानूनी कार्यवाही से संबंधित जानकारी का आदान-प्रदान .....	48
15.3 जानकारी.....	48
15.4 भारत सरकार द्वारा देय क्षतिपूर्ति.....	48
15.5 कानून में बदलाव.....	49
15.6 अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि.....	49
15.7 उत्तरदायित्व .....	49
15.8 शमन .....	49
16 विवाद समाधान .....	50
16.1 बातचीत और सुलह .....	50
16.2 न्यायकर्ता का संदर्भ .....	50
16.3 विविध .....	50
16.4 निर्णय / पुरस्कार .....	50
17 लोक शिकायतों का निवारण .....	51
17.1 शिकायत रजिस्टर .....	51
17.2 शिकायतों का निवारण .....	51
17.3 आरक्षित गतिविधियाँ .....	51
18 विविध.....	52
18.1 उपाय,अधित्याग, संशोधन और सहमति.....	52
18.2 संशोधन, अधित्याग और सहमति.....	52
18.3 संपूर्ण अनुबंध.....	53
18.4 भावी आश्वासन.....	53
18.5 आंशिक अवाप्ति.....	53
18.6 कोई भागीदारी नहीं.....	53
18.7 समय मूल तत्व है.....	54
18.8 समय गणना.....	54
18.9 नोटिस.....	54
18.10 अनुमानित वितरण.....	55
18.11 शासी भाषा.....	55
18.12 शासी कानून.....	55
18.13 संप्रभुता प्रतिरक्षा.....	55
18.14 डिफॉल्ट ब्याज.....	55
अनुसूची 1 मंजूरी.....	57
अनुसूची 2 हवाई अड्डे के प्रारंभिक चरण का विवरण.....	59
अनुसूची 3 भाग 1 - हवाई अड्डा गतिविधियाँ.....	64
अनुसूची 4 अप्रत्याशित घटना की परिभाषा.....	67

अनुसूची 5 भारत सरकार के प्रत्यक्ष समझौते का प्रपत्र.....	69
अनुसूची 6 विनियमित शुल्क.....	72
अनुसूची 7 निपटान राशि.....	74
अनुसूची 8 आरक्षित गतिविधियाँ (बायल द्वारा प्रदान की गई जगह).....	76
अनुसूची 9 भाग 1 - विनिर्देश.....	77
अनुसूची 10 पूर्णता प्रमाणपत्र.....	87
अनुसूची 11 बीमा.....	88
अनुसूची 12 कर लाभ.....	89
संलग्नक 1.....	90

यह अनुबंध 5 जुलाई, 2004 को नई दिल्ली में निम्नलिखित के बीच किया गया:

- (1) भारत के राष्ट्रपति, सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से क्रियाशील हैं (इस के पश्चात "भारत सरकार (जीओआई)" के रूप में उल्लिखित किया जाएगा और इस अभिव्यक्ति में इनके परवर्ती और नियत सभी शामिल होंगे); और
- (2) बेंगलूर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड, वह कंपनी जिस पर इंडियन कंपनी एक्ट, 1956 के अंतर्गत सीमित उत्तरदायित्व है और इसका पंजीकृत कार्यालय 36, कनिघम रोड, बेंगलूर - 560052, भारत है (इसके पश्चात "बायल" के रूप में उल्लिखित किया जाएगा और इस अभिव्यक्ति में इनके परवर्ती और अनुमत नियत सभी शामिल होंगे)।

#### जबकि

(क) बायल की स्थापना कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स जीएमबीएच, फुगफेन ज्यूरिख एजी और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की भागीदारी के साथ की गई है, जिनमें से प्रत्येक शेयरधारक के रूप में भाग लेने और कर्नाटक राज्य में बेंगलूर के पास, देवनहल्ली में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास, डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, पूर्णता, रखरखाव, संचालन और प्रबंधन के लिए के लिए सहमत हुए हैं ।

(ख) पार्टियां, इस तथ्य को मान्यता देती हैं और स्वीकार करती हैं कि हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे और नागरिक विमानन के मामलों में विमानन क्षेत्र के लिए रूपरेखा निर्धारित करने में जीओआई की प्रमुख भूमिका और जिम्मेदारी होनी चाहिए।

(ग) सार्वजनिक / निजी क्षेत्र के दृष्टिकोण के माध्यम से की जा रही एक परियोजना के संदर्भ में, यह महत्वपूर्ण है कि इस तरह की परियोजना को लागू करने वाले नियमों और शर्तों को निर्धारित किया जाए और इसलिए इसके नियम और शर्तों पर ध्यान देने के लिए पार्टियाँ इस रियायत समझौते में भागीदार हैं।

अब इस बात पर निम्न तरह से सहमति है:

## अनुच्छेद 1

### 1 परिभाषाएँ और व्याख्या

#### 1.1 परिभाषाएं

इस अनुबंध में, इस सीमा को छोड़कर अन्यथा संदर्भ की आवश्यकता है:

"एएआई" का तात्पर्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है।

"एएआई अधिनियम" का अर्थ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 है।

"एयरपोर्ट एक्टिविटीज़" का अर्थ है, अनुसूची 3, भाग 1 में निर्धारित की गई गतिविधियों के अनुसार, हवाईअड्डे के संबंध में, समय-समय पर संशोधित, आईसीएओ के दिशानिर्देशों के अनुसार, बशर्ते कि कोई भी ऐसी गतिविधियाँ जो भौतिक रूप से उन जैसी न हों। अनुसूची 3 में विचार किया गया, भाग 1 को दलों के आपसी समझौते की आवश्यकता होगी।

"प्रभावित पक्ष" का अर्थ अनुच्छेद 13.1 में दिये अनुसार होगा।

"हवाई अड्डा" का अर्थ है ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसमें कर्नाटक राज्य में बेंगलोर के पास देवनहल्ली में बायल द्वारा निर्मित और संचालित प्रारंभिक चरण और इसमें अपने सभी भवनों, उपकरणों, सुविधाओं और प्रणालियों को शामिल किया गया है और जहां परिस्थितियों की अपेक्षा और मास्टर प्लान के अनुसार उसके विस्तार के रूप में इसके साथ अनुलग्नक -1 के रूप में दिया गया है।

"हवाईअड्डा प्रभार" का अर्थ है:

- (i) हवाईअड्डे की गतिविधियों के भीतर शामिल सुविधाओं और सेवाओं के उपयोग या प्रावधान के संबंध में बायल द्वारा प्रभारित या आरोपित राशि;
- (ii) बायल द्वारा हवाईअड्डे से या पर, उस पर, यात्री और कार्गो मूवमेंट या विमान यातायात के संबंध में प्रभारित या आरोपित राशि; तथा

(iii) इस अनुबंध द्वारा हवाईअड्डा प्रभार के रूप में समझी जाने वाली कोई अन्य राशि और इसके अतिरिक्त जीओआई, जीओके या एएआई की ओर से बायल द्वारा एकत्र की जाने वाली कोई भी राशि शामिल है।

"एयरपोर्ट ओपनिंग" का अर्थ है प्रारंभिक चरण के वाणिज्यिक प्रचालन की शुरुआत।

"एयरपोर्ट ओपनिंग डेट" का अर्थ उस तारीख से है जिस पर एयरपोर्ट का उद्घाटन होता है।

"एयरपोर्ट ओपनिंग टारगेट डेट" का अर्थ है वित्तीय समापन के तुरंत बाद तैंतीस (33) महीने में आने वाली तारीख।

"लागू कानून" का अर्थ है, सभी कानून, जो जीओआई या राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए हैं, जिनमें नियम, विनियम और अधिसूचनाएं शामिल हैं, जिनमें कोई भी न्यायालय के रिकॉर्ड, आदेश, निषेधाज्ञा, लेखन और आदेश शामिल हैं, जो भी इस समझौते के निर्वाह के दौरान लागू और प्रभावी हो।

"अनुमोदन" का अर्थ है सभी प्राधिकरण, सहमति, अनुमोदन, सूचनाएं और अनुमतियाँ और कोई भी लाइसेंस, परमिट, सत्तारूढ़, छूट या किसी भी अन्य प्रकृति का प्राधिकरण, जो किसी भी पंजीकरण या दाखिल करने के लिए आवश्यक है, लागू होने वाले कानून के लिए किसी भी प्राधिकरण द्वारा या इस समझौते के संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी दायित्व के प्रदर्शन या व्यायाम के लिए लेकिन एक निकासी को छोड़कर।

"बीसीएस" का अर्थ है नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो।

"बायल" का अर्थ है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड।

"बायल डिफॉल्ट इवेंट" का अर्थ अनुच्छेद 13.3.1 में दिया गया है।

"कानून में परिवर्तन" का अर्थ है, निम्नलिखित में से किसी भी घटना (जीओके के किसी भी कानून के संबंध में, किसी भी कर कानून के अलावा (उन लोगों को छोड़कर, जो बायल और / या हवाई अड्डे के अनुवर्ती नीतिगत नीति से जुड़े किसी कर लाभ से संबंधित हैं और इस समझौते की तारीख के बाद अनुसूची 12 में) या किसी भी पर्यावरण कानून या श्रम कानून के अनुसार विशेष रूप से निर्धारित किया गया है:

- (i) किसी मौजूदा भारतीय कानून या किसी नए भारतीय कानून में आशोधन, संशोधन, परिवर्तन, प्रत्यावर्तन या निरसन;
- (ii) किसी भी भारतीय कानून की शुरुआत, जो अभी तक उस सीमा तक लागू नहीं हुई है, जहां तक कि इस तरह का भारतीय कानून उस तारीख से पहले की तारीख से पहले लागू किया गया था, उसके बाद की तारीख और उसके बाद ऐसा भारतीय कानून उस प्रारंभ तिथि के बिना प्रभावी होता है कोई भी सामग्री संशोधन या भारत के सर्वोच्च न्यायालय या भारत सरकार द्वारा किसी भारतीय कानून की व्याख्या, आवेदन या प्रवर्तन में परिवर्तन;
- (iii) किसी भी क्लियरेंस की तारीख के बाद इस तरह के क्लियरेंस या किसी भी नई सामग्री के नियम या शर्तों या इस तरह के क्लियरेंस को संलग्न करने के लिए नियम या शर्तों में एक सामग्री परिवर्तन पूरी तरह से और प्रभाव और प्रभाव में रहने के लिए।

बशर्ते कि एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण का निर्माण या परिचय (संबंध में नियमों और विनियमों का निर्धारण या इसके अलावा, लेकिन, संदेह से बचने के लिए, किसी भी संशोधन को शामिल नहीं करेगा और / या विनियमित प्रभार से संबंधित सभी परिवर्तनों पर अधिकार क्षेत्र होगा) प्रमुख हवाईअड्डे कानून में बदलाव का गठन नहीं करेंगे।

"शिकागो कन्वेंशन" का अर्थ है शिकागो कन्वेंशन 1944, जैसा कि समय-समय पर संशोधित और / या पूरक है; और शिकागो कन्वेंशन के लिए एक "अनुलग्नक" के संदर्भ में इस तरह के अनुलग्नक का मतलब संशोधित और / या समय-समय पर पूरक होगा।

"क्लीयरेंस" का अर्थ है लिखित सहमति, लाइसेंस, अनुमोदन, परमिट, सत्तारूढ़, छूट, अनापत्ति प्रमाण पत्र या अन्य प्राधिकरण या जो भी प्रकृति से प्राप्त करने की आवश्यकता है और / और समय-समय पर जीओआई द्वारा आवश्यक के संबंध में आवश्यक है। परियोजना, अनुसूची 1 में संलग्न उन लोगों सहित।

"सीएनएस / एटीएम समझौता" का अर्थ है कि संचार नेविगेशन निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन सेवाओं के एएआई द्वारा बायल को प्रावधान के संबंध में बायल और एएआई के बीच समझौता या प्रवेश किया जाना।

"रियायत शुल्क" का अर्थ अनुच्छेद 3.3 में दिया गया है।

"ऋण" का अर्थ है परियोजना के लिए वित्तीय समझौतों के तहत बायल के ऋणदाताओं के कारण बकाया ऋण।

"स्थगित भुगतान" का अर्थ अनुच्छेद 3.3 में दिया गया है।

"डीजीसीए" का अर्थ है, नागरिक विमानन महानिदेशालय, भारत सरकार।

"डोमेस्टिक एयरपोर्ट" का अर्थ है वह हवाईअड्डा, जो उद्गम स्थान से किसी संबंधित हवाईअड्डे के लिए वाणिज्यिक रूप से प्रचालित उड़ान की सेवा प्रदान करता है, अथवा संबंधित हवाईअड्डे से गंतव्य स्थान तक उड़ान भरता है, और दोनों ही स्थान भारत के अंदर स्थित हैं।

"प्रभावी तिथि" का अर्थ अनुच्छेद 4.4 में निर्धारित किया गया है।

"मौजूदा हवाईअड्डा" का अर्थ है बेंगलोर में मौजूदा हवाई अड्डा, जिसे विमलापुर, बेंगलोर में स्थित एचएएल हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है।

"विस्तार" का अर्थ है समय-समय पर मास्टर प्लान के अनुसार हवाईअड्डे पर सुविधाओं का विस्तार अनुलग्नक -1।

"फाइनेंशियल क्लोज़" का अर्थ उस तारीख से है, जिस दिन वित्त पोषण समझौते (प्रारंभिक चरण के विकास और निर्माण से संबंधित हैं) को सभी पक्षों द्वारा निष्पादित और वितरित किया गया है, और उनके अंतर्गत पूर्ववर्ती शर्तों को इस हद तक पूरा किया जा सकता है जैसा कि हो सकता है बायल को अनुमति देने, तत्काल पहुंच के लिए आवश्यक हो, इसके लिए आवश्यक ड्राडाउन के नोटिस देने के अलावा, बायल द्वारा आवश्यक वित्तपोषण के लिए।

"वित्तीय वर्ष" का अर्थ अनुच्छेद 3.3 में दिया गया है।

"फाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स" का अर्थ है, उधारकर्ताओं के साथ बायल के समझौतों में से कोई भी ऋण बायल को उपलब्ध कराने के लिए है और (ii) सुरक्षा दस्तावेजों, प्रत्यक्ष समझौतों और उपर्युक्त (i) में उद्धृत उधारदाताओं के पक्ष में अन्य सहायक उपक्रमों में निर्दिष्ट समझौतों के लिए आवश्यक है।

"फोर्स मेज्योर" का अर्थ अनुसूची 4 में निर्धारित है।

"जनरल एविएशन सर्विसेज" का अर्थ है वाणिज्यिक हवाई परिवहन प्रचालन के अतिरिक्त एक विमान प्रचालन।

"भारत सरकार" का अर्थ है, नागरिक मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण और निर्देशन में भारत सरकार और उसकी कोई भी विधिवत अधिकृत एजेंसी, प्राधिकरण, विभाग, निरीक्षक, मंत्रालय या व्यक्ति (स्वायत्त या नहीं)।

"जीओआई डिफ़ॉल्ट इवेंट" का अर्थ अनुच्छेद 13.3.3 में दिया गया है।

"जीओके" का अर्थ कर्नाटक सरकार और उसकी कोई भी विधिवत अधिकृत एजेंसी, प्राधिकरण, विभाग, इंस्पेक्टर, मंत्री, मंत्रालय या व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या न हो) है, जो जीओके के प्रत्यक्ष नियंत्रण और दिशा के अधीन हो।

"गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिस" का मतलब है कि कौशल, परिश्रम और समझदारी की उस डिग्री का अभ्यास जो यथोचित और सामान्य रूप से एक कुशल और अनुभवी ऑपरेटर से एक ही प्रकार के उपक्रम में लगे और (बायल के मामले में) आम तौर पर अपनाए जाने वाले मानकों को लागू करने से अपेक्षित होगा। हवाई अड्डे के निर्माण में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा संचालकों द्वारा हवाई अड्डे के संचालन और रखरखाव में आम तौर पर इस तरह की उपयोगिताओं (संचालन कर्मियों के नियोजन की शर्तों और शर्तों को छोड़कर) का पालन किया जाता है, और किसी भी लागू कानून के परस्पर विरोधी को छोड़कर या सीएनएस / एटीएम समझौते के एएआई द्वारा संचालित या बनाए रखा जाने वाले सिस्टम और उपकरणों के निर्माण, संचालन और रखरखाव।

"सकल राजस्व" का अर्थ अनुच्छेद 3.3 में दिया गया है।

"आईसीएओ" का अर्थ है शिकागो कन्वेंशन या उसके बाद किसी भी उत्तराधिकारी द्वारा गठित अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन।

"आईसीएओ नीतियों" का अर्थ है "हवाईअड्डों और एयर नेविगेशन सर्विसेज के लिए प्रभार के विषय में आईसीएओ नीतियों" के अंतर्गत आईसीएओ परिषद का पहला वक्तव्य जिसे आईसीएओ परिषद ने अपने 136 वें सत्र की 14 वीं बैठक में 22 जून 1992 को अपनाया था और तदनंतर 8 दिसंबर 2000

को 161 वें सत्र की 18 वीं बैठक में उसमें संशोधन किया गया था, और जिसे समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार आईसीएओ दस्तावेज़ 9082/6 के रूप में प्रकाशित किया गया है।

**"स्वतंत्र सलाहकार"** का अर्थ है ओएमएसए की शर्तों के अनुसार नियुक्त किया गया स्वतंत्र सलाहकार, जैसा कि वित्त पोषण समझौतों की शर्तों के अनुसार ऋणदाताओं द्वारा अनुमोदित या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है (जिसका अनुमोदन अनुचित रूप से लंबित या विलंबित नहीं होगा)।

**"इंडिपेंडेंट इंजीनियर"** का अर्थ है फाइनेंसिंग अनुबंधों की शर्तों के तहत उधारदाताओं द्वारा नियुक्त किया गया स्वतंत्र इंजीनियर।

**"इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी"** या **"आईआरए"** का तात्पर्य एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी या हवाईअड्डा गतिविधियों के किसी भी पहलू को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया अन्य नियामक प्राधिकरण है, जिसे (i) कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किया गया है बशर्ते कि आईआरए का कामकाज भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं है अथवा (ii) संसद के अधिनियम या अध्यादेश या उनके अंतर्गत किसी भी नियम द्वारा स्थापित किया गया है।

**"इंडेक्स"** का अर्थ है, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित "थोक मूल्य सूचकांक" के सूचकांक मूल्य के संदर्भ में प्रासंगिक राशि का समायोजन और ऐसे सूचकांक को शामिल करने वाला कोई भी सूचकांक, और अनुक्रमित के संदर्भ में कोई भी संदर्भ शामिल नहीं करेगा, जब तक कि अन्यथा संदर्भ की आवश्यकता है, पूर्ववर्ती महीने के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए थोक मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए समायोजन के संदर्भ में माना जाना चाहिए।

**"प्रारंभिक चरण"** का अर्थ है अनुसूची 2 में वर्णित सुविधाओं के डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, पूर्णता और कमीशनिंग।

**"अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा"** का अर्थ वह हवाईअड्डा है जिससे एक वाणिज्यिक रूप से प्रचलित विमान भारत के बाहर मूल स्थान से भारत में एक प्रासंगिक हवाईअड्डे तक उड़ान भरता है अथवा भारत में किसी प्रासंगिक हवाईअड्डे से भारत के बाहर किसी गंतव्य पर उड़ान भरने वाला ।

**"लैंड लीज एग्रीमेंट"** का अर्थ है शुरुआत करने वाले दस्तावेज़ और / या उपकरण जिनके अनुसार कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, बायल को उस स्थान पर लीज़होल्ड अधिकार और हितों को मंजूरी देगा।

**"उधारदाताओं"** का अर्थ है बैंक, वित्तीय संस्थान, एनबीएफसी और इसी तरह के निकाय जिनसे प्रारंभिक चरण और अन्य विस्तार हेतु वित्तपोषण के लिए वित्त पोषण समझौतों के तहत देय राशि बकाया हो (जो इन उद्देश्यों के लिए किसी भी पुनर्वित्त में शामिल होंगे)।

**"प्रमुख हवाईअड्डा"** का अर्थ है कोई भी हवाईअड्डा, जिसकी प्रवाह क्षमता डेढ़ (1.5) मिलियन से अधिक वार्षिक यात्री है।

**"मास्टर प्लान"** का अर्थ है बायल द्वारा तैयार मास्टर प्लान जो यहाँ संलग्नक 1 के रूप में उपलब्ध है।

**"नॉन-एयरपोर्ट एक्टिविटीज़"** का अर्थ है, अनुसूची 3, भाग 2 में हवाईअड्डे के संबंध में निर्धारित सेवाओं के प्रावधान।

**"ओएमएसए"** का अर्थ है बायल और फुगफेन ज्यूरिख एजी के बीच का ऑपरेशन प्रबंधन सेवा समझौता।

"पार्टी" का अर्थ भारत सरकार अथवा बायल (जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता हो सकती है) और इस समझौते के संदर्भ में उसके क्रमानुयायी और अनुमत निर्धारक है और तदनुसार "पार्टियों" का अर्थ समझा जाएगा।

"व्यक्ति" में (और जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता होती है) कोई भी प्राकृतिक और / या न्यायिक इकाई (जीओआई या जीओके सहित) शामिल हैं।

"प्राइवेट प्रमोटर्स" का अर्थ है सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स जीएमबीएच, फ्लगफेन ज्यूरिख एजी और लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, और समय-समय पर इस तरह की अन्य पार्टी जो शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट के लिए सहमत हैं।

"प्रोजेक्ट" का अर्थ हवाई अड्डे के डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, पूर्णता, कमीशन, रखरखाव, संचालन, प्रबंधन और विकास से है।

"संदर्भ तिथि" का अर्थ अनुच्छेद 3.3 में दिया गया अर्थ होगा।

"विनियमित शुल्क" को अनुच्छेद 10.2.1 में परिभाषित किया गया है।

"प्रासंगिक प्राधिकारी" में भारत सरकार, भाविप्रा, डीजीसीए, बीसीएएस, गृह मंत्रालय के अप्रवासन विभाग, वित्त मंत्रालय के सीमा शुल्क विभाग या अन्य कोई उपखंड या साधन या लागू कानून द्वारा सशक्त कोई अन्य प्राधिकरण शामिल है।

"आरक्षित गतिविधियाँ" का अर्थ उन कार्यों और गतिविधियों से है, जिन्हें किसी भी प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे पर किया जाना है और जिसमें लेख 8.4, 8.5 और 8.6 पर शामिल किए गए हैं।

"सुरक्षा" में कोई भी बंधक, प्रतिज्ञा, ग्रहणाधिकार, सुरक्षा ब्याज या अन्य प्रभार अथवा ऋणभार और किसी भी अन्य समझौते या व्यवस्था में काफी हद तक समान आर्थिक प्रभाव शामिल हैं।

"सेवा प्रदाता अधिकार" का अर्थ है अनुच्छेद 3.2.2 के अनुसार बायल द्वारा या किसी भी अन्य सेवा प्रदाता अधिकार धारक द्वारा दिए गए कोई भी विशेषाधिकार, अधिकार, मताधिकार, पट्टे या अन्य अधिकार अथवा उप-अधिकार।

"सेवा प्रदाता राइट होल्डर" का अर्थ है किसी भी सेवा प्रदाता के लिए समय-समय ।

"निपटान राशि" का अर्थ अनुसूची 7 के अनुसार गणना की गई राशि है।

"शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट" का मतलब कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भाविप्रा, सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स जीएमबीएच, फ्लगफेन ज्यूरिख एजी और लार्सन एंड टर्बो ,और बायल के बीच 23 जनवरी 2002 को हुआ समझौता है।

"साइट" का अर्थ उस भूमि से है जिसमें बायल के पास लीज समझौते के अनुसार लीजहोल्ड ब्याज पर लगभग 4300 एकड़ क्षेत्र के माप की भूमि उपलब्ध है या होगी, जिस पर हवाईअड्डे का निर्माण किया जाना है।

"स्पेसिफिकेशंस" का मतलब है कि एयरपोर्ट के निर्माण हेतु शेड्यूल 9 के भाग 1 में दिए गए विवरण।

"मानक" का अर्थ है, हवाईअड्डे के प्रचालन और रखरखाव के लिए प्रदर्शन मानक जो अनुसूची 9 के भाग 2 में निर्धारित किए गए हैं।

"स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट" का अर्थ है जीओके और बायल के बीच हस्ताक्षरित अथवा हस्ताक्षर के लिए प्रतीक्षित अनुबंध।

"कर" या "कर" का अर्थ किसी भी और सभी करों, चंदा,आयात कर, शुल्क, प्रभार, कटौती या रोक से है, जो लगाए गए, वसूले गए, एकत्र किए गए, हटाए गए या आकलन किए गए हों, साथ में कोई भी तथा सभी ब्याज , दंड, दावे या अन्य देयताएं जो इसके अंतर्गत या संबंधित हैं भी शामिल हैं।

"समाप्ति राशि" का अर्थ है अनुच्छेद 13.4.1 के अनुसार गणना की गई राशि।

"ट्रांसफर डेट" वह तारीख होगी, जिस दिन बायल कानूनी और लाभकारी स्वामित्व को हस्तांतरित करता है और अनुच्छेद 13.5 के अनुसार, भारत सरकार या उसके नामितियों को हवाईअड्डे का स्वामित्व देता है।

"उपयोगकर्ता विकास शुल्क" का अर्थ है यात्रियों से सुविधाओं, सेवाओं और सुविधाओं के प्रावधान के लिए यात्रियों से एकत्रित किए जाने वाला शुल्क जो हवाईअड्डे पर सुविधाओं के विकास, प्रबंधन, रखरखाव, संचालन और विस्तार के लिए उपयोग किया जाएगा।

"विलफुल डिफॉल्ट" का अर्थ इस अनुबंध के तहत किसी भी पक्ष द्वारा अपने किसी भी दायित्व का जानबूझकर या लापरवाह उल्लंघन या अवहेलना है, लेकिन निर्णय की त्रुटि अथवा त्रुटि के कारण होने वाले उल्लंघन को रोकने के लिए एक दायित्व या विफलता का उल्लंघन या अवहेलना नहीं है सद्भाव में या अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता से।

"वर्क्स" का अर्थ है, आरंभिक चरण और / या किसी भी प्रकार के विस्तार हेतु डिजाइन, निर्माण, पूर्णता, कमीशनिंग और / या विकास के संबंध में या उसके संबंध में किए गए या निष्पादित किए जाने या निष्पादित होने के लिए आवश्यक कार्य।

## 1.2 व्याख्या

इस समझौते में, इस सीमा को छोड़कर कि संदर्भ की आवश्यकता होती है:

1.2.1 संसद के अधिनियम या किसी भी धारा का, या अनुसूची, या संसद के अधिनियम के अन्य प्रावधान का कोई संदर्भ, किसी विशेष संशोधन के संदर्भ में, किसी विशेष संशोधन के रूप में, उस समय, माना जाएगा। तत्पश्चात बल में और सभी नियमों, आदेशों या विनियमों को तब लागू किया जाता है और संबंधित अधिनियम या प्रावधान से वैधता के तहत या प्राप्त किया जाता है;

1.2.2 "निर्णय" से संदर्भ भारतीय क्षेत्राधिकार में कोई भी आदेश, निषेधाज्ञा, दृढ़ संकल्प, डिक्री या अन्य न्यायिक या मध्यस्थ न्यायाधिकरण शामिल है जो अंतिम और बाध्यकारी है;

1.2.3 "कानून" से संदर्भ में सामान्य कानून, भारत का संविधान और कोई भी निर्णय, निर्णय, कानून, निर्देश, आदेश, अध्यादेश, विनियमन, कानून, कानून, अधिसूचना, परिपत्र, दिशानिर्देश, नियम, वैधानिक उपकरण शामिल हैं या अन्य विधायी उपाय, जिसके साथ बायल को कानून का पालन करना आवश्यक है (और "वैध" और "गैरकानूनी" उसी के अनुसार लगाया जाएगा);

1.2.4 एकवचन संदर्भों में बहुवचन और इसके उल्टे क्रम में संदर्भ शामिल होंगे;

1.2.5 "दिन" से संदर्भ एक कैलेंडर दिन है;

1.2.6 किसी विशेष आर्टिकल, अनुच्छेद, उप-अनुच्छेद, अनुसूची या अनुलग्नक के संदर्भ, जहां संदर्भ की आवश्यकता होती है, को छोड़कर उस अनुच्छेद, पैराग्राफ, उप-पैराग्राफ, अनुसूची या इस समझौते में या संलग्न करने का संदर्भ;

1.2.7 शीर्षकों को सुविधा के लिए शामिल किया गया है और निर्माण के उद्देश्य से इसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

1.2.8 यहां अनुसूचियों में परिभाषित शब्दों के अर्थ इस करार में अनुसूचियों में कहीं और प्रयोग होने पर भी यही अर्थ होगा।

1.2.9 इस करार की अनुसूचियां इस करार का भाग हैं और ये पूर्ण बल तथा प्रभाव प्राप्त हैं जैसा कि ये इस करार की बॉडी में अभिव्यक्त किए गए थे।

1.2.10 किसी भी विवरण के किसी करार, डीड, इंस्ट्रूमेंट, लाइसेंस कोड या अन्य दस्तावेज का कोई भी संदर्भ एक विशिष्ट समय में उस करार, डीड, इंस्ट्रूमेंट, लाइसेंस कोड या अन्य दस्तावेज के संबंध में

सृजित किया जाएगा जैसा कि उसे संशोधित, विविध, एप्लीमेंटेड, आशोधित, लंबित या नोवेटेड किया गया हो।

1.2.11 शब्द "लिखित" तथा "लिखित में" में प्रतिकृति ट्रांसमिशन या प्रसारण की पुष्टि सहित सुस्पष्ट तथा स्थाई रूप से दृश्य रूप में पुनःप्रस्तुत शब्द का कोई अर्थ शामिल होगा.;

1.2.12 शब्द "शामिल तथा सहित" को बिना सीमाओं के सृजित किया जाएगा।

1.2.13 अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों के बीच किसी प्रकार की स्पष्टता या विसंगति के मामले में अनुच्छेद संगत माने जाएंगे।

## अनुच्छेद 2

### 2 परियोजना का कार्यक्षेत्र

#### 2.1 परियोजना का कार्यक्षेत्र

परियोजना का कार्यक्षेत्र ("परियोजना के कार्यक्षेत्र ") से अभिप्राय है:

2.1.1 इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार स्थान पर हवाईअड्डे का निर्माण एवं विकास

2.1.2 इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार हवाईअड्डे का प्रचालन एवं अनुरक्षण और हवाईअड्डा गतिविधियों तथा गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों का निष्पादन; और

2.1.3 इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार बायल का प्रदर्शन तथा सभी अन्य आबंधों का निर्वाह ।

## अनुच्छेद 3

### 3 रियायत अनुदान

#### 3.1 रियायत

**3.1.1** इस अनुबंध और लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार हवाईअड्डे के विकास, डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, कमीशन, रखरखाव, संचालन और प्रबंधन को पूरा करने का विशेष अधिकार प्रदान करती है। (आरक्षित गतिविधियों को पूरा करने और संचार और नेविगेशन निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के अधिकार को छोड़कर जो एएआई द्वारा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है)।

**3.1.2** इस अनुबंध के आर्टिकल 3.1.1 द्वारा बीआईएल, भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद को दी गई रियायत को स्वीकार करता है

#### 3.2 अधिकारों की मान्यता

**3.2.1** लागू कानूनों और इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार यह मानती है कि बायल निम्नलिखित गतिविधियाँ कर सकता है:

(i) अनुच्छेद 3.1 में उल्लिखित गतिविधियों के लिए कोई भी गतिविधि या व्यवसाय या सहायक जिसे बायल द्वारा वांछित या उपयुक्त माना जाता है या जो इस संयोजन के साथ जुड़ा हुआ है (अनुच्छेद 3.1 में संदर्भित गतिविधियों के संदर्भ में कोई भी बुनियादी ढाँचा सेवा जिसे बायल द्वारा यथोचित आवश्यक माना गया हो); तथा

(ii) हवाई अड्डे पर विमान, यात्रियों, सामान, कार्गो और / या मेल के आगमन, प्रस्थान और / या संभालने से संबंधित कोई भी गतिविधि या व्यवसाय; तथा

(iii) स्थान के विकास अथवा हवाईअड्डे के प्रचालन से जुड़ी हुई या संबन्धित कोई भी गतिविधि या व्यापार अथवा राजस्व उत्पन्न करने के लिए वाणिज्यिक उपक्रमों यथा होटल, रेस्तरां, सम्मेलन स्थल, बैठक सुविधा, व्यापार केंद्र, व्यापार मेलों, अचल संपत्ति, थीम पार्क, मनोरंजन आर्केड, गोल्फ कोर्स और अन्य खेल और / या मनोरंजन सुविधाएं, बैंक और एक्सचेंज और शॉपिंग मॉल के विकास सहित कोई गतिविधि या व्यवसाय।

**3.2.2** अनुच्छेद 3.2.1 के अनुसार अपने अधिकारों का पालन करने के उद्देश्य से, बायल, इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार, किसी भी समय, (सेवा प्रदाता अधिकार धारकों के उप-अधिकार प्रदान करने के अधिकार सहित) अनुच्छेद 3.2.1 में वर्णित गतिविधियों और व्यवसायों को करने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि बायल निर्धारित कर सकता है, उचित सेवा प्रदाता अधिकार प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि वह इस अनुबंध के दायरे के अधीन हो और इस अनुबंध के नियमों और शर्तों के विपरीत न हो, बशर्ते कि सेवा प्रदाता राइट होल्डर्स ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सुरक्षा मंजूरी से

संबंधित किसी भी लागू कानून के लिए आवश्यक और अपेक्षित सुरक्षा मंजूरी प्राप्त की हो। इस अनुबंध के अंतर्गत, बायल द्वारा सेवा प्रदाता को दिये गए अनुदान के कारण बायल, अपने किसी भी उत्तरदायित्व, कर्तव्य और दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

### 3.3 रियायत शुल्क

### 3.3 रियायत शुल्क

#### 3.3.1 शुल्क

सभी पक्ष इस तथ्य से सहमत हैं कि बायल अनुच्छेद 3.1 के अनुसरण में रियायत के रूप में भारत सरकार द्वारा अनुदान के विचारार्थ इस अनुच्छेद 3.3 (रियायत शुल्क) में विनिर्दिष्ट शर्तों के आधार पर वार्षिक सकल राजस्व के 4% की राशि का शुल्क का भुगतान करेगा।

#### 3.3.2 सकल राजस्व

इस अनुच्छेद 3.3 के उद्देश्यों के लिए, "सकल राजस्व" शब्द से तात्पर्य निम्नलिखित को छोड़कर बायल के सभी कर पूर्व राजस्वों से है : (क) अनुच्छेद 8.4, 8.5 तथा 8.6 के अनुसरण में संगत प्राधिकारियों द्वारा की गई गतिविधियों के लिए बायल द्वारा किए गए भुगतान; (ख) बीमा संबंधी भुगतान; तथा (ग) किसी पूंजीगत परिसंपत्तियों या वस्तुओं की बिक्री से बायल को प्राप्त कोई राशि (घ) विमान दिक्कालन तथा विमान यातायात प्रबंधन सेवाओं के संबंध में प्राप्त भुगतान तथा/या राशियां (ड.) लागू नियमों के अंतर्गत किसी सरकारी प्राधिकरण के लिए तथा की ओर से बायल द्वारा प्राप्त किए गए भुगतान तथा/या राशियां।

#### 3.3.3 भुगतान

रियायत शुल्क हवाईअड्डा आरंभ होने की तिथि को और उसके पश्चात बायल के प्रत्येक वित्तीय वर्ष ("वित्त वर्ष") के संबंध में निर्धारित किया जाएगा। इस अनुच्छेद 3.3.3 में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर एक वित्त वर्ष 01 अप्रैल से आरंभ होगा तथा 31 मार्च को समाप्त होगा। यदि हवाईअड्डा आरंभ होने की तिथि वित्त वर्ष के प्रथम छमाही में है तो प्रथम वित्त वर्ष हवाईअड्डा आरंभ होने की तिथि से आरंभ माना जाएगा और हवाईअड्डा आरंभ होने के पश्चात आने वाली प्रथम 31 मार्च को समाप्त होगा। यदि हवाईअड्डा आरंभ होने की तिथि वित्त वर्ष की दूसरी छमाही आती है तो प्रथम वित्त वर्ष हवाईअड्डा आरंभ होने की तिथि से आरंभ माना जाएगा और हवाईअड्डा आरंभ होने की तिथि के पश्चात आने वाली दूसरी 31 मार्च को समाप्त माना जाएगा।

#### 3.3.4 भुगतान लेखा

रियायत शुल्क रुपये में परिकलित और भुगतान किया जाएगा। बायल से देय प्रत्येक भुगतान को भारत सरकार के पक्ष में या भारत सरकार द्वारा बायल को समय-समय पर लिखित रूप से नामित

ऐसे किसी अन्य खाते के पक्ष में वायर ट्रांसफर या बैंक ड्राफ्ट द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, बंगलौर के खाते में भुगतान किया जाएगा।

### 3.3.5 अनंतिम भुगतान

प्रथम 10 वित्त वर्षों के संबंध में रियायत शुल्क ("आस्थगित भुगतान"), का भुगतान बीस (20) समान अर्द्धवार्षिक किस्तों में किया जाएगा। ऐसी प्रथम किस्त 11वें वित्त वर्ष में 30 जून को देय होगी और भुगतान किया जाएगा तथा ऐसी दूसरी किस्त 31 दिसम्बर ("इनमें से प्रत्येक तिथि संदर्भ तिथि है") को देय होगी तथा भुगतान किया जाएगा और शेष किस्तों का भुगतान इसके पश्चात आने वाली प्रत्येक संदर्भ तिथि पर किया जाएगा।

अनुच्छेद 3.3.3 के मद्देनजर, 11वें वित्त वर्ष तथा प्रत्येक आगामी वित्त वर्ष के संबंध में रियायत शुल्क संदर्भ तिथि को बकाया राशियों के रूप में वार्षिक रूप से देय होंगे।

रियायत शुल्क का परिकलन संगत वित्त वर्ष के लिए बायल के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के संदर्भ द्वारा किया जाएगा। यदि संगत वित्त वर्ष के अंत के पश्चात आने वाली संदर्भ तिथि द्वारा ऐसी कोई लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं होते हैं तो बायल संगत वित्त वर्ष के संबंध में अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर भारत सरकार को अनंतिम भुगतान करेगा। भारत सरकार को लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध कराने के 30 दिनों के भीतर (क) यदि अनंतिम भुगतान उस राशि से कम है जिसका भुगतान किया जाना चाहिए, तो बायल भारत सरकार को बकाया राशि का भुगतान करेगा, या (ख) अनंतिम भुगतान उस राशि से अधिक है जिसका भुगतान किया जाना चाहिए, तो इसे आगामी वित्त वर्ष के लिए देय रियायत शुल्क में समायोजित किया जाएगा।

### 3.3.6 ब्याज तथा कर

1. अनुच्छेद 3.3 के अंतर्गत किए गए भुगतानों को हवाईअड्डे के प्रचालनिक व्ययों का भाग माना जाएगा जिसमें अनुच्छेद 3.3.5 के अंतर्गत आस्थगित भुगतान का अपवाद होगा, जो संगत वर्ष के लिए लेखों में शामिल किए जाने वाले के भुगतानों के लिए होगा।
2. लेट पेमेंट की स्थिति से इतर, जिसमें अनुच्छेद 18.14 लागू होगा, अनुच्छेद 3.3 के अनुसरण में किए जाने वाली किसी राशि या भुगतान के संबंध में कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा या देय नहीं होगा।

### 3.3.7 विवाद

अनुच्छेद 3.3 के संबंध में पक्षों के बीच किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में पक्ष वार्ता के माध्यम से स्वयं आपस में मैत्रीपूर्ण रूप से ऐसे किसी विवाद को निपटाने के लिए अपने युक्तिसंगत प्रयास करेंगे। इस वार्ता के पश्चात यदि पक्ष किसी विवाद को निपटाने में अक्षम होते हैं तो वे एक स्वतंत्र सनदी लेखाकार को नियुक्त करेंगे, जिस पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति होगी और वह

मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। यदि स्वतंत्र सनदी लेखाकार उसकी नियुक्ति के 06 महीनों के भीतर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में असफल रहता है तो उक्त विवाद को अनुच्छेद 16.2, 16.3 तथा 16.4 के अनुसार निपटाया जाएगा।

## अनुच्छेद 4

### 4 पूर्ववर्ती शर्तें

#### 4.1 परियोजना के लिए पूर्ववर्ती शर्तें

इस अनुबंध के प्रावधान (अनुच्छेद 1,4, 14, 16 और 18 में शामिल प्रावधानों के अतिरिक्त जो इस समझौते की तारीख से पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होंगे) उस तारीख से पार्टियों के लिए प्रभावी होंगे और बाध्यकारी हो जाएंगे जिस दिन निम्नलिखित पूर्ववर्ती शर्तें पूरी कर दी जाएंगी:

(i) यदि भारत सरकार को बायल और कर्नाटक सरकार (जीओके) से अपरिवर्तनीय नोटिस प्राप्त हो कि राज्य सहायता समझौता सभी पक्षों द्वारा निष्पादित और वितरित किया गया है और उसमें पूर्व निर्धारित सभी शर्तों (इस समझौते से संबंधित पूर्ववर्ती स्थिति को छोड़कर) को पूरा किया गया है और यह नोटिस अंतिम और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा;

(ii) विमान नियम, 1937 में संशोधन और

(iii) बायल और उसके ऋणदाताओं से अपरिवर्तनीय नोटिस की कर्नाटक सरकार द्वारा रसीद जो कि वित्तीय बंद हुई है, जो सूचना अंतिम होगी और पार्टियों पर बाध्यकारी होगी।

बशर्ते कि (क) ऐसी कोई भी शर्त मिसाल के तौर पर भारत सरकार(जीओआई) और बायल के बीच लिखित में समझौते से माफ की जा सकती है और (बी) बीआईएल किसी भी समय एकतरफा रूप से माफ कर सकती है, जब तक कि नोटिस (ii) से ऊपर की शर्तों पर जीओआई को नोटिस द्वारा निर्धारित न हो। यदि बीआईएल जीओआई को प्रमाणित करने में सक्षम है कि उसके पास प्रारंभिक चरण के विकास और निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है और वह इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है, तो जीआईआई यथोचित शर्त के अनुरोध पर बायल के अनुरोध पर विचार करेगा जो (iii) पर ऊपर दिया गया है।

#### 4.2 पूर्ववर्ती शर्तों की बाध्यताएँ

4.2.1 बायल उपर्युक्त अनुच्छेद 4.1 (i) और (ii) में पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा।

4.2.2 भारत सरकार उपर्युक्त अनुच्छेद 4.1 (ii) में पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगी।

#### 4.3 पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा न करना

#### **4.3.1 पूरा न कर पाने पर समाप्ति**

यदि अनुच्छेद 4.1 में पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया गया है या इस अनुबंध की तारीख के छह (6) महीने बाद तक इनका दावा छोड़ा नहीं गया, तो अनुच्छेद 4.3.2 के अधीन बायल या जीओआई को दूसरे पक्ष को लिखित रूप में इक्कीस (21) दिनों का नोटिस देकर इस अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार होगा और इस नोटिस की समाप्ति के पश्चात किसी भी पक्ष पर परिणामी लागत या परिणाम के बिना यह अनुबंध समाप्त होगा।

#### **4.3.2 पूरा करने के लिए समय का विस्तार**

अनुच्छेद 4.3.1 में निर्दिष्ट तारीख से पहले किसी भी समय, पार्टियों को लिखित रूप में आपसी समझौते से, तारीख बढ़ाने और जैसा भी पक्षकार सहमत हो, इस अवधि से पूर्व निर्धारित स्थितियों की संतुष्टि या उनमें छूट देने का अधिकार होगा ।

#### **4.4 प्रभावी तिथि**

अनुच्छेद 4.1 के अधीन, यह अनुबंध पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी हो जाएगा।

## अनुसूची 5

### 5 भारत सरकार के दायित्व

#### 5.1 भारत सरकार के दायित्व

5.1.1 भारत सरकार अपने स्वयं के लागत और व्यय पर, इस समझौते में निर्धारित किए गए अपने सभी दायित्वों का पालन और प्रदर्शन करेगी और किसी भी वैधानिक निकाय को नागर विमानन मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण और निर्देश के तहत कोई कार्रवाई करने का निर्देश नहीं देगी, यदि इस निकाय ने इस समझौते के लिए भारत सरकार के स्थान पर इस समझौते का उल्लंघन किया है।

5.1.2 बीआईएएल या उसके शेयरधारकों या उनके संबंधित ठेकेदारों, नौकरों या एजेंटों द्वारा लागू किए गए आवेदन पर और लागू होने वाले कानून के साथ ऐसी पार्टियों द्वारा पूर्ण अनुपालन और निर्वाह के अधीन, नागर विमानन मंत्रालय का प्रयास होगा कि इसके लिए दी जाने वाली सभी मंजूरी या जो कि इसके प्रत्यक्ष नियंत्रण के भीतर हैं और जैसा कि परियोजना के संबंध में या इसके लिए आवश्यक है, इसे बाद में (i) प्रासंगिक वैधानिक अवधि (यदि कोई हो), और (ii) चालीस के अंत में समाप्त होने वाली अवधि के भीतर प्रदान किया जाता है-संशोधित (45) दिनों के बाद संबंधित आवेदन विधिवत जमा होने के बाद। नागर विमानन मंत्रालय अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि परियोजना के संबंध में या उसके लिए आवश्यक सभी अन्य मंजूरी बाद में (i) प्रासंगिक वैधानिक अवधि (यदि कोई हो) के अंत में समाप्त होने वाली अवधि के भीतर दी जाए, और (ii) पैंतालीस (45) दिनों के बाद संबंधित आवेदन विधिवत पूरा होने के बाद जमा किया गया।

#### 5.2 विशिष्टता

##### 5.2.1 अंतर्राष्ट्रीय

भारत सरकार द्वारा हवाईअड्डे के उद्घाटन की तारीख की पच्चीसवीं वर्षगांठ से पहले हवाईअड्डे के 150 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित, या बेहतर या उन्नत, किसी भी नए या मौजूदा हवाईअड्डे की अनुमति नहीं दी जाएगी।

##### 5.2.2 घरेलू

किसी भी नए या मौजूदा हवाईअड्डे (मैसूर और हसन हवाईअड्डों को छोड़कर) को भारत सरकार द्वारा पच्चीसवीं वर्षगांठ की ओपनिंग की तारीखसे पहले हवाईअड्डे के 150 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर एक घरेलू हवाईअड्डे के रूप में विकसित, या उन्नत या उन्नत बनाया जा सकता है।

#### 5.3 समतुल्य उपचार

हवाईअड्डे के प्रचालन की शुरुआत के बाद, भारत सरकार ऐसे तरीके से कार्य करने या छोड़ने के लिए नहीं कहेगा जो हवाईअड्डे या बीआईएएल के साथ भेदभाव करता है जो हवाईअड्डे या बीआईएएल की तुलना में अन्य प्रमुख हवाईअड्डों को अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है, जैसा कि मामला हो सकता हो। [इस अनुच्छेद के उद्देश्य के लिए, "भेदभाव" केवल प्रशासनिक या कार्यकारी आदेशों के पारित होने को संदर्भित करता है जो हवाईअड्डे और / या बीआईएएल के साथ-साथ अन्य प्रमुख हवाईअड्डों और / या अन्य हवाईअड्डे के प्रचालकों के संबंध में भेदभावपूर्ण हैं, लेकिन राजकोषीय या कर मामलों के संबंध में कानूनों या वैधानिक, प्रशासनिक या कार्यकारी आदेशों को पारित करना शामिल

नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि एक अन्य प्रमुख हवाईअड्डे की स्थापना के लिए भारत सरकार (या इसके किसी भी मंत्रालय और विभाग) को रियायतें या वित्त का अनुदान प्रदान करता है। इस तरह के प्रमुख हवाईअड्डों की स्थापना के लिए जमीन, या अन्य सुविधा इस अनुच्छेद के लिए भेदभाव का कारण नहीं बनेगा।

#### 5.4 समर्थन

5.4.1 भारत सरकार परियोजना के कार्यान्वयन को स्वीकार करती है और उसका समर्थन करती है;

5.4.2 भारत सरकार लागू कानून के साथ बीआईएएल में निजी प्रमोटरों को संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में नियुक्त करने और परियोजना को निजी प्रमोटरों या (ii) को इस समझौते के तहत अनुमति के अलावा या इसके अनुसार अनुमति देने के निर्णय को रद्द नहीं करेगा।

5.4.3 शेयरधारकों द्वारा किए जाने वाले निवेश की मान्यता में, समय-समय पर, बीआईएएल और उधारदाताओं के लिए और ऐसे शेयरधारकों द्वारा सामग्री अनुपालन के अधीन और सभी लागू कानून के साथ उधारदाताओं, भारत सरकार कोई कदम या कार्रवाई नहीं करेगी। इस समझौते के विरोधाभास के परिणामस्वरूप या जिसके परिणामस्वरूप ऐसे शेयरधारकों या ऋणदाताओं को वंचित या काफी हद तक अपने निवेश या आर्थिक हित से वंचित किया जा सकता है, जो कि लागू कानून के अनुसार परियोजना में है।

#### 5.5 मौजूदा हवाईअड्डा

##### 5.5.1 मौजूदा हवाईअड्डा

(i) प्रत्याशित हवाईअड्डे के उद्घाटन की तारीख से छह, (6) महीने पहले, उस तिथि के भारत सरकार को सूचित करें, जिसके बारे में यह उम्मीद की जाती है कि हवाईअड्डा खुलने की तारीख है।

(ii) हवाईअड्डे के खुलने की तारीख से उस तारीख के प्रभाव से, भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मौजूदा हवाईअड्डा व्यावसायिक नागर विमानन प्रचालनों के लिए उपयोग के लिए खुला या उपलब्ध नहीं होगा और एएआई 1994 के तहत नागरिक परिक्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

(iii) हवाईअड्डे के खुलने और प्रभावी होने की तारीख से, भारत सरकार एक उचित अधिसूचना जारी एवं प्रकाशित करेगी जिसमें कहा जाएगा कि मौजूदा हवाईअड्डा अब व्यावसायिक नागर विमानन प्रचालनों के लिए खुला या उपलब्ध नहीं है (इन उद्देश्यों के लिए, उपयोग शामिल नहीं है) राष्ट्रीय आपातकाल के समय हवाईअड्डे की गतिविधि के लिए या (किसी भी समय) भारतीय वायु सेना या भारत के अन्य सशस्त्र बलों के स्वामित्व वाले या संचालित विमानों द्वारा या विशेष सरकार द्वारा नियुक्त गणमान्य व्यक्तियों के परिवहन के लिए या उनके उपयोग या गतिविधियों के लिए अन्यथा ) और यह कि अब इसे एएआई अधिनियम के तहत एक सिविल एन्क्लेव के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि मौजूदा एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय कोड (बीएलआर) हवाईअड्डे पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

(iv) पैराग्राफ (ii) और (iii) से ऊपर वाणिज्यिक विमानों के लिए इसके बंद होने के बावजूद जनरल एविएशन सर्विसेज (वाणिज्यिक विमानों से संबंधित अन्य के अलावा) मौजूदा हवाईअड्डे पर प्रदान की जा सकती हैं।

### 5.5.2 उत्तरदायित्व

पार्टियां स्वीकार करती हैं और सहमत होती हैं कि मौजूदा हवाईअड्डे को व्यावसायिक नागर विमानन प्रचालनों के लिए बंद करने के परिणामस्वरूप लागत, खर्च, देनदारियों, लाभ की हानि, और / या इस तरह के बंद के संबंध में तीसरे पक्ष द्वारा किए गए दावों का परिणाम हो सकता है। इस तरह की पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि इस तरह के लागतों, खर्चों, देनदारियों, लाभ की हानि और / या दावों या ऐसे बंद होने के संबंध में या तीसरे पक्ष द्वारा किए गए दावे के संबंध में न तो बीआईएल और न ही भारत सरकार जिम्मेदार होगा। पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि एएआई मौजूदा हवाईअड्डे को बंद करने की लागत के बारे में एक उपक्रम प्रदान करेगा, अब तक ऐसी लागत मौजूदा हवाईअड्डे पर तीसरे पक्ष के साथ एएआई द्वारा दर्ज मौजूदा रियायत / अन्य समझौतों से संबंधित है। संदेह से बचने के लिए, एएआई मौजूदा हवाईअड्डे पर एचएएल द्वारा रियायतों / अन्य समझौतों से संबंधित लागतों के लिए जिम्मेदार नहीं है।

## अनुसूची 6

### 6 प्रतिनिधित्व और आश्वासन

#### 6.1 प्रतिनिधित्व और आश्वासन

6.1.1 इस समझौते के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रतिनिधित्व और आश्वासन देता है कि प्रभावी तिथि के अनुसार:

(i) इसके पास शक्ति और अधिकार है और इस समझौते को वैध रूप से निष्पादित करने और वितरित करने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई की है;

(ii) इस समझौते के तहत इसके दायित्व कानूनी रूप से मान्य होंगे और इसके विरुद्ध बाध्यकारी और प्रवर्तनीय होंगे;

(iii) यह भारत के कानूनों के अधीन है, और अनुच्छेद 18.13 के अधीन इस एग्रीमेंट के संबंध में स्पष्ट रूप से और किसी भी तरह की प्रतिरक्षा को समाप्त करता है;

(iv) इस समझौते का निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन के साथ टकराव नहीं होगा, उल्लंघन होने पर, किसी डिफॉल्ट के तहत गठित होगा, या किसी भी वाचा, समझौते, समझ, डिक्री या आदेश की शर्तों के तहत आवश्यक प्रदर्शन में तेजी लाएगा। एक पार्टी या जिसके द्वारा या उसकी किसी भी संपत्ति या संपत्ति को बाध्य या प्रभावित किया जाता है और किसी भी लागू कानून का उल्लंघन नहीं होता है;

(v) इस समझौते के अंतर्गत इसके पास किसी भी आदेश के संबंध में किसी भी उल्लंघन या डिफॉल्ट का कोई ज्ञान नहीं है, किसी भी अदालत के रिट, निषेधाज्ञा या डिक्री या किसी भी प्रासंगिक प्राधिकरण के किसी भी कानूनी रूप से बाध्यकारी आदेश के परिणामस्वरूप इसके दायित्वों को निभाने की क्षमता पर कोई भी सामग्री प्रतिकूल प्रभाव हो सकती है; तथा

(vi) इस समझौते के तहत इसने सभी भौतिक मामलों में लागू कानून का अनुपालन किया है और यह किसी भी जुर्माने, जुर्माने, निषेधाज्ञा राहत या किसी अन्य नागरिक या आपराधिक देनदारियों के अधीन नहीं है, जो कुल मिलाकर अपने दायित्वों या प्रदर्शन करने की समग्र क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

6.1.2 इसके अतिरिक्त बीआईएल भारत सरकार को प्रतिनिधित्व और आश्वासन देता है कि समझौते की इस तिथि को:

(i) यह एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जो भारत के कानूनों के तहत शामिल शेयरों द्वारा सीमित है और ठीक से गठित की गई है और निगमन के बाद से निरंतर अस्तित्व में है;

(ii) यह हवाईअड्डों और अन्य सहायक गतिविधियों के प्रचालन और प्रबंधन के व्यवसाय के अलावा किसी भी व्यवसाय में संलग्न नहीं है; तथा

(iii) बीआईएल की शेयरधारिता पैटर्न निम्नानुसार है:

पार्टियां	बायल की जारी किए गए और भुगतान किए गए शेयर पूंजी की प्रतिशतता
निजी प्रमोटर और अन्य निवेशक (के रूप में) उन शर्तों को शेयरधारकों में परिभाषित किया गया समझौता है) (सामूहिक रूप से)	74 प्रतिशत (सीमेंस प्रोजेक्ट) वेंचर्स 40%, यूनीक ज्यूरिख 17% और एल एंड टी 17%)
राज्य प्रमोटर (शेयरधारक समझौता शब्द के रूप में परिभाषित किया गया है) (सामूहिक रूप से)	26 प्रतिशत
कुल	100 प्रतिशत

(iv) कोई कार्यवाही, अभियोग, कार्यवाही या जाँच लंबित नहीं है या इसके ज्ञान के लिए, कानून के विरुद्ध या किसी न्यायालय में या किसी अन्य न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या अन्य प्राधिकारी के समक्ष, जिसके परिणाम की धमकी दी जा सकती है। इस समझौते के उल्लंघन के परिणामस्वरूप या जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को निभाने की क्षमता के किसी भी सामग्री की हानि हो सकती है; तथा

(v) इस समझौते में प्रवेश करने के लिए भारत सरकार को उत्प्रेरित करने के लिए कोई रकम, नकद या किसी और प्रकार में, किसी व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा या शुल्क, कमीशन या अन्यथा के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

## 6.2 बंद करना

अनुच्छेद 14 के अधीन और शेयरधारकों के समझौते के अनुसार, सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स जीएमबी और फ्लगफेन ज्यूरिख एजी की हिस्सेदारी निम्नलिखित लॉक-इन प्रतिबंधों के अधीन हैं:

(i) सीमेंस प्रोजेक्ट वेंचर्स GmbH हवाईअड्डे के उद्घाटन के बाद तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए बीआईएएल की भुगतान की गई पूंजी का कम से कम चालीस प्रतिशत (40%) सदस्यता और धारण करेगा और हवाईअड्डा ओपनिंग के बाद सात (7) वर्ष की अवधि के लिए छब्बीस प्रतिशत (26%) से कम नहीं होगा; तथा

(ii) फ्लगफेन ज्यूरिख एजी हवाईअड्डे के उद्घाटन के बाद तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए बीआईएएल की भुगतान की गई पूंजी का कम से कम पाँच प्रतिशत (5%) सदस्यता और धारण करेगा।

## 6.3 स्वीकृति

बीआईएएल सभी समय पर सभी क्लीयरेंस और अप्रूवल प्राप्त करेगा और बनाए रखेगा, जिसमें पंजीकरण, लाइसेंस और परमिट (आव्रजन, अस्थायी निवास, काम और निकास परमिट सहित) शामिल हैं, जो परियोजना के प्रदर्शन के लिए लागू कानून द्वारा आवश्यक हैं।

## 6.4 अस्वीकरण

**6.4.1** बायल ने स्वीकार किया कि इस समझौते के क्रियान्वयन से पहले, इसने एक पूर्ण और सावधान परीक्षा के बाद, परियोजना के स्कोप का स्वतंत्र मूल्यांकन किया और कठिनाइयों, जोखिमों और खतरों की प्रकृति और सीमा को निर्धारित किया है जिसकी संभावना इस समझौते में अपने दायित्वों के प्रदर्शन के दौरान उत्पन्न होने या इसका सामना करने की है।

**6.4.2** बायल स्वीकार करता है और इसके माध्यम से कठिनाइयों, जोखिमों और खतरों (किसी भी तरह की अक्षमता, गलतियों या त्रुटियों या जिसमें अनुच्छेद 6.4.1 ऊपर दिए गए किसी भी मामले से संबंधित है) को स्वीकार करता है, परियोजना के स्कोप से जुड़ा हुआ है और यहां सहमत है कि भारत सरकार बायल के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। संदेह से बचने के लिए इस अनुच्छेद 6.4 के अनुसार बायल के अनुसरण में कठिनाइयों, जोखिमों और खतरों को स्वीकार किया गया है, जिसके लिए भारत सरकार इस समझौते की शर्तों के प्रति जिम्मेदार है।

## अनुसूची 7

### हवाईअड्डों का निर्माण

#### 7.1 मास्टर प्लान

बायल प्रत्येक पाँच (5) वर्षों में मास्टर प्लान की समीक्षा करेगा। अगर, इस तरह की समीक्षा पर, बीआईएएल ने हवाईअड्डे पर बदली परिस्थितियों को दर्शाने के लिए मास्टर प्लान को संशोधित करना आवश्यक समझा, तो बीआईएएल मास्टर प्लान को संशोधित करेगा और इस तरह के संशोधित मास्टर प्लान की एक प्रति के साथ जीओआई प्रदान करेगा।

#### 7.2 निर्माण और विस्तार

मास्टर प्लान, गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिस और लागू होने वाले कानून के अनुसार, बीआईएएल प्रारंभिक चरण का डिजाइन, खरीद, निर्माण, पूर्ण, परीक्षण और कमीशन करेगा, और इसके संबंध में किसी भी दोष का उपाय करेगा। बायल यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य विशिष्टताओं और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुरूप होंगे।

बीआईएएल, खाते में वृद्धि और बढ़ती मांग के अनुसार, उस समय, हवाईअड्डे के आर्थिक और लाभदायक प्रचालन की उपलब्धता और हवाईअड्डे के विस्तार के लिए विस्तृत प्रस्तावों को विकसित करने और लागू करने के लिए हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं की उचित आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों के प्रावधान के संबंध में बायल किसी भी पूंजी निवेश, मात्रा या लागत को बढ़ाने और समाप्ति राशि, ऋण या निपटान राशि की गणना में शामिल किए जाने के लिए इस तरह के निवेश, मात्रा या लागत के लिए बायल भारत सरकार की पूर्व लिखित सहमति लेगा।

#### 7.3 स्वतंत्र अभियंता

बीआईएएल स्वतंत्र अभियंता द्वारा तैयार किए गए कोई भी रिपोर्ट और प्रमाण पत्र की खरीद करेगा और वित्त पोषण समझौतों की शर्तों के अनुसार उधारदाताओं को सौंपे गए और किसी भी स्वतंत्र इंजीनियर से किसी भी भविष्य के वित्तपोषण के लिए नियुक्त किए गए किसी भी रिपोर्ट को भारत सरकार को सुपुर्द करने के लिए कॉपी किया जाएगा ताकि भारत सरकार हवाईअड्डे के निर्माण और कमीशन की प्रगति की निगरानी कर सके।

बीआईएएल यह भी खरीद करेगा कि स्वतंत्र अभियंता, भारत सरकार को एक "पूर्णता प्रमाण पत्र" के रूप में प्रस्तुत करता है और हवाईअड्डे के उद्घाटन की तारीख से पहले अनुसूची 10 के अनुसार पदार्थ के रूप में प्रस्तुत करता है।

#### 7.4 साइट और सामग्री

##### 7.4.1 साइट का संगठन

बायल सुरक्षा सावधानियों, अग्नि सुरक्षा, सुरक्षा, परिवहन, माल की डिलीवरी, सामग्री, संयंत्र और उपकरण, प्रदूषण पर नियंत्रण, सक्षम कर्मियों के रखरखाव और श्रम और औद्योगिक संबंधों और सामान्य साइट सेवाओं के संबंध में निर्माण की अवधि के दौरान साइट का आयोजन करेगा। बिना किसी सीमा के, साइट तक और साइट पर, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के कार्यालयों और यौगिकों के लिए स्थान का आवंटन और साइट पर केवल अधिकृत व्यक्तियों तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाएगा।

## 7.4.2 सामग्री

बीआईएएल यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य में केवल सामग्री और सामान शामिल होंगे जो ध्वनि और व्यापारिक गुणवत्ता के हैं और जो लागू कानून के अनुसार निर्मित और तैयार किए गए हैं और यह सभी कारीगरी लागू कानून के अनुसार होगी और निर्माण और / या स्थापना के समय पर लागू होने वाले अच्छे उद्योग के अभ्यास के साथ होगी।

## 7.5 एयरपोर्ट का उद्घाटन

बीआईएएल यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय समापन के तैंतीस (33) महीने बाद आने वाली तारीख तक हवाईअड्डे की उद्घाटन तिथि घटित होगी, बशर्ते कि इस तरह की तारीख के परिणामस्वरूप या इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली देरी के संदर्भ में समायोजित किया जाएगा:

- (i) फोर्स मैज्योर की एक घटना; और / या
- (ii) भारत सरकार द्वारा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन में की गई विफलता या विलंब; और / या
- (iii) इस समझौते के अनुच्छेद 8.14 के तहत अपने अधिकारों के लिए भारत सरकार द्वारा किसी भी रुकावट या हस्तक्षेप; और / या
- (iv) राज्य सहायता समझौते के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन में कर्नाटक सरकार द्वारा विफलता या कोई देरी; और / या
- (v) कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश और विकास निगम लिमिटेड द्वारा भूमि लीज समझौते के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन में विफलता या कोई देरी; और / या
- (vi) सीएनएस / एटीएम समझौते के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन में एएआई द्वारा विफलता या कोई देरी; और / या
- (vii) शेयरधारकों के समझौते के खंड 7 के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन में एएआई या कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश और विकास निगम द्वारा विफलता या कोई देरी; और / या
- (viii) अपनी सेवाओं के प्रदर्शन में किसी भी प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा विफलता या कोई देरी।

बीआईएएल उपरोक्त शर्तों के अलावा किसी भी कारण से वित्तीय समापन के उनतीस (39) महीने बाद गिरने वाली हवाईअड्डे के उद्घाटन को प्राप्त करने में विफल होने की स्थिति में, बीआईएएल को भारत सरकार को भुगतान करना होगा, जैसा कि सहमति व्यक्त की गई है, रूप की राशि के तरल नुकसान वित्तीय समापन से उनतालीस (39) महीने की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए एक दिन की देरी के लिए एक लाख (1,00,000) वित्तीय समापन से पहले और हवाईअड्डे के उद्घाटन की तारीख पर समाप्त होने या वित्तीय से पैंतालीस (45) महीने बाद होने वाली तारीख बंद करे।

## 7.6 लाइसेंस

### 7.6.1 लाइसेंस का अनुदान

भारत सरकार अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करेगी और डीजीसीए को हवाईअड्डे के लाइसेंस के लिए बीआईएएल को सहायता प्रदान करेगी, जो शुरू में दो साल की अवधि के लिए वैध होगा, ताकि वह अपने आवेदन की तिथि से पैंतालीस (45) दिनों के बाद वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने में सक्षम न हो। डीजीसीए, बशर्ते कि बीआईएएल ने इस समझौते की शर्तों के अनुसार हवाईअड्डे का निर्माण पूरा कर लिया हो और उसने (i) नियम 86 और विमान नियम 1937 की धारा ए की आवश्यकताओं का अनुपालन किया हो, (ii) कोई विशेष डीजीसीए द्वारा विमान नियम 1937 के नियम 133 ए और (iii)

डीजीसीए के किसी अन्य मानक आवश्यकता के अनुसार दिशा-निर्देश या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जो एक प्रमुख हवाईअड्डे के लिए हवाई अड्डे का लाइसेंस जारी करने के संबंध में है।

### **7.6.2 सतत लाइसेंस**

उपर्युक्त अनुसूची 7.6.1 के तहत हवाईअड्डे के लाइसेंस के जारी होने के बाद, भारत सरकार अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करेगी और डीजीसीए के लिए बीआईएएल के नवीकरण के लिए बीआईएएल द्वारा जारी किए गए हवाईअड्डे के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए जारी किए गए हवाईअड्डे की समाप्ति से पहले दो साल की अवधि के लिए सहायता करेगी। तुरंत दो साल की अवधि से पहले, बीआईएएल के डीजीसीए के आवेदन की तारीख से पैंतालीस (45) दिनों के बाद, बशर्ते कि बीआईएएल (i) लागू कानून और विमान नियम 1937, (ii) के साथ सभी भौतिक मामलों में अनुपालन जारी रखे। ) डीजीसीए द्वारा विमान नियम 1937 के नियम 133 क के अनुसरण में जारी किए गए कोई विशेष दिशा-निर्देश या दिशानिर्देश, (iii) इस समझौते के प्रावधान और (iv) किसी बड़े हवाईअड्डे के लिए हवाई अड्डे के लाइसेंस जारी करने के संबंध में डीजीसीए की कोई अन्य मानक आवश्यकता। (ऐसे लाइसेंस के संबंध में डीजीसीए पर बकाया पिछले सभी भुगतानों सहित) और बशर्ते कि वर्तमान लाइसेंस के तहत बायल द्वारा कोई बकाया उल्लंघनों नहीं हैं।

### **7.7 आरंभ**

भारत सरकार अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग यह बताने के लिए करेगी कि एएआई और डीजीसीए बीआईएएल की लागत पर और समयबद्ध तरीके से, सभी परीक्षणों और प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे, जैसा कि हवाईअड्डे के सुरक्षित प्रचालन के लिए ऊपर दिए गए अनुच्छेद 7.6 और / या में निर्दिष्ट लाइसेंस के अनुदान के लिए किया जाना आवश्यक है।

## अनुसूची 8

### 8 प्रचालन और रखरखाव

#### 8.1 हवाईअड्डा प्रचालन और रखरखाव

बीआईएएल हर समय हवाईअड्डे के प्रचालन और रखरखाव में लागू कानून का पालन करेगा और गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार बेहतर परिचालन मरम्मत और स्थिति में प्रचालन, रखरखाव, रखरखाव करेगा और, मानकों और नवीनीकरण के अनुसार, प्रतिस्थापित और अपग्रेड करेगा। यथोचित रूप से आवश्यक, हवाईअड्डा जो इन उद्देश्यों के लिए सीएनए / एटीएम समझौते की शर्तों के अनुसार एएआई द्वारा प्रचालित होने वाली किसी भी प्रणाली या उपकरण को बाहर करेगा। हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं को असुविधा को कम करने के लिए सभी रखरखाव, मरम्मत और अन्य कार्य इस तरह से किए जाएंगे।

#### 8.2 संयुक्त समन्वय समिति

पार्टियां अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर प्राप्त मानकों के अनुरूप हवाई अड्डे को विकसित करने, बनाए रखने और संचालित करने की इच्छा रखती हैं। आरक्षित गतिविधियाँ भारत सरकार द्वारा या भारत सरकार के निर्देशन में की जाएंगी। इस समझौते के तहत बीआईएएल और भारत सरकार को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए एक संयुक्त समन्वय समिति का गठन किया जाएगा जिसमें बीआईएएल, जीओआई और अन्य प्रासंगिक प्राधिकरण शामिल हैं जो आरक्षित गतिविधियाँ प्रदान करते हैं। संयुक्त समन्वय समिति इस समझौते के निष्पादन के बाद पहले महीने के साथ शुरू होने वाले महीने में एक बार बैठक करेगी, बशर्ते कि पार्टियां ऐसी समिति के निर्णयों से बाध्य नहीं होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस प्रक्रिया में सहायता के लिए अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करेगा, लेकिन संदेह से बचने के लिए, संयुक्त समन्वय समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा।

#### 8.3 आरक्षित गतिविधियाँ

भारत सरकार इस अनुच्छेद 8 के अनुसार आरक्षित गतिविधियों को लागू करेगी और हवाई अड्डे पर यात्रियों, सामान और कार्गो के निरंतर प्रवाह को सक्षम करने के लिए आवश्यक सेवाओं के निरंतर प्रावधान की आवश्यकता के लिए लागू कानून के तहत इसे उपलब्ध सभी अधिकारों का उपयोग करेगी।

#### 8.4 सीमा शुल्क, आव्रजन और संगरोध

8.4.1 पार्टियां अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर हासिल किए गए मानकों के अनुरूप हवाई अड्डे को विकसित करने और संचालित करने की इच्छा रखती हैं और इस संबंध में, भारत सरकार द्वारा अपनी लागत पर सीमा शुल्क, आव्रजन और संगरोध प्रक्रियाएं स्थापित की जाएंगी। पार्टियों की मंशा इस समझौते के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित सीमा शुल्क और आव्रजन प्रक्रियाओं और संगरोध सेवाओं के संबंध में उचित सेवा स्तर मानकों को आजमाने और सहमत करने के लिए उचित प्रयासों का उपयोग करना है और जब बायल द्वारा अनुरोध किया जाएगा तो नागर विमानन मंत्रालय इसके अनुसार सहायता के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा।

8.4.2 बायल हर समय प्रासंगिक प्राधिकारी प्रदान करेगा (i) हवाईअड्डे पर इस तरह की पहुंच और सुविधाएं और (ii) इस समझौते में अनुसूची 8 में निर्धारित स्थान की आवश्यकताएं, हवाईअड्डे पर, नियम और शर्तों पर जो आमतौर पर अन्य प्रमुखहवाई अड्डों पर लागू नियम और शर्तों के अनुरूप होते हैं ताकि प्रासंगिक प्राधिकरण को आरक्षित गतिविधियां करने में सक्षम बनाया जा सके।

- 8.4.3 बायल उस प्रासंगिक प्राधिकारी की सहमति के बिना हवाईअड्डे पर एक प्रासंगिक प्राधिकरण को दी गई जगह और सुविधाओं को कम करने का हकदार नहीं होगा।
- 8.4.4 हवाईअड्डे पर किसी भी विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास की स्थिति में ऊपर उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए किसी प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए गए किसी भी स्थान या सुविधाओं की आवाजाही या पुनर्निर्माण शामिल है, विधिवत रूप से प्रासंगिक प्राधिकरण की सूचना बायल को करेगा। और बायल प्रासंगिक प्राधिकारी हवाईअड्डे पर इस तरह के विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के परिणामस्वरूप आवश्यक प्रासंगिक प्राधिकरण की अंतरिक्ष आवश्यकताओं के लिए किसी भी संशोधन पर चर्चा और सहमति देगा।

## 8.5 सुरक्षा

- 8.5.1 भारत सरकार पुष्टि करता है कि जब तक अन्यथा इस समझौते के तहत सहमति नहीं दी जाती है, उसी शर्तों पर जब तक यह अन्य सभी प्रमुख हवाईअड्डों पर ऐसी सुरक्षा प्रदान करता है, हवाईअड्डे पर सभी विमानन सुरक्षा प्रदान करते हैं। बशर्ते कि भारत सरकार और बीआईएएल, आपसी चर्चा के बाद, यदि इसे उपयुक्त माना जाता है, तो हवाईअड्डे पर संयुक्त रूप से विमानन सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था करें। पार्टियों की मान्यता है कि इस समझौते की तिथि के अनुसार सुरक्षा के लिए लगाया जाने वाला शुल्क 130 रुपये प्रति प्रस्थान यात्री है क्योंकि इस तरह के शुल्क को सभी प्रमुख हवाईअड्डों के लिए समान रूप से संशोधित किया जा सकता है।
- 8.5.2 इस समझौते के अन्य प्रावधानों के पक्षपात के बिना, बीआईएएल ऐसे नियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा जो बीसीएएस द्वारा हवाईअड्डे की सुरक्षा के संबंध में स्थापित किए गए हैं, बशर्ते कि बीआईएएल ऐसे नियमों और विनियमों के लिए बाध्य नहीं होगा यदि समान या समान संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाईअड्डों पर आम तौर पर और लगातार लागू नहीं होते हैं।
- 8.5.3 बीसीएएस या किसी अन्य प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर आवश्यक सभी सुरक्षा उपकरण प्रदान करने और बनाए रखने के लिए बीआईएएल जिम्मेदार होगा (डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी) को छोड़कर, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी), एक्स-रे स्कैन) यात्री सामान और वाकी-टॉकीज पर स्क्रीनिंग के लिए मशीनें जो अब तक एएआई द्वारा खरीदे, स्थापित, संचालित, रखरखाव और प्रतिस्थापित की गई हैं, ये उपकरण एंटी-हाइजैकिंग और एंटी-सबोटेज कार्यों से संबंधित हैं) बशर्ते कि समान या समान संवेदनशीलता वर्गीकरण हवाईअड्डों पर समान दायित्व लगाए गए हों।
- 8.5.4 हवाईअड्डे के निर्माण, यात्रियों, हवाईअड्डे पर काम करने वाले व्यक्तियों और हवाईअड्डे के अन्य आगंतुकों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और हवाईअड्डे पर विमान, माल और अन्य संपत्ति भी बीसीएएस द्वारा निर्धारित की जाएगी। बीआईएएस द्वारा समय-समय पर जारी की गई ऐसी सभी प्रक्रियाओं और निर्देशों का पालन करने के लिए बीआईएएल को बाध्य किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसी प्रक्रियाओं और निर्देशों को उसी या समान संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाईअड्डों पर लगातार लागू किया जाए।
- 8.5.5 बीसीएएस, भारत सरकार या कर्नाटक सरकार द्वारा नामित सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा इयूटी के लिए कर्मियों को प्रदान किया जाएगा।
- 8.5.6 बायल हर समय नामित सुरक्षा एजेंसियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करेगा।

- 8.5.7 बीआईएएल (i) हवाईअड्डे पर इस तरह की पहुंच और सुविधाओं के साथ नामित सुरक्षा एजेंसी प्रदान करेगा और (ii) इस समझौते के लिए अनुसूची में निर्धारित स्थान की आवश्यकताएं, ताकि नामित सुरक्षा एजेंसी को अपने कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके। यह समझौता, आमतौर पर समान या समान संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाईअड्डों पर लागू नियमों और शर्तों के अनुरूप है।
- 8.5.8 बीआईएएल को नामित सुरक्षा एजेंसी की सहमति के बिना हवाईअड्डे पर नामित सुरक्षा एजेंसी को दी गई जगह और सुविधाओं को कम करने का अधिकार नहीं होगा।
- 8.5.9 हवाईअड्डे पर किसी भी विस्तार आधुनिकीकरण या पुनर्विकास की स्थिति में, ऊपर वर्णित किसी भी उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपयोग किए गए किसी भी स्थान या सुविधाओं के आंदोलन या पुनः निर्माण में शामिल है, बायल विधिवत रूप से नामित सुरक्षा एजेंसी को सूचित करेगा। बीआईएएल और नामित सुरक्षा एजेंसी नामित सुरक्षा एजेंसी की अंतरिक्ष आवश्यकताओं के लिए किसी भी संशोधन पर चर्चा और सहमति देगी जो हवाईअड्डे पर इस तरह के विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के परिणामस्वरूप आवश्यक हो सकता है।

## 8.6 मौसम विज्ञान सेवा

- 8.6.1 भारत सरकार पुष्टि करता है कि यह शिकागो कन्वेंशन के अनुसार समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार हवाईअड्डे पर मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा और अन्य सभी प्रमुख हवाईअड्डों पर ऐसी सेवाएं प्रदान करता है।
- 8.6.2 मौसम संबंधी सेवाओं के प्रावधान के संबंध में बीआईएएल प्रासंगिक प्राधिकरण प्रदान करेगा (i) इस तरह की पहुंच और (ii) इस समझौते में अनुसूची 8 में निर्धारित स्थान की आवश्यकताएं ताकि प्रासंगिक प्राधिकरण अपने कार्यों को करने में सक्षम हो सके यह अनुबंध प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए कार्य और इस अनुच्छेद 8.6 के तहत बाया द्वारा प्रदान की गई पहुंच और स्थान नियम और शर्तों पर प्रदान किए जाएंगे जो आम तौर पर अन्य प्रमुख हवाईअड्डों पर लागू नियमों और शर्तों के अनुरूप होते हैं।
- 8.6.3 बायल उस प्रासंगिक प्राधिकारी की सहमति के बिना हवाईअड्डे पर एक प्रासंगिक प्राधिकरण को दी गई जगह और सुविधाओं को कम करने का हकदार नहीं होगा।
- 8.6.4 हवाईअड्डे पर किसी भी विस्तार आधुनिकीकरण या पुनर्विकास की स्थिति में ऊपर उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा उपयोग किए गए किसी भी स्थान या सुविधाओं की आवाजाही या पुनर्निर्माण शामिल है, बायल विधिवत रूप से नामित सुरक्षा एजेंसी को सूचित करेगा। बीआईएएल और नामित सुरक्षा एजेंसी नामित सुरक्षा एजेंसी की अंतरिक्ष आवश्यकताओं के लिए किसी भी संशोधन पर चर्चा और सहमति देगी जो हवाईअड्डे पर इस तरह के विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के परिणामस्वरूप आवश्यक हो सकता है।

## 8.7 वीआईपी लाउंज

बायल हवाईअड्डे पर हर समय अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्रदान करेगा और राज्य के मेहमानों और राज्य के गणमान्य व्यक्तियों के उपयोग और आराम के लिए एक सरकारी वीआईपी लाउंज बनाए रखेगा।

## 8.8 मानक

इस रियायत समझौते के तहत हवाईअड्डे पर आवश्यक स्थान या सुविधाओं के संबंध में मानकों को कम करने या पूर्वाग्रह से बचाने के लिए इस अनुच्छेद 8 में कुछ भी बायल को हकदार नहीं माना जाएगा।

## 8.9 हवाईअड्डा वाणिज्य का प्रबंधन

बायल, गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिस और लागू कानून के अनुसार और इस समझौते की शर्तों के अनुसार होगा:

8.9.1 हवाईअड्डे को एक वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में प्रतिस्पर्धी, कुशल और आर्थिक तरीके से प्रबंधित और संचालित करना;

8.9.2 इस समझौते के तहत बायल के किसी अन्य दायित्व या अधिकार को सीमित किए बिना, हवाईअड्डे की गतिविधियों के हवाईअड्डे पर प्रावधान प्रदान या सुरक्षित करना; तथा

8.9.3 हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं की वांछित आवश्यकताओं का उचित हिसाब रखते हैं।

## 8.10 सामान्य दायित्वों

8.10.1 बीआईएएल, लागू कानून के अधीन होगा:

- (i) विमान के टेक-ऑफ और लैंडिंग के लिए हवाईअड्डे को हर समय खुला रखें जब तक कि रिजर्व्ड गतिविधि प्रदान करने के लिए किसी भी प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा विफलता के परिणामस्वरूप बायल ऐसा नहीं कर पाती है; तथा
- (ii) कर, बीमा के संबंध में, बिना कर, बीमा और सभी सेवाओं या उपयोगिताओं के प्रावधान जैसे हवाई अड्डे के संचालन के संबंध में, बिजली, पानी, गैस, संग्रह से इनकार, सीवरेज, गंदे पानी, जल निकासी और टेलीफोन और इसके द्वारा किए गए सभी खर्चों के लिए जिम्मेदार हैं।

## 8.11 स्लॉट

बायल को हवाईअड्डे पर स्लॉट आवंटित करने का अंतिम अधिकार होगा, उसी के अधीन जिसे निष्पक्ष रूप से आवंटित किया जाएगा, मनमाने ढंग से नहीं और इसके बंद होने के समय मौजूदा हवाईअड्डा प्रचालकों को मौजूदा हवाईअड्डे पर आवंटित स्लॉट को समायोजित करने के लिए उचित प्रयासों का उपयोग करेगा।

## 8.12 गैर-भेदभाव

समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी कानून या अंतर्राष्ट्रीय संधि दायित्वों के अधीन, भारत सरकार हवाईअड्डों के उपयोग या अनुमति के लिए हवाई यातायात की श्रेणी या विवरणों के संबंध में गैर-भेदभाव की नीति का पालन करेगी और हवाईअड्डे पर उचित विनियमों के अधीन हवाईअड्डे पर विमान चालन पर अनुचित सीमाएँ लगाना या अन्यथा क्षमता को सीमित नहीं किया जाएगा।

## 8.13 प्रचालन में रुकावट

यदि हवाईअड्डे के उद्घाटन की तारीख का पालन किया जाता है, तो बायल भारत सरकार से लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने अधिकारों के अनुसार, अड़तालीस (48) घंटे से अधिक समय तक हवाईअड्डे के प्रचालन को बंद कर देता है। किसी भी पार्टी के अनुरोध पर, भारत सरकार एक योजना और एक संयुक्त संचालन और प्रबंधन समिति (और जिन नियमों और शर्तों पर इस तरह की समिति को नियुक्त करना है) की नियुक्ति पर चर्चा करने और सहमत होने के लिए बायल से

हवाईअड्डे के उस प्रचालन को जल्द से जल्द करने की सिफारिश करती है। यदि भारत सरकार और बायल एक योजना पर सहमत नहीं हो पाती हैं और उपरोक्त उल्लिखित अवधि की समाप्ति के छह (6) घंटों के भीतर एक संयुक्त संचालन और प्रबंधन समिति नियुक्त करती हैं, तो भारत सरकार हवाईअड्डे के प्रचालन के लिए तब तक हकदार होगा जब तक बायल हवाईअड्डे का प्रचालन फिर से शुरू सक्षम नहीं होता।

#### **8.14 निर्माण या प्रचालन में रुकावट**

इस समझौते में दिए गए अन्यथा और / या राष्ट्रीय आपातकाल के मामले को छोड़कर और / या इस समझौते की तारीख को विद्यमान किसी भी कानून में प्रदान किए गए को छोड़कर, भारत सरकार बायल की ओर से हवाईअड्डे के वित्तपोषण, संचालन, प्रबंधन और / या विकासडिजाइन, निर्माण, पूर्णता, आरंभ, रखरखाव में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप नहीं करेगा,। किसी भी अन्य आपात स्थिति या सार्वजनिक सुरक्षा के कारण के मामले में, भारत सरकार को पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत होने के लिए हवाईअड्डे के निर्माण या संचालन में हस्तक्षेप करने या बाधित करने का अधिकार होगा।

#### **8.15 द्वि पक्षीय**

भारत सरकार, भारत सरकार के संप्रभु अधिकारों को प्रतिबंधित या किसी भी तरह से बाधित किए बिना, जहां संभव हो, सभी मौजूदा हवाई सेवा समझौतों को नवीनीकृत करने का प्रयास करें और हवाईअड्डे को प्रभावित करने के लिए किसी भी मौजूदा हवाई सेवा समझौतों को रद्द या समाप्त नहीं करने का प्रयास करें। संदेह से बचने के लिए, भारत सरकार दूसरे पक्ष को, ऐसी हवाई सेवा करार, किसी अन्य राज्य या उसके निर्दिष्ट वाहक (एस) की विफलता के कारण या उनके दायित्वों के तहत या डिफॉल्ट रूप से उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी भी हवाई सेवा समझौते को रद्द करने या समाप्त करने का हकदार होगा।

#### **8.16 दिन और रात के समय प्रचालन**

उपयुक्त सुविधाओं को स्थापित करने और पर्यावरणीय कानूनों सहित सभी लागू कानून और मानकों के अनुपालन के अधीन, बशर्ते कि समान रूप से समान प्रतिबंध, यदि लागू हो, सभी अन्य प्रमुख हवाईअड्डों पर रखे जाते हैं, तो बायल को दिन और रात दोनों समय के दौरान किसी भी समय विमान की लैंडिंग हवाईअड्डे के प्रचालन और टेक-ऑफ की अनुमति देने का हकदार होगा।

#### **8.17 अधिकारियों के लिए प्रवेश**

##### **8.17.1 प्रवेश**

अनुच्छेद 8.17.2 के प्रावधानों के अधीन और बीसीएस के दिशानिर्देशों के अधीन, बायल को साइट और / या हवाईअड्डे के सभी हिस्सों को ऐसे व्यक्तियों तक पहुंच प्रदान करने का अधिकार होगा जैसा वह निर्धारित करेगा।

##### **8.17.2 न्यूनतम व्यवधान**

इस सीमा तक कि भारत सरकार और / या एएआई को इस तरह की पहुंच प्रदान की गई है और संबंधित व्यक्तियों द्वारा इस तरह की पहुंच और सुविधाओं का उपयोग और उपयोग किया जाएगा ताकि हवाईअड्डे का प्रचालन निर्माण, आरंभ, पूरा होने, विकास, रखरखाव और किसी भी व्यवधान का कारण न हो।

## अनुसूची 9

### 9 प्रचालन और रखरखाव की निगरानी

#### 9.1 प्रदर्शन के मानक

पार्टियां हवाईअड्डे के माध्यम से यात्रा करने के समग्र अनुभव के साथ यात्रियों की ओर से संतुष्टि सुनिश्चित करना चाहती हैं और स्वीकार करती हैं कि यह अनुभव विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं को प्रदान करने के लिए बातचीत करने वाले निकायों का एक परिणाम है। बायल मुख्य रूप से हवाईअड्डे पर सेवाओं के प्रावधान के लिए जिम्मेदार है और हवाईअड्डे पर सुविधाओं, मानकों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा।

#### 9.2 प्रदर्शन मानकों की निगरानी

9.2.1 इस समझौते की अवधि के दौरान, हवाईअड्डे के प्रदर्शन की निगरानी यात्री सर्वेक्षण द्वारा इस अनुच्छेद 9 के अनुसार की जाएगी। हवाईअड्डे के प्रदर्शन को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड आईएटीए ग्लोबल एयरपोर्ट निगरानी सेवा के मानक अनुसूची 9, भाग 2 में निर्धारित किए जाएंगे या ऐसे मानदंड जो समय-समय पर ("मानक") पर परस्पर सहमत हो सकते हैं।

9.2.2 बायल आईएटीए सर्वेक्षणों में भाग लेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वर्ष हवाईअड्डे के प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिए आईएटीए की आवश्यकताओं के अनुसार एक सर्वेक्षण आयोजित किया जाए। इस तरह का पहला सर्वेक्षण हवाईअड्डे के उद्घाटन के बाद तीसरे (तीसरे) वर्ष के दौरान आयोजित किया जाएगा।

9.2.3 यदि तीन (3) लगातार सर्वेक्षणों से पता चलता है कि एयरपोर्ट लगातार बायल के प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत सेवा मानकों के संबंध में मूल्यांकन किया गया है, तो आईएटीए की रेटिंग साढ़े तीन से कम (3.5) (वर्तमान IATA पैमाने में 1 से 1) 5), बीआईएएल हवाईअड्डे के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगा जिसे एक (1) वर्ष के भीतर लागू किया जाना चाहिए।

9.2.4 यदि हवाईअड्डे पर एक और (1) वर्ष के लिए आईएटीए की रेटिंग तीन (साढ़े तीन) (3.5 के वर्तमान आईएटीए पैमाने में) से कम होने के लिए जारी रखा जाता है, तो बीआईएएल के तहत सेवा मानकों के संबंध में प्रत्यक्ष नियंत्रण, भारत सरकार हवाईअड्डे के प्रदर्शन को सुधारने के लिए बायल को एक और कार्य योजना बनाने का निर्देश दे सकता है जिसे एक (1) वर्ष के भीतर लागू किया जाना चाहिए।

9.2.5 बायल को ऐसी कार्य योजना का निर्माण करने में विफल होना चाहिए या यदि हवाईअड्डे को बायल के प्रत्यक्ष नियंत्रण में सेवा मानकों के संबंध में मूल्यांकन करना जारी रहता है, जैसा कि वर्ष के संबंध में किए गए सर्वेक्षण में साढ़े तीन (3.5) से कम है। इस तरह की कार्य योजना के कार्यान्वयन के बाद, भारत सरकार को रेटिंग में सुधार करने में बायल की सहायता करने के

लिए अनुच्छेद 8.2 में निर्दिष्ट संयुक्त समन्वय समिति में भाग लेने वाले प्रासंगिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे हर्जाना और / अथवा दे। रेटिंग में गिरावट के लिए खाते के कारकों को ध्यान में रखते हुए, तरल क्षति की मात्रा पर चर्चा की जाएगी और पार्टियों के बीच सहमति व्यक्त की जाएगी।

- 9.2.6 ऊपर अनुच्छेद 9.2.5 के अनुसार किसी भी परिसमाप्त नुकसान का भुगतान हवाईअड्डा विकास निधि में किया जाएगा। हवाईअड्डे के विकास कोष से प्राप्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के निर्देश पर हवाईअड्डे पर सुधार के लिए किया जाएगा।
- 9.2.7 यदि हवाई सर्वेक्षण में बायल के खराब प्रदर्शन के कारण बायल के सीधे नियंत्रण में सेवा मानकों के संबंध में हवाईअड्डे को साढ़े तीन (3.5) (वर्तमान आईएटीए पैमाने में 1 से 5) से कम दर्जा दिया जाना जारी है। तारीख के बाद दो (2) वर्षों के संबंध में कि बायल पहले इस तरह के तरल नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, भारत सरकार को इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा।
- 9.2.8 वर्तमान आईएटीए पैमाने में परिवर्तन होने पर, पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि इस अनुच्छेद 9.2 में चिन्हित रेटिंग के समतुल्य स्तर लागू किए जाएंगे। बायल तीन से साढ़े तीन (3.5) (1 से 5 के वर्तमान आईएटीए पैमाने में) से अधिक के मानक प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा।
- 9.2.9 तारीख से आईआरए के पास मानकों और दंडों की समीक्षा, निगरानी और सेट करने की शक्ति है और हवाईअड्डे पर ऐसी किसी भी संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए, बायल को अनुच्छेद 9.2.1 से 9.2.7 के प्रावधानों के अनुपालन करने के लिए आईआरए द्वारा तैयार किए गए ऐसे सभी नियमों के साथ अनुपालन की आवश्यकता होगी।
- 9.2.10 उपर्युक्त अनुसूची में 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5 और 9.2.7 के बावजूद, भारत सरकार की रेटिंग 3.5 के साथ किसी भी अन्य प्रमुख हवाईअड्डे के संबंध में रियायत समझौते (ओं) का निष्कर्ष है। भारत सरकार द्वारा रियायत समझौते की समाप्ति के प्रयोजनों के लिए, तो इस अनुच्छेद 9 के प्रयोजनों के लिए रेटिंग 3.5 रहेगी। हालाँकि, यदि भारत सरकार द्वारा किसी अन्य मेजर एयरपोर्ट (s) की रेटिंग 3.5 से कम और 3 से कम नहीं है, तो भारत सरकार द्वारा रियायत समझौते को समाप्त करने के लिए रेटिंग के अनुसार भारत सरकार रियायत समझौता (ओं) का निष्कर्ष निकालती है। इस अनुच्छेद 9 के लिए रेटिंग लागू की जाएगी।

### 9.3 रिकॉर्ड्स

सभी लागू कानून के अनुपालन के अधीन, बायल एक रखरखाव मैनुअल सहित "हवाईअड्डे के डिजाइन, निर्माण, पूर्णता, कमीशनिंग, रखरखाव, संचालन, प्रबंधन और विकास के संबंध में पूरा रिकॉर्ड रखेगा और सभी पहलुओं के" निर्मित "ड्राइंग" हवाईअड्डे और उन्हें उचित नोटिस पर निरीक्षण के लिए और सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान भारत सरकार के नियम और शर्तों के अनुपालन के लिए भारत सरकार द्वारा सत्यापन के प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराएंगे और इसके लिए प्रतियां भारत सरकार को (भारत सरकार की लागत पर) प्रस्तुत की जाएंगी।

## अनुसूची 10

### 10 प्रभार

#### 10.1 प्रभार लगाने के अधिकार वाले पक्ष

लागू कानून के अधीन, कोई व्यक्ति (बीआईएएल के अलावा, किसी भी सेवा प्रदाता राइट होल्डर ने एक प्रासंगिक सेवा प्रदाता अधिकार या एएआई प्रदान नहीं किया है) किसी भी सुविधाओं या / या के हवाईअड्डे पर प्रावधान के संबंध में कोई शुल्क या शुल्क (ए) लगा सकता है। हवाईअड्डे की गतिविधियों या या हवाईअड्डे या साइट पर वाहनों का आवागमन (ख) में यात्रियों की आवाजाही के संबंध में सेवाएं शामिल हैं,

#### 10.2 हवाईअड्डा प्रभार

10.2.1 अनुसूची 6 ("विनियमित शुल्क") में निर्दिष्ट हवाईअड्डा प्रभार आईसीएओ नीतियों के अनुरूप होगा।

10.2.2 अनुसूची 6 में निर्धारित विनियमित प्रभार हवाईअड्डे पर सांकेतिक प्रभार होंगे। हवाईअड्डे के उद्घाटन से पहले बायल को विनियमित प्रभार के लिए नागर विमानन मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी, जो अंतिम लेखा परीक्षित परियोजना लागत पर आधारित होगा। नागर विमानन मंत्रालय, अनुच्छेद 10.2.1 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुपालन में प्रस्तावित विनियमित शुल्क के अधीन, बायल द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे आवेदन की तिथि के साथ (60) दिनों की अवधि के भीतर अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा। ।

10.2.3 यदि किसी तारीख से पहले आईआरए के पास ऐसे आरोपों को संशोधित करने के लिए विनियमित शुल्क बायल को मंजूरी देने की शक्ति है, तो ऐसे संशोधनों के लिए नागर विमानन मंत्रालय से सहमति लेनी होगी। नागर विमानन मंत्रालय, अनुच्छेद 10.2.1 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुपालन में प्रस्तावित आरोपों के अधीन होगा, इस तरह के संशोधनों की स्वीकृति बायल द्वारा साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर आवेदन की तारीख से दी जा रही है।

10.2.4 जिस तिथि से आईआरए के पास विनियमित प्रभार को स्वीकृत करने की शक्ति है, बीआरए को आईआरए से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में बायल, आईआरए द्वारा प्रस्तुत किसी भी नियमों के अनुसार, आईआरए को प्रस्तुत करेगा, इस तरह की जानकारी के साथ-साथ अगली सफल प्रासंगिक अवधि के लिए लगाए जाने वाले प्रस्तावित प्रभार का विवरण जैसे कि आईआरए की समीक्षा के लिए आवश्यकता हो सकती है। जब तक कि (i) प्रारंभिक चरण के संबंध में बकाया ऋण चुका दिया गया है और (ii) पंद्रह (15) वित्तीय बंद से वर्ष तक अन्यथा अनुमोदित प्रभार वाले पार्टियों के बीच लिखित रूप में सहमति न हों, अनुच्छेद 10.2.1 में उल्लिखित सिद्धांतों का अनुपालन करेगा।

### 10.3 अन्य प्रभार

बीआईएएल और / या सेवा प्रदाता राइट होल्डर्स एयरपोर्ट या साइट पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के संबंध में लगाए जाने वाले शुल्कों को निर्धारित करने के लिए किसी भी प्रतिबंध के बिना मुक्त होंगे, सुविधाओं और सेवाओं के अलावा अन्य जिनके संबंध में विनियमित शुल्क लगाया जाता है।

### 10.4 कर का भुगतान

लागू कानून के अनुसार, सभी बकाया कर बायल द्वारा देय हो सकते हैं, बायल द्वारा किसी भी पार्टी को ऋणदाताओं सहित किसी भी संवितरण से पहले प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

## 11 बीमा अनुरक्षण

### 11.1 रियायत अवधि के दौरान बीमा

बॉयल द्वारा वित्तीय करारों के अंतर्गत अनुसूची 11 में निर्धारित किए गए अपेक्षित बीमों तथा बॉयल द्वारा औचित्यपरक अथवा उत्तम औद्योगिक व्यवहारों के अंतर्गत प्रजायुक्त अपेक्षित किए गए अतिरिक्त बीमों के नियोजन तथा अनुरक्षण के कार्य स्वयं अपनी लागत पर निष्पादित किए जाएंगे।

### 11.2 पॉलिसियां

अनुच्छेद 11.1 के अंतर्गत अपेक्षित एवं अनुरक्षित किए जाने वाले बीमों से संबंधित बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्रों की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर बॉयल द्वारा ऐसी पॉलिसी प्रमाणपत्रों की प्रतियां तथा ऐसे बीमों के बीमा प्रीमियम का भुगतान किए जाने के प्रमाण भारत सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे। किसी बीमा को रद्द, संशोधित अथवा नवीकरण न करवाए जाने के संबंध में बॉयल द्वारा भारत सरकार को दिए जाने वाले कम से कम पैंतालिस (45) दिन के नोटिस की अवधि समाप्त होने तक कोई भी बीमा निरस्त, रद्द, संशोधित नहीं किया जाएगा अथवा इसे कालातीत अथवा समाप्त नहीं होने दिया जाएगा।

### 11.3 बीमा न करवाए जाने की स्थिति में किए जाने वाले उपाय

इसमें दिए गए उत्तरदायित्वों के अनुसार किन्हीं स्थितियों में बॉयल द्वारा सभी बीमों को प्रभावी एवं प्रवृत्त न किए जाने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा किन्हीं भी बीमों प्रवृत्त करवाकर उसके प्रीमियम का भुगतान किया जा सकेगा तथा उसकी लागतों की वसूली बॉयल से की जा सकेगी।

### 11.4 बीमा से प्राप्त आय की उपयोज्यता

ऋणदाताओं के साथ किए जाने वाले करार की शर्त पर भौतिक क्षति से असम्बद्ध बीमा प्राप्तियों के अलावा बॉयल को चुकता किए जाने वाले सभी बीमा दावों का उपयोग हवाईअड्डे के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा।

## अनुच्छेद 12

### 12 लेखा तथा लेखापरीक्षा

बॉयल द्वारा अपनी आय एवं व्यय, प्राप्तियों तथा भुगतानों, एवं परिसम्पतियों तथा देयताओं के रिकार्ड का लेखा बहियों में अनुरक्षण लागू विधान के अंतर्गत किया जाएगा। इसके द्वारा भारत सरकार को तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उसके संबंध में जारी रिपोर्ट की दो (2) प्रतियां यथाशीघ्र उपलब्ध करवाई जाएंगी।

**भाग V**

**प्राकृतिक आपदा एवं समापन**

## अनुच्छेद 13

### 13 प्राकृतिक आपदा एवं समापन

#### 13.1 प्राकृतिक आपदा

इस करार के अंतर्गत किसी पक्षकार ("प्रभावित पक्षकार") के दायित्वों का निष्पादन प्राकृतिक आपदा के कारण से पूर्ण अथवा आंशिक रूप में बाधित, अवरूद्ध अथवा विलम्बित होने की स्थिति में अनुच्छेद 13 लागू होगा।

#### 13.2 प्राकृतिक आपदा के परिणाम

##### 13.2.1 निष्पादन दायित्व

परन्तु, अनुच्छेद 13.2.2 का अनुपालन होने की स्थिति में इस करार के अंतर्गत अथवा के आधार पर अनुपालन न हो पाने अथवा अनुपालन में देरी होने के प्रति कोई भी पक्षकार न तो उत्तरदायी होगा और न ही उससे, इस करार के अंतर्गत प्रतिपक्षी पक्षकार द्वारा किया जाने वाला निष्पादन प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बाधित, अवरूद्ध अथवा विलम्बित होने के कारण से, अपने दायित्वों का निर्वाह किए जाने की अपेक्षा ही होगी तथा विशेषतः, परन्तु परिसीमा के बिना, ऐसे किसी दायित्व के निष्पादन के लिए अनुमत्त समय (अनुच्छेद 7.5 के अंतर्गत, परिसीमा के बिना, अपेक्षित हवाई अड्डा प्रारम्भ किए जाने की तिथि के लक्ष्य की प्राप्ति सहित) को तदनुसार विस्तारित किया जाएगा।

##### 13.2.2 अधिसूचना

किसी पक्षकार द्वारा प्राकृतिक आपदा की स्थिति का उपयोग इसमें उल्लिखित किसी दायित्व के निष्पादन में देरी होने अथवा असफल होने के कारण से किए जाने की मंशा की स्थिति में उसे प्राकृतिक आपदा प्रारम्भ होने की तिथि से औचित्यपरक रूप से व्यवहार्य तिथि, जो 72 घंटे से अधिक न हो, को अन्य पक्षकार को प्राकृतिक आपदा की स्थिति, संभावित अवधि एवं तिथि की जानकारी लिखित रूप में दी जाएगी। प्राकृतिक आपदा को ऐसी देरी को कारण के रूप में उपयोग करने वाले पक्षकार को प्राकृतिक आपदा की घटना घटित होने के संबंध में दिए गए नोटिस की तिथि से औचित्यपरक समय में अन्य पक्षकार को निष्पादन के संदर्भ में ऐसी देरी अथवा असमर्थता तथा इस पर लगने वाले समय के संभावित प्रभाव की प्रकृति से संबंधित पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

##### 13.2.3 न्यूनीकरण

प्रभावित पक्षकार द्वारा प्राकृतिक आपदा की घटना के प्रभाव को न्यून तथा कम से कम करके इसके प्रभाव से बचाव के लिए प्रत्येक औचित्यपरक प्रयास किए जाएंगे।

### 13.3 व्यतिक्रम

#### 13.3.1 बाँयल द्वारा व्यतिक्रम किए जाने

नीचे उल्लिखित प्रत्येक घटना "बाँयल द्वारा किया गया व्यतिक्रम" माना जाएगा:

इस अनुच्छेद के 13.3.1 में अन्यथा व्यवस्था किए जाने के अलावा यदि बाँयल द्वारा करार के प्रति सामग्रीगत उल्लंघन किया गया है तथा ऐसे उल्लंघन, यदि उपचार योग्य हैं, के प्रति बाँयल द्वारा ऐसा उल्लंघन घटित होने के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त नोटिस की तिथि से एक सौ तथा बीस (120) दिन के भीतर उपचारात्मक कार्रवाई की गई है। पक्षकारों द्वारा यह व्यक्त सहमति दी गई है कि शेयरधारक करार के अनुसरण में केएसआईआईडी को अंतरण किए जाने की स्थिति के अलावा अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत शेयरों के किन्हीं अंतरण के प्रति उल्लंघन बाँयल द्वारा किया गया व्यतिक्रम माना जाएगा;

- (ii) यदि हवाईअड्डा खोले जाने की लक्षित तिथि के बारह (12) माह के पश्चात आने वाली तिथि हवाईअड्डा नहीं खोला गया है;
- (iii) यदि, हवाईअड्डा खोले जाने के पश्चात बाँयल द्वारा भारत सरकार से लिखित सहमति प्राप्त किए बिना चौदह (14) क्रमानुगत दिनों अथवा किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान तीस (30) औसत दिनों में प्रचालन (किसी लोप अथवा किसी त्रुटि के कारण) नहीं किए जाते हैं;
- (iv) यदि, भारत सरकार अथवा उसकी ओर से किए जाने वाले अनुरोध के इक्कीस (21) दिनों में इस करार के अंतर्गत बकाया तथा देय किसी राशि का भुगतान चुकता नहीं किया गया है;
- (v) बाँयल के प्रति ऋणशोधन, दिवालिया अथवा विघटन के आदेश जारी किए गए हैं अथवा संकल्प पारित किए जाने, जिनका निवर्हन, यदि इसके प्रति योग्य हैं, नहीं हुआ है अथवा उसके पश्चात नब्बे (90) दिनों की अवधि के भीतर रद्द, जैसा भी मामला हो, कर दिए गए हैं; ;
- (vi) यदि बाँयल द्वारा इस करार के अंतर्गत दी गई कोई सामग्रीगत प्रस्तुति अथवा वारंटी गलत पाई गई है; तथा
- (vii) बाँयल द्वारा अनुच्छेद 9.2.7 के अंतर्गत सहमत मानकों को पूरा नहीं किया गया है।

बशर्ते यह कि ऊपर पैराग्राफ (i) से (iii) तथा (vii) में उल्लिखित स्थितियां यदि अनुच्छेद 7.5 के परन्तुक, उक्त परन्तुक के पैराग्राफ (iv) एवं (v) में किए गए विनिर्देशन के अलावा, में विनिर्दिष्ट स्थितियों के परिणाम तथा/अथवा फलस्वरूप हुई हैं तो ये बाँयल द्वारा की गई चूक का कारण नहीं होंगी।

### 13.3.2 भारत सरकार द्वारा की जाने वाली चूक की स्थितियां

नीचे उल्लिखित प्रत्येक "भारत सरकार द्वारा की गई चूक की स्थिति" होगी :

- (i) इस अनुच्छेद 13.3.2 में किए गए अन्यथा उल्लेख के अलावा यदि भारत सरकार द्वारा किए गए इस करार के उपबंधों के उल्लंघन की प्रकृति सामग्रीगत हैं तथा जिनसे बॉयल के अधिकारों अथवा दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है, तथा ऐसे उल्लंघन, यदि उपचार योग्य हैं, का उपचार, बॉयल से ऐसे ऐसे उल्लंघन के घटित होने के उल्लेख के साथ भारत सरकार द्वारा नोटिस प्राप्त किए जाने की तिथि से एक सौ तथा बीस (120) अनुगामी दिनों के भीतर कर लिया गया है;
- (ii) यदि भारत सरकार द्वारा इस करार के अंतर्गत बकाया तथा देय किसी राशि का भुगतान बॉयल अथवा बॉयल की ओर से अनुरोध प्राप्त होने के इक्कीस (21) दिनों के भीतर नहीं किया गया है;
- (iii) यदि भारत सरकार द्वारा इस करार के अंतर्गत दी गई कोई सामग्रीगत प्रस्तुति अथवा वारंटी गलत पाई गई है; तथा
- (iv) अनुच्छेद 15.4 तथा अनुच्छेद 15.5 में निर्धारित की गई किसी स्थिति के घटित होने की स्थिति में यदि अनुच्छेद 15.4 तथा 15.5 के उपबंधों के अनुसार बॉयल द्वारा मुआवजे के लिए किए गए दावों का बकाया अनुच्छेद 15.6 में निर्धारित अधिकतम मुआवजा राशि से अधिक हो। इस पैराग्राफ (iv) के उद्देश्य से बॉयल द्वारा किए जाने वाले बकाया दावों में ऐसा कोई दावे शामिल नहीं होंगे जिनका पूर्ण मुआवजा अनुच्छेद 15.4 तथा अनुच्छेद 15.5 के अनुसरण में दिया गया है। अनुच्छेद 15.4 तथा अनुच्छेद 15.5 में किए गए निर्धारण के अनुसार, इन अनुच्छेदों के उपबंधों के अंतर्गत बॉयल को भुगतान करने के स्थान पर, इस अनुच्छेद 13.3.2 के अनुसरण में भारत सरकार को किसी भी समय बॉयल से करार को समाप्त करने का अनुरोध करने का अधिकार प्राप्त है;
- (v) यदि भारत सरकार के निदेशों पर सीएनएस / एटीएम करार को समाप्त किया गया है।

### 13.4 चूक के परिणाम

**13.4.1** बॉयल द्वारा की गई चूक की स्थिति में भारत सरकार को ऐसी चूक की सूचना बॉयल को देने तथा औचित्यपरक अवधि, जो एक सौ बीस दिन (120) से कम न हो, में इसका उपचार करने (यदि ऐसी चूक उपचार के योग्य है) की अपेक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसी अवधि की समाप्ति के अंत तक यदि उल्लंघन के प्रति उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो भारत सरकार अथवा इसके द्वारा पदनामित किसी इकाई को बॉयल को करार समाप्त करने का नोटिस जारी करने का अधिकार, परन्तु जिसकी अपेक्षा नहीं है, प्राप्त है। भारत सरकार द्वारा करार समाप्ति के अधिकार का उपयोग किए जाने की स्थिति में भारत सरकार को नीचे अनुच्छेद 13.5 में विहित विधि से अंतरण का भुगतान, जिसकी राशि करार समाप्ति राशि के समतुल्य है, किए जाने की तिथि से, जो ऐसा समाप्ति आदेश जारी किए जाने की तिथि से 180 दिन से अधिक नहीं होगी, बॉयल के सभी अधिकार, शीर्ष एवं हवाईअड्डे में एवं उससे सम्बद्ध हितों का अधिग्रहण किया जा सकेगा। "करार समाप्ति राशि" से ऋण (अनुच्छेद 7.2 के अनुसरण में किया गया गणन) की वह एक सौ प्रतिशत (100%) राशि अभिप्रेत है जिसमें से बॉयल को प्राप्त बीमा की राशि अथवा बॉयल द्वारा की गई चूक की स्थिति, जिसके परिणामस्वरूप इस अनुच्छेद 13.4.1 के अंतर्गत करार समाप्त किया गया है, के पश्चात से दावों के लिए बकाया अथवा बॉयल को चुकता की गई राशि को घटाई गई है।

**13.4.2** भारत सरकार द्वारा की गई चूक की स्थिति में बॉयल को ऐसी चूक की सूचना भारत सरकार को देने तथा औचित्यपरक अवधि, जो एक सौ बीस दिन (120) से कम न हो, में इसका उपचार करने (यदि ऐसी चूक उपचार के योग्य है) की अपेक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। नोटिस के माध्यम से सूचित की गई ऐसी अवधि की समाप्ति के अंत तक यदि उल्लंघन के प्रति उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो बॉयल को भारत सरकार को करार समाप्त करने का नोटिस जारी करने का अधिकार, परन्तु जिसकी अपेक्षा नहीं है, प्राप्त है। बॉयल द्वारा करार समाप्ति के अधिकार का उपयोग किए जाने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा नीचे अनुच्छेद 13.5 के विहित विधि से अंतरण का भुगतान, जिसकी राशि (i) समाधान राशि (अनुच्छेद 7.2 के अनुसरण में आकलित) अथवा (ii) ऋण (अनुच्छेद 7.2 के अनुसरण में आकलित) के एक सौ प्रतिशत (10%) के समतुल्य होगी जिसमें से बॉयल को प्राप्त बीमा की राशि अथवा भारत सरकार द्वारा की गई चूक की स्थिति, जिसके परिणामस्वरूप इस अनुच्छेद 13.4.2 के अंतर्गत करार समाप्त किया गया है, के पश्चात से दावों के लिए बकाया अथवा बॉयल को चुकता की गई राशि को घटाई जानी है, किए जाने की तिथि से, जो ऐसा समाप्ति आदेश जारी किए जाने की तिथि से 180 दिन से अधिक नहीं होगी, बॉयल के सभी अधिकार, शीर्ष एवं हवाईअड्डे में एवं उससे सम्बद्ध हितों का अधिग्रहण नीचे अनुच्छेद 13.5 में दी गई विधि से किया जा सकेगा।

### **13.5 हवाईअड्डे का अंतरण**

**13.5.1** इस करार के अनुच्छेद 13.4 के अंतर्गत भारत सरकार अथवा बॉयल द्वारा समाप्ति के अधिकार का उपयोग किए जाने की स्थिति में, बॉयल के मुआवजे से संबंधित किन्हीं अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अंतरण तिथि को बॉयल की सभी परिसम्पतियों का अंतरण भारत सरकार अथवा नामिती को किसी भी भुगतान के बिना (अनुच्छेद 13.4.1 अथवा अनुच्छेद 13.4.2 में निर्दिष्ट राशियों के भुगतान के अलावा, जैसा भी मामला हो) तथा नीचे अनुच्छेद 13.5.3 में की गई व्यवस्था के अनुसार किसी सुरक्षा तथा उसमें निहित किसी ऋण भार एवं देयता के बिना, किया जाएगा। किसी भी प्रकार के संदेह के निवारण के लिए निम्नलिखित, जो सीमित नहीं है, शामिल किया जाएगा :

(i) सभी बॉयल की सभी अचल, चल एवं अमूर्त परिसम्पतियां (जिनमें बौद्धिक सम्पदा, योजनाएं, डिजाइन तथा ड्राइंग्स शामिल हैं), भंडार, सामग्रियां, वाहन तथा कलपुर्जे;

(ii) इस करार के प्रावधानों के अंतर्गत बॉयल तथा अन्य किसी सेवा प्रदाता अधिकार धारक (करारों अथवा अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत अथवा अनुसरण में भारत सरकार की अपेक्षाओं के अनुसार) के सभी करारों तथा अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत अथवा अनुसरण में सभी अधिकार तथा दायित्व; तथा

(iii) बॉयल के साथ किए गए सभी अन्य करारों (संदेह उन्मूलन के लिए किए गए बीमा करार, गारंटियां एवं वारंटियां) (जो भारत सरकार की दायित्व से संबंधित अपेक्षा के अनुसार ऐसे करारों के अंतर्गत अथवा अनुसरण में किए गए हैं)

**13.5.2** अनुच्छेद 13.5.1 में कुछ भी उल्लेख होते हुए भी, हवाईअड्डे का अंतरण किए जाने से पूर्व, भारत सरकार को गैर-हवाईअड्डा क्रियाकलापों से संबंधित करारों तथा अनुबंधों की विधिवत प्राक्कलन का संचलन करने का अधिकार है जिसके अधिकारों तथा दायित्वों के संबंध में ऐसा किया जाना आवश्यक माना गया है तथा भारत सरकार के एकल मत के अनुसार अतर्कसंगत दूभर माने गए अधिकारों तथा दायित्वों के संबंध में ऐसा किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा तथा ऐसे करारों को उनके निष्पादन की तिथि से दूभर माना जाएगा। भारत सरकार द्वारा विधिवत प्राक्कलन किया जाएगा तथा ऐसे करारों तथा अनुबंधों को संज्ञान में लिया जाएगा जिनके संबंध में, अनुच्छेद 13.4 के अंतर्गत भारत सरकार अथवा बाँयल द्वारा समाप्ति के अधिकार के लिए गए उपयोग के पश्चात, वह बाँयल द्वारा एक डेटा कक्ष को खोले जाने के 45 दिनों के भीतर कार्रवाई के प्रति तत्पर है। उन संदेहों, भारत सरकार द्वारा गैर-हवाईअड्डा क्रियाकलापों को हस्तगत किए जाने की स्थिति में, से बचाव के लिए जो भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 7.2 के अनुसरण में अनुमोदित नहीं किए गए हैं, करार समाप्ति राशि अथवा समाधान राशि के आकलन में निवेश, ऐसे गैर-हवाईअड्डा क्रियाकलापों की राशियां अथवा लागतें शामिल होंगी।

**13.5.3** इस अनुच्छेद 13.5 में कुछ भी उल्लेख होते हुए भी अंतरण की तिथि से पूर्व की गई अथवा नहीं की गई कार्रवाईयों के कारण बाँयल अथवा हवाईअड्डे से सम्बद्ध किसी भी दायित्व (उपचय अथवा आकस्मिक) को प्राक्कलित अथवा भारत सरकार अथवा इसके नामिती को अंतरित किया जाएगा। भारत सरकार अथवा इसके नामिती केवल अंतरण तिथि के पश्चात से उत्पन्न होने वाली दायित्वों के संबंध में ही उत्तरदायी होंगे।

**13.5.4** भारत सरकार द्वारा की गई चूक की स्थिति में बाँयल द्वारा उत्तम उद्योग व्यवहार का अनुसरण करते हुए यह सुनिश्चय किया जाएगा कि अनुच्छेद 13.5.1 में संदर्भित प्रत्येक सम्पत्ति, परिसम्पत्ति, अधिकार तथा अन्य मर्दें, जो भारत सरकार के स्वामित्व की हैं तथा जिन्हें भारत सरकार को कार्यशील स्थिति में तथा मरम्मत के पश्चात अच्छी स्थिति में अच्छे प्रचालन क्रम में गोइंग कंसर्न के रूप में अंतरित किया जाना है, परन्तु बाँयल द्वारा अपने अनुरक्षण दायित्वों का निर्वाह किए जाने की स्थिति में इन प्रावधानों का अनुपालन संतोषजनक माना जाएगा।

### **13.6 समापन पूर्व दायित्व**

इस करार की अवधि समाप्ति अथवा समाप्ति बाद में भारत सरकार तथा/अथवा बाँयल (अथवा जो तत्पश्चात किसी क्रिया अथवा अकराण के कारण ऐसी अवधि समाप्ति अथवा समाप्ति से पूर्व उपार्जित हो सकते हैं) को उपार्जित उन अधिकारों तथा दायित्वों के प्रति किसी भी अपकार तथा उन प्रावधानों, जिनकी अभिव्यक्ति दायित्वों को जारी रखने के लिए की गई है अथवा जिनसे ऐसी अवधि समाप्ति अथवा समाप्ति के परिणामस्वरूप अवधि समाप्ति अथवा समाप्ति के प्रभाव होने की अपेक्षा है, के किसी भी अपकार से मुक्त होगी।

## 13.7 अवधि

**13.7.1** यदि यह करार अनुच्छेद 4.3.1, अनुच्छेद 13.4 अथवा पक्षकारों के मध्य किसी लिखित आपसी सहमति के अंतर्गत पूर्व में समाप्त नहीं किया गया है तो यह करार अपने पूर्ण प्रभाव के साथ तथा अनुच्छेद 4 के अंतर्गत प्रारम्भ की प्रभावी तिथि से हवाईअड्डा खोले जाने की तीसवीं (30वीं) वार्षिकी तक जारी रहेगा तथा इसके पश्चात इस करार की कालावधि में बाँयल के विकल्प के अनुसार अगले तीस (30) वर्ष की आगे की अवधि का विस्तार किया जा सकेगा जो करार के निम्नलिखित अनुच्छेदों की प्रबलता तथा प्रभाव हवाईअड्डा खोले की तिथि की वार्षिकी : 5.1.2 (भारत सरकार के दायित्व), 5.5 (विद्यमान हवाईअड्डा), 7.7 (कमीशनिंग), 8.17.2 (न्यूनतम लोप), 10.2 (हवाईअड्डा प्रभार), तथा 15.5 (कानून में बदलाव) प्रभावी न होने की शर्त पर किया जा सकेगा।

बाँयल को किसी भी समय हवाईअड्डे की सत्ताईसवीं (27वीं) वार्षिकी से पूर्व रियायत करार की उक्त अवधि को तीस (30) वर्ष के लिए विस्तारित करने का विकल्प प्राप्त है। बाँयल द्वारा करार की अवधि को विस्तारित करने के विकल्प का उपयोग न किए जाने की स्थिति में यह रियायत करार हवाईअड्डा खोले जाने की तिथि की तीसवीं (30वीं) वार्षिकी को कालातीत होगा तथा भारत सरकार अथवा उसके नामिती द्वारा बाँयल के अधिकारों, शीर्ष एवं हवाईअड्डे से सम्बद्ध हितों का अधिग्रहण, बाँयल को अनुच्छेद 13.54 में निर्दिष्ट विधि के अनुसरण में नीचे दिए गए औसत के अनुसार भुगतान का अंतरण किए जाने की तिथि से, किया जा सकेगा :-

- (i) बाँयल की निगमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूंजी के अंकित मूल्य का एक सौ प्रतिशत (100%); तथा
- (ii) ऋण का एक सौ प्रतिशत (100%) ।

**13.7.2** अनुच्छेद 13.7.1 के अंतर्गत इस करार की अवधि में विस्तार किए जाने की स्थिति में पक्षकारों द्वारा हवाईअड्डा खोले जाने की तिथि की पचपनवीं (55वीं) वार्षिकी ककी समाप्ति से पूर्व इस करार की अवधि में विस्तार के लिए आपसी सहमति के स्वीकार्य नियमों तथा शर्तों के अनुसार संवाद किया जा सकेगा। पक्षकारों के मध्य हवाईअड्डे के विस्तार की अवधि के संशोधित नियमों तथा शर्तों के प्रति हवाईअड्डा खोले जाने की तिथि की सत्तावनवीं (57वीं) वार्षिकी की समाप्ति तक कोई सहमति न हो पाने की स्थिति में नीचे प्रस्तुत अनुच्छेद 13.7.3 में की गई व्यवस्था के अनुसार यह करार हवाईअड्डा खोले जाने की तिथि की साठवीं (60वीं) वार्षिकी को कालातीत होगा तथा भारत सरकार अथवा उसके नामिती द्वारा बाँयल के अधिकारों, शीर्ष एवं हवाईअड्डे से सम्बद्ध हितों का अधिग्रहण, बाँयल को अनुच्छेद 13.54 में निर्दिष्ट विधि के अनुसरण में बाँयल को ऋण का एक सौ प्रतिशत (100%) के भुगतान का अंतरण किए जाने की तिथि से, किया जा सकेगा

**13.7.3** यदि बाँयल एवं भारत सरकार में हवाईअड्डे को खोले जाने की तिथि की सत्तावनवीं (57वीं) वार्षिकी की समाप्ति तक इस करार के नवीकरण की शर्तों पर कोई सहमति नहीं हो पाती है तो भारत सरकार को किसी तीसरे पक्षकार के साथ संवाद करने का अधिकार होगा परन्तु भारत सरकार द्वारा हवाईअड्डे के संबंध में किसी तीसरे पक्षकार के साथ बाँयल को प्रस्तावित शर्तों की तुलना में अधिक आकर्षक शर्तों पर रियायत करार नहीं किया जाएगा।

### **13.8 समाप्त के अन्य अधिकार**

इस करार को समाप्त करने के संबंध में पक्षकारों के अधिकार केवल उन अधिकारों तक ही सीमित जिनकी अभिव्यक्ति इस करार में की गई है।

### **13.9 उत्तरजीविता**

इस करार की समाप्ति के बावजूद भी अनुच्छेद 13.4, 13.5 तथा 18 पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होंगे।

### **13.10 स्थगन**

भारत सरकार को लिखित में पूर्व नोटिस दिए जाने की शर्त पर बॉयल को अनुच्छेद 7.5 के परन्तुक में निर्दिष्ट स्थितियों की स्थिति आने की स्थिति में निर्माण स्थगित करने तथा / अथवा प्रचालन तथा अनुरक्षण स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

## अनुच्छेद 14

### 14 कार्य निर्धारण एवं सुरक्षा

#### 14.1 कार्य निर्धारण एवं सुरक्षा

**14.1.1** भारत के कानून में किसी प्रकार का परिवर्तन होने, जिससे किसी पक्षकार को इस करार के अंतर्गत कार्य निर्धारण की अनुमति प्राप्त होती हो, पर भी किसी भी पक्षकार द्वारा (अनुच्छेद 14.1.2 के अनुसरण में अनुमति के लिए उपयोग) इस करार के अंतर्गत अथवा इससे उत्पन्न किसी अधिकार अथवा किसी दायित्व अथवा इसमें समाहित किसी लाभ अथवा हित अथवा इस करार के प्रति किसी सुरक्षा का निर्माण करने अथवा अनुमति प्रदान करने अथवा इससे उत्पन्न अथवा इसके अंतर्गत किसी अधिकार अथवा दायित्वों अथवा इसमें समाहित किसी लाभ अथवा हित, के प्रति कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

**14.1.2** ऋणदाताओं को सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से बॉयल को इस करार के अंतर्गत अपने नियत अथवा सभी अधिकारों तथा दायित्वों के निर्धारण तथा अंतरण करने की क्रिया की जा सकेगी जिसके लिए बॉयल द्वारा भारत सरकार को सर्वप्रथम उन ऋणदाताओं की पहचान पस्तुत की जाएगी जिनके प्रति अनुच्छेद में की गई व्यवस्था के अनुसार इस करार के अंतर्गत अपने अधिकारों तथा दायित्वों का निर्धारण एवं अंतरण किए जाने की मंशा है। भारत सरकार को औचित्यपरक रूप में प्रतिक्रिया के माध्यम से ऐसे नोटिस की प्राप्ति के दस (10) दिन की अवधि के भीतर बॉयल को यह सूचित करने का अधिकार प्राप्त है कि उसे बॉयल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एक अथवा ऋणदाताओं को कार्य निर्धारण अथवा अंतरण किए जाने के प्रति आपत्ति है तथा ऐसी स्थिति में बॉयल को इस करार के अंतर्गत अपने अधिकारों तथा दायित्वों का अंतरण भारत सरकार द्वारा सूचित ऋणदाताओं को किए जाने की अनुमति नहीं होगी।

**14.1.3** बॉयल द्वारा वचन दिया जाएगा कि उसके द्वारा इस करार के अंतर्गत अपने सभी अधिकारों तथा दायित्वों, उप-रियायत अथवा अन्यथा विधि से, का प्रत्यायोजन नहीं किया जाएगा।

## अनुच्छेद 15

### 15 दायित्व एवं क्षतिपूर्ति

#### 15.1 बाँयल के दायित्व

बाँयल तथा भारत सरकार (तथा उनके सम्बद्ध कर्मचारियों, सेवकों तथा एजेंटों) के मध्य अनुच्छेद 15.2 तथा अनुच्छेद 13.3 की शर्त पर हवाईअड्डे के डिजाइन, निर्माण, अनुरक्षण तथा हवाईअड्डे के प्रचालन तथा गैर-हवाईअड्डा क्रियाकलापों से किसी उपयोक्ता (उपयोक्ताओं) अथवा अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा अन्यथा द्वारा वहन अथवा व्यय की गई अथवा उससे उत्पन्न अथवा उससे संबंधित किसी भी लागत, व्यय, हानि, उत्तरदेयता अथवा क्षति का वहन बाँयल (तथा इसके कर्मचारियों, सेवकों तथा एजेंटों) द्वारा, एकल रूप में की गई लापरवाही के परिणामस्वरूप, भारत सरकार (अथवा अपने किन्हीं सम्बद्ध कर्मचारियों, एजेंटों तथा/अथवा सेवकों) से किसी अवलंब के बिना, द्वारा ऐसी लागत, व्यय, हानि, उत्तरदेयता अथवा क्षति के परिमाण के अनुसार किया जाएगा।

#### 15.2 विधिक प्रक्रियाओं के संबंध सूचना का आदान प्रदान

इस रियायत करार के संबंध में किसी भी न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल में उनके प्रति किसी भी न्यायिक प्रक्रिया किए जाने की स्थिति में भारत सरकार तथा बाँयल द्वारा आभार के तौर पर दूसरे पक्षकार को सूचना प्रदान की जाएगी।

#### 15.3 सूचना

भारत सरकार तथा बाँयल द्वारा तत्परतापूर्वक, ज्ञात होने के पश्चात औचित्यपरक रूप से जब भी व्यवहार्य हो, एक दूसरे को एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की मांग, दावे, कार्रवाई अथवा प्रक्रिया अथवा संभावित मांग, दावे, क्रिया अथवा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी, जो अनुच्छेद 15.1 तथा 15.2 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के योग्य है, प्रदान की जाएगी। उनके द्वारा एक दूसरे को ऐसी किसी मांग, दावे, कार्रवाई अथवा प्रक्रिया से बचाव के लिए औचित्यपरक सहायता प्रदान की जाएगी।

#### 15.4 भारत सरकार द्वारा की जाने वाली प्रतिपूर्ति

इस करार में की गई व्यवस्था की शर्त पर अनुच्छेद 8.11 (स्लॉट्स), 8.16 (दिन के समय तथा रात्रि के समय प्रचालन) अथवा 10 (हवाईअड्डा प्रभार) के प्रति किसी प्रकार के उल्लंघन अथवा चूक होने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा, बाँयल से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, बाँयल को ऊपर उल्लिखित सभी स्थितियों के प्रति क्षतिपूर्ति की जाएगी तथा अनुच्छेद 15.6 की शर्त पर भुगतान के ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के तीस (30) दिन के भीतर ऐसी स्थिति के परिणाम के परिणाम के तौर पर बाँयल को हानि, लागत व्यय, बाँयल द्वारा प्रत्यक्ष वहन की गई उत्तरदेयता अथवा क्षति के समतुल्य क्षतिपूर्ति की जाएगी, जिससे संबंधित संदेहों के निवारण में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) ऐसी स्थिति के परिणामस्वरूप बॉयल द्वारा अपने किसी भी ठेकेदार अथवा सेवा प्रदाता अधिकार धारक को देय अथवा बकाया अथवा चुकता की गई सभी राशियां;

(ii) ऐसी स्थिति के परिणामस्वरूप बॉयल द्वारा ऋणदाताओं से प्राप्त ऋण की राशि के प्रति देय सभी अतिरिक्त ब्याज, फीस तथा अन्य राशियां ; तथा

(iii) ऐसी स्थिति के परिणामस्वरूप देय अथवा बकाया अथवा चुकता किए गए सभी अतिरिक्त ओवरहेड एवं प्रचालन लागतें।

परन्तु भारत सरकार द्वारा इस अनुच्छेद के अंतर्गत बॉयल से किसी दायित्व के अंतर्गत बकाया भुगतान के प्रति भारत सरकार को देय उन राशियों का समंजन किया जा सकेगा जिनके संबंध में बॉयल द्वारा पूर्व स्वीकृति दी गई है।

परन्तु यह भी कि बॉयल द्वारा ऊपर सूचीबद्ध उस स्थिति के घटित होने की सूचना भारत सरकार को ऐसी स्थिति के घटित होने की जानकारी मिलने के दस (10) दिन की अवधि के भीतर दी जाएगी जिसके प्रति मुआवजे का दावा किया गया है।

### 15.5 कानून में परिवर्तन

कानून में किसी प्रकार का बदलाव होने के परिणामस्वरूप यदि बॉयल को हवाईअड्डे के विकास अथवा प्रचालन की लागतों में किसी ऐसी वृद्धि अथवा कर पश्चात शुद्ध लाभ में कमी अथवा अन्य वित्तीय भार, हानि, देयता अथवा क्षति का सामना करना पड़ता है, जिसका औसत वित्तीय प्रभाव किसी वर्ष में 10 मिलियन रूपए (10,000,000) से अधिक हो तो बॉयल द्वारा इसकी जानकारी भारत सरकार को दी जाएगी तथा इस करार में संशोधन के प्रस्ताव दिए जाएंगे जिससे बॉयल को उसी वित्तीय स्थिति पर स्थापित किया जा से जो इसे ऐसे किसी कानून में बदलाव न होने पर प्राप्त होती जो उपर्युक्तनुसार लागतों में वृद्धि होने, लाभ में कमी आने अथवा अन्य वित्तीय भारों, हानि, देयता अथवा क्षति में परिणत हुई है। बॉयल से सूचना प्राप्त होने के पश्चात, बॉयल से सूचना प्राप्त होने की तिथि से अधिक 30 (तीस) दिन के भीतर पक्षकारों के मध्य औचित्यपरक रूप से व्यवहार्य शीघ्रता से वार्ता की जाएगी तथा इस करार या तो संशोधन किए जाने पर सहमति की जाएगी अथवा आगे के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का कार्यान्वयन किया जाएगा।

बशर्ते यह कि उपर्युक्तानुसार पक्षकारों के मध्य अनुच्छेद के अंतर्गत बैठक से 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर कोई करार न होने की स्थिति में बॉयल द्वारा भारत सरकार को लिखित में सूचना देकर उस राशि के भुगतान की अपेक्षा की जा सकेगी जो बॉयल को कानून में बदलाव न होने की स्थिति के होने में प्राप्त हुई होती जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्तनुसार लागतों में वृद्धि, मुनाफे में कमी तथा अन्य वित्तीय दबाव, हानि, देयता अथवा क्षति हुई है। बॉयल द्वारा जारी किया जाने वाला ऐसा नोटिस समर्थित दस्तावेजों तथा प्रमाणों के साथ दावे का मूल्यांकन किए जाने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा नोटिस एवं प्रमाण प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर ऐसे दावे का भुगतान किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा बॉयल के ऐसे दावे का प्रतिवाद किए जाने की

स्थिति में इसका समाधान इसमें उल्लिखित विवाद समाधान तंत्रव्यवस्था के अनुसरण में किया जाना है।

### **15.6 अधिकतम मुआवजा राशि**

इस करार की अवधि के दौरान अनुच्छेद 15.4 तथा 15.5 के अंतर्गत किसी अथवा सभी दावों के प्रति भारत सरकार का औसत दायित्व एक सौ (100) करोड़ रूपए से अधिक नहीं होगा।

### **15.7 देयता**

पक्षकारों के मतानुसार इस करार में उल्लिखित अधिकार, दायित्व एवं देयताओं का स्वरूप इस करार से अथवा इसके अंतर्गत उत्पन्न होने वाले पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों तथा देयताओं के प्रति विस्तृत होगा। तदनुसार, पक्षकारों के मध्य एक दूसरे के प्रति उत्पन्न होने वाले अथवा प्रस्तुत किसी प्रतिवेदन, वारंटी अथवा वचन पत्र सहित इस करार से संबंधित देयताओं का उपचार इस करार में अभिव्यक्त उपचारों तथा इसके अनुसरण में निष्पादित किसी दस्तावेज एकल एवं विशिष्ट उपचार, कानून अथवा इक्विटी में अन्यथा उपचार उपलब्ध होने के बावजूद भी, होगा।

### **15.8 न्यूनीकरण**

बॉयल द्वारा कानून में बदलाव के कारण हुए प्रतिकूल प्रभाव को न्यून करने के लिए लागू कानून के अनुसरण में प्रत्येक औचित्यपरक उपाय (हवाईअड्डा प्रयोक्ताओं के प्रभार में संभाव्य वृद्धि सहित) किए जा सकेंगे।

## 16 विवाद समाधान

### 16.1 संधि एवं समाधान

पक्षकारों द्वारा अपने सम्बद्ध औचित्यपरक प्रयासों से किसी विवाद, अंतर दावे, प्रश्न अथवा पक्षकारों के मध्य इस करार के अंतर्गत अथवा इस करार ("विवाद") के संबंध में किसी वितर्क का समाधान स्वयं परक्रामण करके सौहार्दपूर्ण रूप में किया जाएगा।

### 16.2 विवाचक के समक्ष प्रस्तुति

विवादों के समाधान के संबंध में, आईआरए विधान में कुछ उल्लेख होने की शर्त पर, दोनों पक्षकारों के मध्य, किसी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को किसी विवाद से संबंधित लिखित नोटिस जारी किए जाने की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर, अनुच्छेद 16.1 के अंतर्गत कोई समाधान न हो पाने की स्थिति में भारतीय विवाचन एवं समाधान अधिनियम, 1996 तथा यूएनसीआईटीआरएएल नियमावली ("नियमावली") के अंतर्गत तीन विवाचकों को नियुक्त किए जाने की विधि से विवाद का विवाचन किया जाएगा। भारतीय विवाचन एवं समाधान अधिनियम, 1996 तथा नियमावली के मध्य मतभिन्नता होने की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान मान्य होंगे।

पक्षकारों द्वारा यह सहमति दी गई है कि अनुच्छेद 10 का उल्लंघन होने की स्थिति में अनुच्छेद के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण केवल इस अनुच्छेद 16.2 के अंतर्गत ही किया जा सकेगा।

### 16.3 विविध

विवाचन का स्थल नई दिल्ली होगा। प्रत्येक पक्षकार द्वारा विवाचन के व्ययों का भुगतान नियमावली के अंतर्गत किया जाएगा तथा लागतों का अंतिम दायित्व विवाचन के निर्णय के उपबंधों के अनुसार होगा। कोई भी विवाचक किसी पक्षकार का विद्यमान अथवा पूर्व कर्मचारी अथवा एजेंट अथवा परामर्शदाता अथवा काउंसिल अथवा किसी भी स्वरूप में किसी पक्षकार से संबंधित अथवा पक्षकारों से निकट सम्पर्कता का नहीं होगा। विवाचन अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा।

### 16.4 निर्णय / अवार्ड

इस अनुच्छेद 16 के अंतर्गत नियुक्त विवाचक ट्रिब्यूनल द्वारा दिया जाने वाला निर्णय अथवा अवार्ड पक्षकारों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। पक्षकार इसके प्रति सहमत हैं कि जारी विवाचक अवार्ड तथा किसी विवाचन अवार्ड (जहां आवश्यक हो) के प्रति सम्बद्ध सक्षम न्यायाधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का प्रवर्तन पक्षकारों द्वारा सम्बद्ध पक्षकार की परिसम्पतियों (अनुच्छेद 18.3 में केवल उन अपवर्जनों के अलावा जो भारत सरकार के संबंध में हैं) के प्रति, जहां भी ऐसी परिसम्पतियां स्थित हों अथवा पाई जाएं, किया जा सकेगा, किया जा सकेगा। पक्षकारों द्वारा किसी विवाचक वार्ड के प्रवर्तन के उद्देश्यों से इसे किसी न्यायाधिकार प्राप्त न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की अभिव्यक्त सहमति दी गई है।

## अनुच्छेद 17

### 17 लोक शिकायतों का निवारण

#### 17.1 शिकायत रजिस्टर

17.1.1 बॉयल द्वारा हवाईअड्डे पर एक जन सम्पर्क कार्यालय की स्थापना की जाएगी जहां इसके द्वारा एक रजिस्टर ("शिकायत रजिस्टर") का रखरखाव किया जाएगा जिसपर प्रत्येक समय शिकायतें दर्ज करने के लिए किसी भी व्यक्ति ("शिकायतकर्ता") की पहुंच हो सकेगी। शिकायत दर्ज होने के तत्काल पश्चात बॉयल द्वारा शिकायत कर्ता को शिकायत संख्या एवं तिथि के उल्लेख के साथ एक रसीद जारी की जाएगी।

17.1.2 शिकायत रजिस्टर सुरक्षित स्थिति में होना चाहिए तथा इसके प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या अंकित होनी चाहिए। इसमें शिकायत संख्या, तिथि, शिकायतकर्ता का नाम पता, शिकायत के सार तथा बॉयल द्वारा की गई कार्रवाई सहित उचित कॉलम होने चाहिए। बॉयल द्वारा शिकायत रजिस्टर को रखे जाने तथा इस तक पहुंच किए जाने से संबंधित सूचना हवाईअड्डे पर उचित स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

#### 17.2 शिकायतों का निवारण

अनुच्छेद 17.3 की शर्त पर बॉयल द्वारा प्रतिदिन शिकायत रजिस्टर की जांच की जाएगी तथा प्रत्येक शिकायत के औचित्यपरक निवारण के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। शिकायत पर की जाने वाली कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा तथा बॉयल द्वारा उससे संबंधित एक उत्तर शिकायत कर्ता को डाक प्रेषण के प्रमाण सहित प्रेषित किया जाएगा।

#### 17.3 आरक्षित क्रियाकलाप

शिकायतकर्ता द्वारा की जाने वाली शिकायत आरक्षित क्रियाकलापों के निष्पादन किए जाने अथवा न किए जाने से संबंधित होने के संबंध में संबद्ध प्राधिकरणों को बॉयल द्वारा सूचना भेजी जाएगी जहां से ऐसी सूचना की प्राप्ति पर प्रत्येक शिकायत के संबंध में त्वरित एवं उचित कार्रवाई की जाएगी। की जाने वाली कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण शिकायत रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए तथा उससे संबंधित विवरण सहित एक उत्तर सम्बद्ध प्राधिकरण तथा शिकायतकर्ता को डाक प्रेषण के प्रमाण सहित भेजा जाना चाहिए।

## 18 विविध

### 18.1 उपचार, छूट, संशोधन तथा अनुकूलता

भारत सरकार अथवा बॉयल की ओर से इस करार के अंतर्गत किसी अधिकार, शक्ति, स्वाधिकार अथवा उपचार की किसी भी क्रिया के निर्वाह के प्रति किसी भी प्रकार की असफलता अथवा उनकी ओर से निर्वाह में देरी की स्थिति को न तो उससे सम्बद्ध किसी प्रकार की छूट माना जाएगा तथा न ही किसी अधिकार, शक्ति, स्वाधिकार अथवा उपचार की एक अथवा आंशिक क्रिया से कोई अन्य क्रिया अथवा उससे संबंधित आगे की क्रिया अथवा किसी अन्य अधिकार, शक्ति, स्वाधिकार अथवा उपचार की क्रिया ही बाधित होगी। यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो तो इस करार में उपलब्ध अधिकार, शक्तियां, स्वाधिकार एवं उपचार संचयी नहीं होंगे तथा न ही ये किसी अधिकार, शक्तियों, स्वाधिकारों अथवा उपचारों से विलग (कानून अथवा अन्य व्यवस्था व्यवस्थित होने पर भी) होंगे।

### 18.2 संशोधन, छूट तथा अनुकूलता

#### 18.2.1 संशोधन

(i) इस करार के किसी प्रावधान में संशोधन, पूरक व्यवस्था अथवा संशोधन केवल पक्षकारों द्वारा लिखित करार पर हस्ताक्षर करके ही किए जा सकेंगे।

(ii) भारत सरकार अथवा बॉयल द्वारा किसी भी समय एक दूसरे को इस करार के किसी भाग के अंतर्गत किसी प्रचालन की समीक्षा का अनुरोध किया जा सकेगा तथा परन्तु किसी परस्पर करार में आपसी सहमति से संशोधन किए जाने अथवा न किए जाने के संबंध में, यदि कोई ऐसा करार विद्यमान हो, एक पक्षकार की दूसरे पक्षकार से किसी प्रकार की प्रतिबद्धता के बिना इस करार के प्रावधान (अद्यतन एवं पूर्णतः संशोधित) ऐसी किसी चर्चा अथवा समीक्षा का परिणाम कुछ भी होने अथवा ऐसी कोई चर्चा अथवा समीक्षा आयोजित होने अथवा न होने पर भी लागू रहेंगे।

(iii) यदि इस करार के किसी प्रावधान में किसी प्रकार के संशोधन, पूरक व्यवस्था अथवा बदलाव के अंतर्गत सत्यापन किए जाने की अपेक्षा होने पर भी इस करार के किसी उपबंध का कोई अन्य प्रावधान इस करार के उल्लंघन का कारण नहीं माना जाएगा।

#### 18.2.2 छूटें तथा सहमतियां

(i) इस करार के किसी प्रावधान अथवा इसके किसी प्रावधान के उल्लंघन के प्रति घटित होने के पूर्व अथवा पश्चात केवल पक्षकारों द्वारा लिखित करार पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात ही छूट दी जा सकेगी।

(ii) इस करार अथवा इसके किसी प्रावधान के अनुसरण में भी ऐसी घटना, कार्रवाई अथवा अकरण घटित होने से पूर्व लिखित में सहमति की जाएगी।

(iii) ऐसी कोई छूट अथवा सहमति व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा किसी स्थिति के प्रति उचित समझे जाने की शर्त पर होगी तथा यह केवल उस सम्बद्ध घटना के उद्देश्य से लागू होगी जिसके लिए यह प्रदान की गई है।

### 18.2.3 बॉयल की लिस्टिंग के संबंध में संशोधन

(i) बॉयल द्वारा इस करार की किसी अवधि के दौरान किसी यथोचित स्तर पर आईपीओ की संभावनाओं के संबंध में किया जा सकेगा।

(ii) ऐसी किसी आईपीओ से पूर्व सम्बद्ध स्टॉक एक्सचेंज प्राधिकरण की अपेक्षाओं के अनुसार इस करार में संशोधन के लिए पक्षकार सहमत होंगे तथा स्टॉक एक्सचेंज प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित संबंधित सूचना की सार्वजनिक प्रस्तुति करेंगे।

### 18.3 समग्र करार

यह करार तथा इसके अनुसरण में हस्ताक्षर किए जाने वाले दस्तावेज इस करार के विषयक मामले के संबंध में समग्र करार के रूप में संस्थापित होंगे तथा ऐसा विषयक मामले के संबंध में किया गया किसी प्रकार का पूर्व लिखित अथवा मौखिक करार के अधिक्रमण करते हुए होगा।

### 18.4 अग्रतर आश्वासन

#### 18.4.1 अग्रतर आश्वासन

प्रत्येक पक्षकार द्वारा किसी सम्बद्ध तृतीय पक्षकार के साथ ऐसे दस्तावेजों का निष्पादन किया जाएगा तथा ऐसा निष्पादन किए जाने के सभी औचित्यपरक रूप से संभव प्रयास एवं ऐसे कृत्य एवं कार्य किए जाएंगे जो अनुरोध करने वाले पक्षकार द्वारा इस करार के सभी प्रावधानों के पूर्ण लाभ अनुरोधकर्ता पक्षकार को प्रदान किए जाने के लिए औचित्यपरक रूप से अपेक्षित किए गए हैं। परन्तु ऐसा उस पक्षकार के प्रति किसी प्रकार के अपकार के बिना होगा जिसे अनुरोध किया गया है तथा इसकी लागत एवं जोखिम का वहन अनुरोध करने वाले पक्षकार द्वारा किया जाएगा।

#### 18.4.2 प्रत्यक्ष करार

भारत सरकार द्वारा ऋणदाताओं के अनुरोध पर इस करार की अनुसूची 5 में संलग्न फार्म के मूल स्वरूप के अनुसार ऋणदाताओं के साथ प्रत्यक्ष करार किए जा सकेंगे जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा इस करार के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करने की किसी मंशा की पूर्व सूचना दिए जाने के प्रति सहमति दी जानी होगी जिससे बॉयल द्वारा की गई किसी चूक का उपचार करने का

अधिकार इन ऋणदाताओं को प्राप्त हो सके तथा/अथवा ऐसे ऋणदाताओं को कतिपय परिस्थितियों में दायित्वों के निर्वाह के लिए स्वयं को स्थानापन्न करने अथवा किसी तृतीय पक्षकार की स्थानापन्न के लिए नियुक्त करने तथा करार के अंतर्गत बाँयल को प्राप्त होने लाभों को प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त हो सकेगी।

## 18.5 आंशिक अवैधता

**18.5.1** यदि किसी समय इस करार का कोई प्रावधान किसी न्यायाधिकार के अंतर्गत किसी विधि में विधि अमान्य, अवैध अथवा अपर्वतनीय है अथवा हो गया है तो न तो किसी अन्य न्यायाधिकार के किसी कानून के किसी प्रावधान के अंतर्गत इसकी विधि मान्यता, अवैधता अथवा पर्वतनीयता, किसी भी प्रकार से, प्रभावित अथवा क्षीण होगी तथा न ही इस करार के शेष भाग की विधि मान्यता, मान्यता एवं प्रवर्तनीयता पर किसी प्रकार का प्रभाव हो सकेगा।

**18.5.2** पक्षकारों द्वारा आपसी विश्वास के साथ एक अथवा अधिक प्रावधानों के संबंध में ऐसे परक्रामण के प्रति सहमति दी जा सकेगी जो ऐसी किसी अवैध, विधि अमान्य अथवा अपर्वतनीय प्रावधान के स्थान पर उपयोग में लाए जा सकें तथा जो भारत सरकार को संतोषजनक प्रतीत हों तथा जो दोनों पक्षकारों के वाणिज्यिक हितों के प्रति होने वाली प्रत्येक परिस्थिति का उचित संतुलन किए जाने के प्रति लगभग व्यवहार्य हो।

## 18.6 साझेदारी न होना

न तो यह करार तथा न ही अन्य कोई करार अथवा इसके अंतर्गत की गई किसी व्यवस्था को तथा न ही पक्षकारों द्वारा ऐसे किसी करार अथवा व्यवस्था से सम्बद्ध अपने दायित्वों के अंतर्गत किए जाने वाले निष्पादन को दोनों पक्षकारों के मध्य स्थापित साझेदारी माना जाएगा। किसी भी पक्षकार के पास (यदि इस करार के किसी प्रभाव के अंतर्गत अथवा अन्यथा तथा मंसूख न किया गया कोई करार लिखित में प्रदत्त न किया गया हो) अन्य पक्षकार को अपना एजेंट अथवा अन्यथा माने जाने का प्राधिकार नहीं है।

## 18.7 समय की प्रधानता

इस करार में समय को प्रधानता प्रदान की गई है जो कि इसमें उल्लिखित तिथियों, अवधियों अथवा दिन के समयों तथा अन्य तिथियों, अवधियों अथवा दिन के उन समयों के संबंध में है जो उनके द्वारा इस करार के अंतर्गत प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं।

## 18.8 समय का आकलन

इस करार में संदर्भित समय बंगलौर, भारत के समयों के अनुसार हैं। इस करार के अंतर्गत निर्धारित अथवा अनुमत्त किसी अवधि के समय का आकलन उस स्थिति अथवा अकरण, प्रक्रिया का दिन, को शामिल किया जाएगा जहां से समय की निर्दिष्ट अवधि के समय प्रारम्भ होते हैं। इस प्रकार आकलन की गई किसी अवधि का अंतिम दिन यह व्यवसाय दिवस नहीं है तो यह अवधि अगले व्यवसाय दिवस के अंत तक की मानी जाएगी।

## 18.9 नोटिस

### 18.9.1 लिखित सम्प्रेषण

इस अधिनियम के अंतर्गत अथवा इसके संबंध में किया जाने वाला सम्प्रेषण लिखित स्वरूप में किया जाएगा तथा यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो यह फैक्स अथवा पंजीकृत पत्र के माध्यम से किया जाएगा।

### 18.9.2 पते

इस करार के अंतर्गत अथवा के संबंध में सम्प्रेषण अथवा दस्तावेज सौंपे जाने अथवा डिलीवर किए जाने के लिए प्रत्येक पक्षकार का पता तथा फैक्स नम्बर (तथा उस विभाग अथवा अधिकारी का भी, यदि कोई हो, जिसके ध्यानाकर्षण के लिए सम्प्रेषण किया जाना है) नीचे दिया गया है:-

#### भारत सरकार:

नागर विमानन मंत्रालय  
राजीव गांधी भवन  
सफदरजंग हवाईअड्डा  
नई दिल्ली - 110003  
फैक्स: 011-24602397  
ध्यानाकर्षण : [सचिव, नागर विमानन मंत्रालय]

#### बॉयल :

बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड  
36 कनिनघंम लेन  
बंगलौर - 560 052  
भारत  
फैक्स : 080-22081284  
ध्यानाकर्षण: मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा प्रबंध निदेशक

अथवा कोई वैकल्पिक पता, फैक्स नम्बर अथवा विभाग अथवा अधिकारी, जिसके बारे में किसी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को कम से कम पांच (5) कार्य दिवसों का नोटिस देकर सूचना दी गई हो।

## 18.10 मानित डिलीवरी

इस करार में अन्यथा प्रावधान किए गए विषय के अनुसार इस करार के अंतर्गत अथवा इसके अनुसरण में कोई सम्प्रेषण प्रापक द्वारा (यदि ट्रांसमिशन की पुष्टि के साथ फैक्स अथवा से भेजा गया है तथा टैलेक्स के मामले में ऑनस्वरबैक प्राप्त हुआ है) उस स्थान पर अगले कार्यदिवस प्राप्त किया गया माना जाएगा जहां इसे भेजा गया है अथवा (अन्य किसी मामले में) अनुच्छेद 18.9.2 की अपेक्षा के अनुसार पते पर पहुंचाया गया है अथवा पंजीकृत डाक (एयरमेल से यदि किसी अन्य देश भेजा गया है) पोस्टेज प्रीपेड के साथ उक्त पर भेजे जाने के दस (10) कार्यदिवस के पश्चात प्राप्त माना जाएगा। इस उद्देश्य से शनिवार, रविवार तथा बैंक हॉलिडे के अलावा शेष दिन कार्यदिवस होंगे।

## 18.11 सरकारी भाषा

इस करार की व्याख्या का संचलन अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। किसी पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को जारी किए जाने वाले नोटिस तथा अन्य सम्प्रेषण एवं दस्तावेज, जो इस करार से सम्बद्ध हो तथा जो निष्पादन, कार्यान्वयन तथा इस करार की समाप्ति से संबंधित हों, परन्तु जो किसी विवाद समाधान प्रक्रिया तक प्रतिबंधित न हो, सहित, की भाषा अंग्रेजी होगी।

## 18.12 संचलन विधि

इस करार का संचलन भारतीय विधान के द्वारा तथा के अंतर्गत आशित होगा।

## 18.13 सार्वभौमिक प्रतिरक्षा

भारत सरकार द्वारा किसी प्रतिबंध के बिना तथा अप्रतिसंहरणीता के साथ :

**18.13.1** यह कि इस करार एवं अन्य करारों तथा सुरक्षा से सम्बद्ध उन करारों तथा अन्य दस्तावेजों, जो इसके अंतर्गत पक्षकार द्वारा सार्वजनिक अथवा सरकारी क्रियाएं न होकर गठित निजी एवं वाणिज्यिक क्रियाएं हैं, का प्रवर्तन, आपूर्ति तथा निष्पादन करने के प्रति सहमति दी गई है;

**18.13.2** यह कि, इसके प्रति अथवा इस करार से सम्बद्ध इसकी परिसम्पतियों अथवा इस करार में अपेक्षित किसी संव्यवहार की किसी प्रकार की प्रक्रिया के प्रति की जाने वाली किन्हीं प्रक्रिया का इसके द्वारा अथवा इसके स्वयं की ओर से अथवा इसकी परिसम्पतियों की ओर से दावा नहीं किया जा सकेगा;

अनुच्छेद 18.13 के उद्देश्य से "परिसम्पतियों" में 1961 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस के संबंध में वियना में हस्ताक्षरित अभिसमय की परिभाषा के अनुसार विद्यमान अथवा भावी "मिशन के भावी परिसर", वर्ष 1963 में काउंसलर रिलेशंस के संबंध में वियना में हस्ताक्षरित अभिसमय की परिभाषा के अनुसार "काउंसलर परिसर", सैन्य सम्पति अथवा सैन्य परिसम्पतियां अथवा सम्पति अथवा भारत सरकार से सम्बद्ध परिसम्पतियां तथा भारत के सांविधिक प्राधिकरणों के परिसर तथा कार्यालय एवं राष्ट्रीय संपदा को अलग रखा जाएगा।

#### 18.14 चूक के प्रति ब्याज

इस करार के अंतर्गत देय अथवा चुकता की जाने वाली तथा देय तिथि को चुकता न की गई किसी राशि पर भारतीय स्टेट ब्याज की प्राइम लेंडिंग दर जमा दो प्रतिशत (2%) का ब्याज प्रभारित होगा।

भारत सरकार तथा बॉयल के साक्ष्य में इस करार पर उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार, द्वारा यहां उल्लिखित तिथि को हस्ताक्षर किए गए हैं।

कृते तथा की ओर से

**भारत के राष्ट्रपति**

निम्नलिखित की उपस्थिति में

विधिवत प्रमाणित प्रतिनिधि द्वारा:

---

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

**अजय प्रसाद**

सचिव

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार

---

साक्षी के हस्ताक्षर

**नसीम जैदी**

संयुक्त सचिव

नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार

कृते तथा की ओर से

**बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**

एक निदेशक द्वारा निम्नलिखित

की उपस्थिति में :

---

निदेशक का नाम तथा हस्ताक्षर

**वोल्फगैंग बिस्चोफ**

निदेशक

बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

---

साक्षी के हस्ताक्षर

**के.वी.रंगास्वामी**

निदेशक

बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

कृते तथा की ओर से

**बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**

एक निदेशक द्वारा निम्नलिखित

की उपस्थिति में :

---

निदेशक का नाम तथा हस्ताक्षर

**एस.कृष्ण कुमार**

निदेशक

बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

---

साक्षी के हस्ताक्षर

**हरबर्ट मेइर**

निदेशक

बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

	<b>अनुसूची 1</b> <b>अनापतियां (क्विलयरेंस)</b> <b>अनुसूची 1</b> <b>भारत सरकार द्वारा परियोजना अनुमोदन</b>
--	--

क्र.सं.	अपेक्षित अनापति
1	भारत सरकार
1.1	परियोजना के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन
1.2	एएआई अधिनियम का संशोधन
2	नागर विमानन मंत्रालय
2.1	नए हवाईअड्डे की स्थापना के लिए अनापति
2.2	वायुयान नियम 1937 में संशोधन
3	नागर विमानन महानिदेशक
3.1	स्थल के लिए अंतिम अनुमोदन
3.2	नया हवाईअड्डा प्रचालित करने के लिए लाइसेंस
4	रक्षा मंत्रालय
4.1	एकीकृत हवाईक्षेत्र प्रबंधन का संशोधन
4.2	नया हवाईअड्डा स्थापित करने के लिए अनापति प्रमाणपत्र
5	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
5.1	पर्यावरण अनापति
5.2	गैर वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए अनुमोदन
6	विस्फोटक विभाग
	विमानन ईंधन डिपो के स्थल के लिए अनापति प्रमाणपत्र
7.	वित्त मंत्रालय
	सरकारी राजपत्र में "सीमाशुल्क हवाईअड्डा" के रूप में हवाईअड्डे की अधिसूचना

## अनुसूची 2

### हवाईअड्डे के प्रारंभिक चरण का विवरण

#### 1 स्थान

प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए स्थल बंगलौर - हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्व में बंगलौर से 29 और 30 किमी के बीच और देवनहल्ली शहर के 4 किमी दक्षिण में है। साइट के दायरे में 3884 एकड़ क्षेत्रफल आता है और यह स्थल अक्षांश 13<sup>0</sup>15'50" से 131213 उत्तर और देशांतर 77<sup>0</sup>40'20" से 77<sup>0</sup>44'09" पूर्व से घिरा है।

हवाईअड्डे का लेआउट डिजाइन स्थल के भीतर ही एक अन्य समानांतर रनवे की अनुमति देता है। दोनों रनवे के बीच 1925 मीटर की पृथक्करण दूरी की अनुमति है। यह दूरी इकाओ के दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षित सवतंत्र रनवे प्रचालन की अनुमति देती है और दोनों रनवे के बीच के क्षेत्र का टर्मिनल और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के इष्टतम उपयोग का प्रावधान करती है।

#### 2 टैक्सीवे

रनवे और एप्रन के बीच प्रस्तावित टैक्सीवे प्रणाली विमानों को न्यूनतम विलंब के साथ यात्रा करने में सहायक होगी और रनवे को इसकी अधिकतम क्षमता पर प्रचालन करने की अनुमति देगी। प्रारंभिक चरण में हवाईअड्डे की टैक्सीवे प्रणाली में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- पूर्ण समानांतर टैक्सीवे
- प्रवेश/निकास टैक्सीवे
- एप्रन टैक्सी लेन

प्रारंभिक चरण में, 09 थ्रैशहोल्ड से 800 मी, 2800 मी और 4000 मी पर रनवे के लिए त्वरित निकास और प्रवेश/निकास टैक्सीवे प्रस्तावित किए गए हैं (जैसा कि मास्टर प्लान में दर्शाया गया है), ताकि रनवे के लिए और रनवे से विमानों का आवागमन तेज किया जा सके और टैक्सिंग के समय और दूरी को कम किया जा सके। इस व्यवस्था से केवल पूरी तरह से लोडेड बी747 विमान उड़ान भरने से पहले रनवे 09 पर बैक ट्रेक करेंगे।

#### 3 एप्रन

एप्रन और टर्मिनल का लेआउट और दोनों के बीच के संबंध को अंतरराष्ट्रीय मानकों को परिलक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है।

एप्रन के डिजाइन के उद्देश्यों में शामिल हैं:

- रनवे के लिए/से टैक्सिंग समय को न्यूनतम किया जाना
- विलंब से बचने के लिए पर्याप्त टैक्सी लेन मुहैया कराना
- एयरसाइड सड़कें और उपस्कर पार्किंग क्षेत्र मुहैया कराना ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि विमानों के लिए ग्राउंड सपोर्ट पर्याप्त और कुशल हो।
- सुनिश्चित किया जाना कि प्रचालन सुरक्षित तरीके से किए जा सकें।

प्रारंभिक चरण में 3 इन-कॉन्टेक्ट स्टैंड्स के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें भविष्य में दो कॉन्टेक्ट स्टैंड्स जोड़ने का विकल्प शामिल है।

#### 4 एयरसाइड सर्विस रोड्स

जो वाहन एयरसाइड पर दोनों ओर विमानों के प्रचालन को संभालते हैं उनके परिवहन के लिए एक एयरसाइड सड़क प्रणाली और लैंडसाइड रोट सिस्टम को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। एयरसाइड सर्विस रोड (एप्रन सर्विस रोड) टर्मिनल भवन की एयरसाइड पर चलेगा। यह आइसोलेशन बे, फायर स्टेशन, कार्गो, फ्यूएल फार्म और अनुरक्षण क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है और हवाईअड्डे के परिधि के इर्द गिर्द एक ग्रेवल रोड के रूप में काम करता रहेगा।

#### 5 मुख्य प्रवेश सड़क

टर्मिनल परिसर को राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से जोड़ते हुए, रनवे के समानांतर एक दो लेन की डामर (बिटुमिनस) की पहुँच सड़क प्रस्तावित की गई है।

मुख्य तौर यात्री टर्मिनल को सेवा प्रदान करने वाली यह सड़क हवाईअड्डे की सहायक सुविधाओं को भी जोड़ेगी।

महत्वपूर्ण जंक्शनों पर गोल चक्कर बनाए जाने प्रस्तावित हैं।

#### 6 हवाई यातायात नियंत्रण टॉवर

नियंत्रण टॉवर की प्रस्तावित ऊँचाई 65 मीटर है। यह ऊँचाई प्रचालनिक क्षेत्रों और पहुँच मार्गों का सीधा अवलोकन मुहैया कराएगी। नियंत्रण रनवे की मध्य रेखा से 890 मीटर की दूरी पर लैंड साइड पर स्थित है।

टॉवर में निष्पादित न की जाने वाली हवाई यातायात नियंत्रण सेवाओं अर्थात एप्रोच कंट्रोल के लिए लगभग 2300 वर्गमीटर के तल क्षेत्रफल (फ्लोर एरिया) वाला एक एटीसी परिसर (तकनीकी ब्लॉक) प्रस्तावित किया गया है। तकनीकी ब्लॉक में एटीसी ब्रीफिंग, यानहरण रोधी नियंत्रण कक्ष (एंटी-हाइजैकिंग कंट्रोल रूम), मौसम विज्ञान विभाग, इलेक्ट्रॉनिक कार्याशाला, डेटा प्रबंधन प्रणाली, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण कक्ष और कार्यालय भी स्थित हैं।

## 7 एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था (लाइटिंग)

रनवे लाइटिंग सिस्टम में थ्रैशहोल्ड, एज्ज और एंड लाइटें शामिल होंगी। दोनों एप्रोचों पर कैट । सटीक पहुँच प्रकाश प्रणाली के साथ-साथ पीएपीआई संस्थापित किया जाएगा।

पूर्ण समानांतर टैक्सीवे, निकास और प्रवेश टैक्सीवे तथा एप्रन के लिए संपर्क मुहैया कराने के लिए एलीवेटेड सर्व-आयामी एज्ज लाइटों सहित टैक्सीवे लाइटिंग सिस्टम मुहैया कराया जाएगा। रात्री प्रचालनों के दौरान विमानों की कुशल और संरक्षित संभलाई को सक्षम बनाने के लिए एप्रन में फ्लडलाइटिंग का प्रावधान किया गया है। संकेतकों का प्रावधान किया जाएगा।

## 8 बचाव और अग्निशमन सुविधाएं

हवाईअड्डे को एयरोड्रोम कैटेगरी IX के अनुरूप सुरक्षा का स्तर मुहैया कराने के लिए सुसज्जित किया जाएगा। फायर स्टेशन की स्थिति ऐसी है कि आवागमन क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए ईष्टतम दृश्यता और भूतल स्थितियों में प्रतिक्रिया समय न्यूनतम होगा। फायर स्टेशन का कुल नियोजित क्षेत्रफल 1457 वर्गमीटर है। फायर स्टेशन के ऊपर एक वॉचटॉवर स्थित है।

## 9 जलापूर्ति

बंगलौर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड द्वारा मास्टर प्लान में चिह्नित सर्विस एरिया में पर्याप्त मात्रा और प्रेशर से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। 2 दिन के लिए औसत दैनिक मांग के लिए पेयजल स्टोरेज टैंक्स और अग्नि-शमन के लिए एक दिन की मांग के लिए कच्चे पानी की स्टोरेज टैंक्स, जिसमें हवाईअड्डा सुविधाओं के लिए वितरण नेटवर्क भी शामिल हैं, का निर्माण किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में पेयजल के भूमिगत जलाशय की क्षमता 4000 क्यूबिक मीटर और कच्चे पानी के जलाशय की क्षमता 1800 क्यूबिक मीटर है। पानी को हाइड्रो न्यूमेटिक पंपिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए पंप किया जाएगा।

पेयजल का वितरण सर्विस एरिया से निकलने वाली और पूर्वी-पश्चिमी दिशा में जाने वाली लैंड-साइड की मुख्य पाइपलाइन के जरिए किया जाएगा। अग्नि सुरक्षा के लिए इसी संकल्पना के एक वितरण नेटवर्क का प्रावधान अलग से किया जाएगा। ये नेटवर्क हाइड्रेंट्स से युक्त होगा।

## 10 सीवेज डिस्पोजल

सीवेज और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को अलग प्रणालियों के रूप में डिजाइन किया गया है। सीवेज सिस्टम में एक संग्रहण नेटवर्क, पंप पिट्स, एक सीवेज शोधन संयंत्र आदि शामिल होगा। हवाईअड्डे से संबंधित सुविधाओं के सीवेज के पानी का संग्रहण, मैन होल्स से युक्त और पूर्व-पश्चिम में चलने वाले लैंडसाइड और एयरसाइड मेन डक्ट के जरिए किया जाएगा। 1500 क्यूबिक मीटर के एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले अवशिष्ट जल का शोधन किया जाएगा और शोधित पानी को बागबानी के लिए रीसाइकिल किया जाएगा।

## 11 नाली व्यवस्था

नाली व्यवस्था के डिजाइन को स्थल की भौगोलिक स्थिति, तैयार विन्यास स्तरों, पेव्ड क्षेत्रों से भूतल पर बहते अवशिष्ट (रन-ऑफ) और भवन की छतों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मौजूदा भूतल की, और परिणामस्वरूप सभी हवाईअड्डा-संबंधी सुविधाओं की ग्रेडेड पट्टियों की भौगोलिक

स्थितियों का परिणाम उत्तर-दक्षिण उन्मुखी जलोत्सारण क्षेत्र के रूप में होता है। पेवमेंट्स के नीचे आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट्स और पाइप कल्वर्ट्स का प्रावधान किया जाएगा।

## 12 दूरसंचार

दूरसंचार प्रणाली में एक एक्सजेंच सुविधा और वितरण नेटवर्क शामिल होगा।

## 13 विद्युत प्रणाली

हवाईअड्डे के लिए ऊर्जा आपूर्ति का प्रावधान बीईएससीओएम/केपीटीसीएल द्वारा 66केवी स्तर पर किया जाएगा। मुख्य इनकमिंग सबस्टेशन में 66 केवी से कम करके 11 केवी करने के लिए 2 अदद 16एमवीए ट्रांसफॉर्मरों का प्रावधान किया जाएगा। इन ट्रांसफॉर्मरों से हवाईअड्डे की मुख्य पावर सप्लाई 11केवी लेवल पर की जाएगी। ऊर्जा प्रणाली में ट्रांसफार्मर स्टेशन, वितरण नेटवर्क, और एक आपातकालीन ऊर्जा आपूर्ति शामिल हैं। वितरण नेटवर्क की योजना रिंग मेन्स के साथ की जाएगी, ताकि ऊर्जा आपूर्ति दो विभिन्न स्रोतों से हमेशा संभव हो। पॉवर स्टेशन नॉर्थ में एक ऑक्जीलियरी पॉवर जेनरेटर सिस्टम (लगभग 6 एमवीए) संस्थापित किया गया है जो ऊर्जा आपूर्ति फेल होने की स्थिति में हवाईअड्डे के अनिवार्य ग्राहकों को आपूर्ति करेगा।

## 14 यात्री टर्मिनल भवन:

### 14.1 अभिन्यास संकल्पना (लेआउट कन्सेप्ट)

यात्री टर्मिनल को एक एकल, दो मंजिला टर्मिनल भवन के रूप में प्रस्तावित किया गया है जो अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रचालनों को सुविधा प्रदान करने के लिए सक्षम हो। आगमन और प्रस्थान लंबवत रूप से पृथक किए गए हैं जो आधुनिक, साधारण, सीधा (स्ट्रेट-अहेड) प्रवाह प्रणाली है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान लाउंज, और अधिकांश रीटेल आउटलेट दूसरी मंजिल (प्रथम तल) पर स्थित हैं। चेक-इन सुविधाएं और बैगेज रीक्लेम सुविधाएं पहली मंजिल (भूतल) पर स्थित हैं। पूरा टर्मिनल भवन प्रचालन में आसानी और न्यूनमत अनुरक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। टर्मिनल पूरी तरह वातानुकूलित है।

### 14.2 टर्मिनल भवन की क्षमताएं

प्रारंभिक चरण में टर्मिनल भवन को व्यस्ततम समय में 2017 यात्रियों के लिए डिजाइन किया जाएगा। [प्रस्तावित डिजाइन/मानक सर्वोत्तम औद्योगिक परिपाटियों और प्रचालनिक मानकों को परिलक्षित करेंगे] यह डिजाइन सभी मौसम स्थितियों में 24 घंटे प्रचालनों की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। मुहैया कराई जाने वाली सुविधाएं आयटा/इकाओ के मानकों को पूरा करेंगी। कुल नियोजित तल क्षेत्रफल लगभग 55000 वर्गमीटर है। यातायात में वृद्धि के टर्मिनल का मॉड्यूलर विस्तार प्रचालनों को बाधित किए बिना और मौजूदा साज सज्जा के साथ मेल करते हुए संभव है। प्रस्तावित टर्मिनल उपस्कर में शामिल हैं:

- होल्ड बैगेज के लिए इन-लाइन एकसरे बैगेज स्कैनर
- उड़ान सूचना प्रणाली
- सीसीटीए/पीए सिस्टम
- फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्शन
- बैगेज कन्वेयर्स
- एस्केलेटर्स, एलीवेटर्स और ऑटोमेटिक दरवाजे
- आप्रवास, सीमाशुल्क के लिए काउंटर
- यात्री सीलिंग/पब्लिक फर्नीचर
- रेस्टोरेंट फर्नीचर
- साइन बोर्ड/पिक्टोग्राफ
- भवन प्रबंधन प्रणाली
- बैगेज ट्रॉलियां
- चेक-इन काउंटर

## 15 फ्यूल फार्म

बंगलौर में अवतरण करने वाली विमानों की रीफ्यूइंग के लिए विमानन ईंधन की आपूर्ति के लिए एक स्टोरेज एरिया मुहैया कराना अनिवार्य है। मास्टर प्लान में एयरपोर्ट साइट के पश्चिम में फ्यूल फार्म के लिए एक स्थल आवंटित किया गया है।

आपूर्तिकर्ता के साथ रियायत करार में ईंधन को डिपो से विमानों तक लाने-ले जाने के लिए फ्यूल हाइड्रेंट सिस्टम का प्रावधान शामिल किया जाएगा।

प्रारंभिक चरण में, चूंकि विमानों के आवागमन की दर बहुत अधिक नहीं होती और ईंधन की आवश्यकता बहुत अधिक नहीं होती, विमानों की रीफ्यूइंग करने के लिए फ्यूल हाइड्रेंट और रिमोट स्टैंड्स के लिए फ्यूल टैंक्स के संयोजन का उपयोग किया जाएगा।

## 16 टर्मिनल पार्किंग

विकास के पहले चरण में टर्मिनल भवन के सामने भूतल पर कार पार्किंग की योजना है। यह स्थान हवाईअड्डे के यात्रियों और आगंतुकों के लिए सुविधाजनक होगा। पिक-अप और ड्रॉप ऑफ के लिए अलग अलग क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। निजी कारों, टैक्सियों, स्टाफ कारों, स्टाफ के वाहनों, वीआईपी कारों और वीवीआईपी कारों के लिए पार्किंग का प्रावधान किया गया है।

## 17 प्रशासनिक भवन

लैंड साइड के तकनीकी ब्लॉक के समीप हवाईअड्डा प्रबंधन, हवाईअड्डा प्रचालकों, सिक्योरिटी और स्टाफ कैंटीन के लिए एक पृथक प्रशासनिक भवन की योजना बनाई गई है। नियोजित प्रशासनिक ब्लॉक का कुल क्षेत्रफल 3000 वर्गमीटर है।

## 18 अनुरक्षण भवन

हवाईअड्डे के वाहनों, विद्युत और यांत्रिक उपस्करों और अन्य उपयोगों के लिए अनुरक्षण सुविधाएं अपेक्षित हैं। अनुरक्षण सुविधा में सामग्री और स्पेअर पार्ट्स के लिए भंडारण का स्थान शामिल होगा। इस सुविधा के लिए मुहैया कराया गया स्थान 2190 वर्गमीटर है।

## 19 भू उपस्कर अनुरक्षण क्षेत्र

एअरन पर प्रयुक्त भू उपस्कर काफी बड़े आकार का है और सामान्य सड़कों पर उपयोग के लिए अनुपयुक्त है। एअर साइड पर एक जीएसई अनुरक्षण क्षेत्र की योजना है। जीएसई भवन का क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्गमीटर है।

## 20 सुरक्षा दीवार

लैंड साइड और एअर साइड सुविधाओं को अलग करने वाली सुरक्षा दीवार या सुरक्षा बाड़ का निर्माण बीसीएस के विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बायल की संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक चारदीवारी का निर्माण भी किया जाएगा।

**अनुसूची 3**  
**भाग 1 - हवाईअड्डा गतिविधियां**

हवाईअड्डा गतिविधियों में निम्नलिखित सेवाएं, सुविधाएं और उपस्कर शामिल हैं:

एयरोड्रोम नियंत्रण सेवाएं  
एयरफील्ड  
एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था  
हवाईअड्डे से संबंधित हवाई दिक्चालन सेवाएं  
एयरसाइड और चारदीवारी सुरक्षा में प्रवेश नियंत्रण और पैट्रोलिंग शामिल हैं  
एयरसाइड और लैंडसाइड प्रवेश सड़कों और अग्र प्रांगणों (फोरकोर्ट्स) में लिखित संदेश, संकेतक और यातयात संकेतक, और मॉनीटरिंग शामिल है  
एप्रन और विमान पार्किंग क्षेत्र  
एप्रन नियंत्रण और विमान स्टैंड्स का आवंटन  
आगमन कॉनकोर्स और बैठक क्षेत्र  
बैगेज प्रणालियां जिसमें आउटबाउंड और रीक्लेम शामिल है  
पक्षियों का डराना  
चैक-इन कॉनकोर्स  
सार्वजनिक क्षेत्रों की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और वातानुकूलन  
सीमाशुल्क और आप्रवास हॉल  
आपात सेवाएं  
अशक्त और अन्य विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए सुविधाएं  
अग्निशमन सेवाएं  
उड़ान सूचना और सार्वजनिक उद्बोधन प्रणालियां  
फाउल एंड सर्फिस वाटर ड्रेनेज  
मार्गदर्शन प्रणालियां और मार्शलिंग  
सूचना डेस्क और स्टाफिंग  
इंटर टर्मिनल ट्रांजिट प्रणालियां  
भू-सज्जा और बागबानी  
लिफ्टें, एस्केलेटर और यात्री कन्वेयर  
लोडिंग ब्रिज  
गुमशुदा संपत्ति  
मौसमविज्ञान सेवाएं/एआईएस  
शोर रोधन और साउंड प्रूफिंग  
यात्री और हैंडबैगेज की खोज  
पीअर्स और गेट रूम्स  
पुलिस व्यवस्था और सामान्य सुरक्षा  
प्रार्थना कक्ष

रनवे  
अनुसूची समिति समर्थन  
संकेतक  
स्टाफ की खोज  
टैक्सीवे  
शौचालय और नर्सिंग मदर्स रूम्स  
अवशिष्ट और रीफ्यूज ट्रीटमेंट और डिस्पोजल  
कैरी ऑन और चैक-इन सामान के लिए एक्सरे सेवा  
विमान सफाई सेवाएं  
विमान ईंधन सेवाएं  
एयरलाइन लाउंज

बैंक/एटीएम-बीआईएएल को केवल मूल अवसंरचना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निवेश करना है  
ब्यूरो दे चेंज - बायल को केवल मूल अवसंरचना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निवेश करना है

कारोबार केंद्र - बायल को केवल मूल अवसंरचना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निवेश करना है  
वाहन पार्किंग

कार्गो संभलाई

कार्गो टर्मिनल

कॉन्फ्रेंस सेंटर - बीआईएएल को केवल मूल अवसंरचना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निवेश करना है

इयूटी फ्री बिक्रियां - बीआईएएल को केवल मूल अवसंरचना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निवेश करना है

उड़ान केटरिंग सेवाएं

फ्रेट कंसोलीडेटर्स/फॉरवर्डर्स या एजेंट

सामान्य विमानन ग्राउंड हैंडलिंग

सामान्य विमानन टर्मिनल

सामान्य खुदरा दुकानें - बीआईएएल को केवल मूल अवसंरचना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निवेश करना है

ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं

ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर

विमान के लिए ग्राउंड पॉवर

हैंगर

भारी अनुरक्षण सेवाएं - बीआईएएल को ये काम केवल तभी करने हैं यदि ऐसी सेवाएं हवाईअड्डे और/या विमानों से संबंधित हों

होटल आरक्षण सेवाएं - बीआईएएल को केवल मूल अवसंरचना सुविधाएं (हवाईअड्डे के लिए सड़कें, नाली व्यवस्था, जलापूर्ति आदि जैसी अवसंरचना) मुहैया कराने के लिए निवेश करना है

लाइन अनुरक्षण सेवाएं - बीआईएएल को ये काम केवल तभी करने है यदि ऐसी सेवाएं हवाईअड्डे और/या विमानों से संबंधित हों

लॉकर का किराया - बीआईएएल को केवल मूल अवसंरचना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निवेश करना है

यात्री सेवाएं - बीआईएएल को केवल मूल अवसंरचना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निवेश करना है

अवलोकन टैरेस

विमानों के लिए प्री-कंडीशन्ड एयर

पोर्टर सेवा

डाकखाने - बीआईएएल को केवल मूल अवसंरचना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निवेश करना है  
सार्वजनिक टेलीफोन - बीआईएएल को केवल मूल अवसंरचना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निवेश करना है

रेस्टॉरेंट, बार और अन्य अल्पाहार सेवाएं - बीआईएएल को केवल मूल अवसंरचना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निवेश करना है

विशेष सहायता सेवाएं

पर्यटन सूचना सेवाएं - बीआईएएल को केवल मूल अवसंरचना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निवेश करना है

ट्रेवल एजेंसी - बीआईएएल को केवल मूल अवसंरचना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निवेश करना है

ट्रॉली सेवा

उपयोगिताएं (बिजली, गैस, दूरसंचार और जल सहित)

वाहन ईंधन भराई सेवाएं - बीआईएएल के ये काम केवल तभी करने है यदि ऐसी सेवाएं हवाईअड्डे और/या विमानों से संबंधित हों

वाहनों का किराया - बीआईएएल को केवल मूल अवसंरचना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निवेश करना है

विक्रय मशीनें - बीआईएएल को केवल मूल अवसंरचना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निवेश करना है  
वीआईपी/स्पेशल लाउंज

गोदाम

स्वागत सेवाएं

## भाग 2 - गैर-विमानपत्तन गतिविधियां

गैर-विमानपत्तन सुविधाओं में निम्नलिखित सेवाएं, सुविधाएं और उपस्कर शामिल हैं:

हवाईअड्डा शटल परिवहन सेवाएं (होटल, सिटी सेंटर आदि)

बिजनेस पार्क

हाईटेक पार्क

होटल

औद्योगिक पार्क

वाणिज्यिक भवन

विशेष आर्थिक जोन

वाणिज्यिक परिसर

गोल्फ कोर्स

कंट्री क्लब

फूड सिलोस

स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादन

निर्माण कारखानों जैसे उत्पादन केंद्र

**अनुसूची 4**  
**अप्रत्याशित घटना की परिभाषा**

इस करार में, “अप्रत्याशित घटना” का आशय नीचे संदर्भित किसी भी कृत्य, घटना या परिस्थिति या कृत्यों, घटनाओं और परिस्थितियों के संयोजन से है, जो प्रभावित पक्षकार के औचित्यपूर्ण नियंत्रण से बाहर हैं, और ऐसी घटना (घटनाओं) द्वारा प्रभावित होने का दावा करनेवाले पक्षकार की ताक़ीद पर नहीं हुए हैं और जिनको प्रभावित पक्षकार उत्तर औद्योगिक परिपाटी द्वारा या औचित्यपूर्ण कौशल का उपयोग करके और ऐसी सुविधाओं के निर्माण के संबंध में देखभाल द्वारा नहीं रोक सका, और जिससे, या जिसके किसी भी परिणामस्वरूप इस करार के अधीन किसी भी पक्षकार द्वारा इस करार के अंतर्गत इसके दायित्वों के निष्पादन में पूर्णतः या अंशतः रुकावट या विलंब होता हो।

“अप्रत्याशित घटना” में निम्नलिखित घटनाएं और परिस्थितियां उस सीमा तक शामिल हैं जहां तक वे, या उनके परिणाम, उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करते हों:

(i) भारत के भीतर काम के निष्पादन या माल भारत के भीतर सेवाओं की आपूर्तियों पर कार्यरत किसी भी मामले में किसी भी पार्टी या उसके ठेकेदारों, या उनके संबंधित उप-ठेकेदारों, नौकरों या एजेंटों को शामिल करने वाली हड़तालें, लॉक-आउट या अन्य औद्योगिक कार्रवाई या श्रम विवाद;

(ii) बिजली, भूकंप, तबाही, चक्रवात, तूफान, बवंडर, तूफान, बाढ़, वाशआउट, भूमि स्लाइड, मिट्टी का कटाव, उपद्रव, सूखा या पानी की कमी, और अन्य असामान्य या चरम प्रतिकूल मौसम या पर्यावरणीय स्थिति या क्रियाएं। विमान या अन्य हवाई उपकरणों से गिरने वाले तत्व, उल्कापिंड या वस्तुएं, सुपरसोनिक गति, अग्नि या विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण या आयनीकरण विकिरण (परिस्थितियों को छोड़कर, जहां स्रोत या हवा में यात्रा करने वाले विमान या अन्य हवाई उपकरणों के कारण होने वाली दबाव तरंगों की घटना) विस्फोट या संदूषण या विकिरण का कारण प्रभावित पार्टी द्वारा या साइट पर या उसके पास लाया गया है या प्रभावित पार्टी द्वारा नियोजित या संलग्न है जब तक कि यह हवाई अड्डे के किसी भी हिस्से के निर्माण या संचालन के लिए आवश्यक नहीं है);

(iii) हवाई अड्डे के उद्घाटन की तारीख से पहले किसी भी माध्यम से और किसी भी तरह से हवाई अड्डे में शामिल करने के उद्देश्य से माल परिवहन के दौरान होने वाला कोई भी आकस्मिक नुकसान या क्षति,;

(iv) हवाई अड्डे की क्षति या गंभीर आकस्मिक क्षति ;

(v) लैंडिंग, पार्किंग, सर्विसिंग (ईंधन की आपूर्ति सहित) या टेक-ऑफ के दौरान किसी विमान, दुर्घटना, विस्फोट, आग या अन्य आपदा की घटना ;

(vi) महामारी;

(vii) युद्ध का कृत्य (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु का कार्य, नाकाबंदी, प्रतिबंध, क्रांति, दंगा, बम या नागरिक हंगामा;

(viii) तोड़फोड़, आतंकवाद या इस तरह के कृत्यों का आसन्न खतरा;

(ix) दैवी घटना; या

(x) पूर्वगामी पंक्ति के अनुरूप प्रकृति का कोई कार्य, घटना या परिस्थिति;

परंतु यह कि निम्नलिखित मामलों में से कोई भी या उनके परिणाम **अप्रत्याशित घटना** के होने या उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होंगे:

(i) किसी भी भुगतान करने में विफलता या असमर्थता; या

(ii) बाजार की स्थितियों का प्रभाव जब तक कि ऐसी बाजार स्थितियां स्वयं नहीं होतीं या अप्रत्याशित घटना का परिणाम होती हैं

और आगे परंतु यह कि उपरोक्तलिखित कोई कृत्य, घटना या परिस्थिति किसी तृतीय पक्षकार या तृतीय पक्षकारों (जिसमें बिना किसी सीमा के हवाईअड्डे का निर्माण, संविदाकार या प्रचालक या किसी पक्षकार का कोई सहयोगी शामिल है) को प्रमुखतः प्रभावित करते हों, जो इसके दायित्वों के निष्पादन से रोकता है, थोपता है या देरी करता है, तो ऐसे पक्षकार के लिए उपयुक्त के रूप में अप्रत्याशित घटना को गठित करेगा यदि वह इस हद तक और एक हद तक चरित्र या चरित्र का है, जो कि पार्टी के लिए हुआ था इस अनुच्छेद पर भरोसा करने के लिए, इस अनुसूची 4 के तहत अप्रत्याशित घटना की परिभाषा में आया होता।

[अनुसूची 5]

भारत सरकार प्रत्यक्ष करार का प्रपत्र

बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड  
36 कर्नीघम रोड  
बंगलौर - 560 052

[दिनांक]

सचिव  
नागर विमानन मंत्रालय  
राजीव गांधी भवन  
सफदरजंग एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स  
नई दिल्ली 110 003

प्रिय सचिव महोदय:

हम भारत सरकार और बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ("कम्पनी") के बीच दिनांक [●] के रियायत करार ("रियायत करार") का संदर्भ देते हैं।

जैसा कि रियायत समझौते में विचार किया गया है, कंपनी ने वित्तपोषण समझौते (जैसा कि रियायत समझौते में परिभाषित किया गया है और जिसकी प्रतियां आप तक पहुंचा दी गई हैं) करने का प्रस्ताव किया है, जिसके अनुसरण में प्रत्याभूत पक्ष (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) कर्नाटक राज्य में बंगलौर के पास, देवनहल्ली में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए कंपनी को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए सहमत है।

ऐसे वित्तपोषण के लिए प्रतिभूति के तौर पर, हम एतद्वारा अधिसूचित करते हैं कि कतिपय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ("ऋणदाताओं") के लाभार्थ न्यासी ("बंधक न्यासी") के रूप में [ ] के पक्ष में गिरवी ("बंधक विलेख") के अनुसरण में, कम्पनी ने गिरवी न्यासी को, अन्य बातों के साथ-साथ, कम्पनी ("आनुषंगिक") की सभी परिसम्पत्तियों में प्रथम वरीयता प्रतिभूति हित का लाभ प्रदान किया है, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, रियायत करार भी शामिल है।

बंधक न्यासी के साथ उधारदाताओं को यहां "सुरक्षित पक्ष" कहा जाता है।

कंपनी अनुरोध करती है कि, इस पावती और सहमति (समझौते) की संलग्न प्रति पर हस्ताक्षर करके और लौटाकर, भारत सरकार, सुरक्षित पार्टियों के लाभ के लिए, पुष्टि और सहमति व्यक्त करती है कम्पनी निम्नलिखित अनुरोध करती है कि:

क भारत सरकार

- (i) बंधक विलेख की एक प्रति की प्राप्ति स्वीकार करती है,
- (ii) सुपुर्द कार्य के लिए सहमति (और कंपनी के सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज की रियायत पार्टियों के लाभ के लिए बंधक विलेख के तहत सुपुर्द कार्य के लिए सक्षम नहीं है, शुल्क) देयता के लिए सुरक्षित पार्टियों को देय दायित्वों के लिए प्रतिभूति के रूप में रियायत समझौते में ब्याज,
- (iii) सहमत है कि ऐसे सुपुर्द कार्य (या चार्ज जैसा भी मामला हो) रियायत समझौते का उल्लंघन या उल्लंघन नहीं करते हैं या नहीं करेंगे
- (iv) सहमत है कि इस करार का कार्यान्वयन और डिलीवरी से ऐसे सुपुर्द कार्य (या प्रभार जैसा भी मामला हो सकता है) और संभावित सुपुर्द कार्य के लिए इसकी उपयुक्त लिखित सहमति निर्मित होती है, जैसा कि रियायत करार के अनुच्छेद 14.1 में प्रावधान किया गया है।

ख भारत सरकार सहमति देती है कि:

- (i) यदि बंधक न्यासी ने कंपनी द्वारा दिए गए सुरक्षा हितों के लिए अपने अधिकारों का पालन करने का विकल्प चुना है, तो कंपनी ने रियायत समझौते के तहत खुद को या उसके पद के लिए प्रतिस्थापित किया है, तो बंधक न्यासी के अनुरोध पर और पूर्व लिखित सहमति से भारत सरकार, इस तरह के बंधक न्यासी या उसके डिजाइनी को कंपनी के लिए प्रतिस्थापित किया जाएगा
- (ii) यदि बंधक ट्रस्टी कंपनी के द्वारा दिए गए सुरक्षा हितों (चाहे फौजदारी या अन्य द्वारा) के तहत उपचार के अभ्यास के लिए सभी या किसी भी कोलैटरल अनुयायी के निपटान को बेच देगा या अन्यथा, खरीदार न्यासी के अनुरोध पर खरीद सकता है और भारत सरकार की पूर्व लिखित सहमति के साथ, रियायत समझौते के तहत कंपनी के लिए प्रतिस्थापित किया जाएगा, और किसी भी स्थिति में, प्रतिस्थापित पार्टी ऐसे सभी संपार्श्विक को बेची गई या निपटाई गई कंपनी के सभी अधिकारों, शीर्षक और हित में सफल होगी। रियायत समझौते के तहत और प्रदर्शन कर सकते हैं और रियायत समझौते के लाभों के हकदार होंगे जैसे कि वह रियायत समझौते के तहत कंपनी थी।

ग भारत सरकार सहमत है कि वह कंपनी को रियायत समझौते के तहत पैसे का भुगतान करेगी (किसी भी पैसा बचाने के लिए और कंपनी को देय और रियायत समझौते के अनुच्छेद 13.4 के अनुसार जो कंपनी को सीधे भुगतान करने के लिए विशेष रूप से सीधे जमा करने के लिए भुगतान किया जाएगा) और [बंगलौर] में इस तरह के खाते में तुरंत उपलब्ध धनराशि के रूप में बंधक ट्रस्टी समय-समय पर प्रत्यक्ष कर सकता है (और इसके द्वारा कंपनी भारत सरकार को इस तरह के

भुगतान को पूर्वोक्त रूप से भुगतान करने के लिए अधिकृत और निर्देशित करती है)। बंधक ट्रस्टी या कंपनी द्वारा दिए गए सुरक्षा हितों के अनुसार अपने अधिकारों के निर्धारित द्वारा प्रयोग की स्थिति में, भारत सरकार किसी भी और सभी लिखित निर्देशों का पालन करेगी, जो बंधक ट्रस्टी से सरकार द्वारा देय धनराशि का भुगतान करने के लिए प्राप्त होता है। रियायत समझौते के तहत भारत (कंपनी के लिए देय किसी भी पैसा बचाने के लिए और रियायत समझौते के अनुच्छेद 13.4 के अनुसार कंपनी के लिए देय है जो सीधे कंपनी को भुगतान किया जाएगा) या इस तरह के पैसे का भुगतान करने के बदले में बंधक ट्रस्टी के आदेश पर। पिछले वाक्य में निर्दिष्ट खाते (इस तरह के भुगतान के अन्य सभी नियम और शर्तें पिछले वाक्य में प्रदान किए गए रहेंगे) और कंपनी को इन राशियों का भुगतान करने के लिए अपने दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि में।

घ भारत सरकार इस बात से सहमत है कि यह बंधक ट्रस्टी को बंधक विलेख के अनुसरण में कंपनी के सच्चे और वैध वकील के रूप में मान्यता देगी ।

ङ भारत सरकार सहमत है कि यह ऐसी किसी भी घटना, जो भारत सरकार को रियायत करार ("सूचना") के अनुच्छेद 13.4 के अनुसरण में हवाईअड्डे में और के लिए बीआईएएल के अधिकारों, शीर्ष और हितों का अधिग्रहण करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने का हकदार बनाती है, के घटने तुरंत बाद बंधक न्यासी को अधिसूचित करेगी। ऐसी सूचना में भारत सरकार को हवाईअड्डे में और के लिए बीआईएएल के अधिकारों, शीर्ष और हितों का अधिग्रहण करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने का हकदार बनाने वाले आधारों के औचित्यपूर्ण विवरण का उल्लेख किया जाएगा।

च भारत सरकार सहमत है कि बंधक न्यासी को सूचना जारी किए बिना रियायत करार को समाप्त, इसके अधीन अपने दायित्वों के निष्पादन को निलंबित, या हवाईअड्डे में और के लिए बीआईएएल के अधिकारों, शीर्ष और हितों का अधिग्रहण करने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगी।

छ भारत सरकार सहमत है की बंधक न्यासी को किसी भी समय इस सूचना का कारण बनने वाली घटना के उपचार के लिए जैसा भी आवश्यक हो, रियायत करार की शर्तों के अनुरूप कार्रवाई करने का हक होगा।

ज इस समझौते को भारत के कानूनों के अनुसार नियंत्रित और नियंत्रित किया जाएगा।

झ इस करार से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित कोई भी विवाद या मतभेद, रियायत करार के अनुच्छेद 16 के अनुसरण में विवाद निपटान के लिए संदर्भित किया जाएगा, चाहे विवाद या मतभेद की प्रकृति कोई भी हो, जिसके लिए प्रावधान यहां संदर्भ द्वारा समाविष्ट किए गए हैं और इसका हिस्सा बनते हैं जैसे कि ऐसे प्रावधान यहां पहले ही पूर्णतया निर्धारित किए जा चुके हों।

ञ रियायत करार के अनुच्छेद 18.13 (संप्रभु अन्मुक्ति) के प्रावधान इस करार पर लागू होंगे और ये यहां संदर्भ द्वारा समाविष्ट किए गए हैं और इसका हिस्सा बनते हैं जैसे कि ऐसे प्रावधान यहां पहले ही पूर्णतया निर्धारित किए जा चुके हों।

ट यह अनुबंध उस तारीख को किसी भी पक्ष द्वारा बिना किसी कार्यवाही के समाप्त हो जाएगा, जिस दिन प्रारंभिक चरण के संबंध में ऋणदाताओं पर कोई बकाया ऋण नहीं होगा।

ठ यह करार वित्तीय क्लोजर (जैसा कि वित्तीय करारों में परिभाषित है) की तारीख को लागू होगा, जैसा कि वित्तीय करारों में प्रावधान किया गया है।

भवदीय,  
बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

द्वारा \_\_\_\_\_

नाम:

शीर्षक:

भारत सरकार एतद्वारा आज दिन [ • ] दिनांक [ • ] को इस करार की पूर्ववर्ती शर्तों द्वारा बाधित होने को स्वीकृत करती है और इस पर सहमति देती है।

द्वारा \_\_\_\_\_

नाम:

शीर्षक:

इस तारीख को अभिस्वीकृत, स्वीकृत और सहमत इस करार को भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

[•], बंधक न्यासी के तौर पर

द्वारा \_\_\_\_\_

नाम:

शीर्षक:

## अनुसूची 6

### विनियमित प्रभार

इस अनुच्छेद के अनुच्छेद 10.2 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसरण में, बीआईएएल, इकाओ की नीतियों के अनुरूप दरों पर, एयरलाइन प्रचालकों, यात्रियों और अन्य प्रयोक्ताओं से, और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के विमानों के संबंध में, निम्नलिखित विनियामक प्रभार की उगाही और वसूली करने की पात्र होगी:

(i) अवतरण, आवास व्यवस्था और पार्किंग प्रभार (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय):

हवाईअड्डे के उद्घाटन के समय बीआईएएल द्वारा अपनाए जाने वाले प्रभार निम्न से अधिक होंगे:

क हवाईअड्डे के उद्घाटन की तारीख तक, जैसा कि नीचे निर्धारित किया गया है, मुद्रास्फीती सूचकांक के साथ विधिवत बढ़ने वाला 2001 से लागू एएआई टैरिफ या

ख एएआई के अन्य हवाईअड्डों पर उस समय प्रचलित टैरिफ

(ii) यात्री सेवा शुल्क (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय):

हवाईअड्डे के उद्घाटन के समय बीआईएएल द्वारा अपनाए जाने वाले प्रभार निम्न से अधिक होंगे:

क हवाईअड्डे के उद्घाटन की तारीख तक, जैसा कि नीचे निर्धारित किया गया है, मुद्रास्फीती सूचकांक के साथ विधिवत बढ़ने वाला 2001 से लागू एएआई टैरिफ या

ख एएआई के अन्य हवाईअड्डों पर उस समय प्रचलित यात्री सेवा शुल्क

बीआईएएल द्वारा आदेय यात्री सेवा शुल्क में, जैसा कि ऊपर दिया गया है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) पर सुरक्षा व्यय की लागत शामिल है। सीआईएसएफ पर सुरक्षा व्यय हेतु लागत के इस घटक को, जब कभी भारत सरकार द्वारा निदेश दिया जाएगा, बीआईएएल द्वारा अधिक करके संशोधित किया जाएगा।

(iii) प्रयोक्त विकास शुल्क (यूडीएफ) (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय):

बीआईएएल को हवाईअड्डे के उद्घाटन की तारीख से यूडीएफ की उगाही करने की अनुमति होगी, जिसमें, यात्री सुख-साधनों, सेवाओं और सुविधाओं के प्रावधान के लिए, प्रस्थान करनेवाले घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से, यहां इसके नीचे निर्धारित मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुरूप विधिवत वृद्धि की जाएगी और यूडीएफ का उपयोग हवाईअड्डे पर सुविधाओं के विकास, प्रबंधन, अनुरक्षण, प्रचालन और विस्तार के लिए किया जाएगा।

अनुसूची 6 में निर्धारित विनियमित प्रभार हवाईअड्डे पर सांकेतिक प्रभार होंगे। हवाईअड्डे के उद्घाटन से पूर्व, बीआईएएल विनियमित प्रभारों के लिए नागर विमानन मंत्रालय से अनुमोदन मांगेगी, जो अंतिम लेखा परीक्षित प्रत्याशित लागत पर आधारित होगा।

टिप्पणी: क प्रभारों की गणना निकतम मीट्रिक टन (अर्थात 1000 किग्रा) के आधार पर की जाएगी।

ख प्रति एकल अवतरण के लिए न्यूनतम शुल्क 1000.00 भारतीय रूपए होगा

ग 2301 बजे (भारतीय मानक समय) और 2400 बजे (भारतीय मानक समय) के बीच अंतरराष्ट्रीय अवतरण पर व्यस्ततम समय अधिभार 5% होगा।

घ यदि अमरीकी डॉलर दरें प्रभारित की जाती हैं तो परिवर्तन के लिए निम्नलिखित नियम लागू होगा, पहली पखवाड़े की बिलिंग अवधिके लिए महीने के पहले दिन अमरीकी डॉलर गुणा भारतीय रूपए की दरें और दूसरे पखवाड़े की बिलिंग अवधि के लिए महीने के 16वें दिन की दरें।

ङ सभी टैरिफ बीआईएएल के लिए निवल हैं। कोई भी कर, यदि लागू हो, जैसे सेवा कर, प्रस्तावित टैरिफ से ऊपर और अधिक होगा।

मुद्रास्फीति सूचकांक के लिए सूत्र:

मूल शुल्क (गुणा) मूल शुल्क (गुणा) डब्ल्यूपीआई (विभाजित) डब्ल्यूपीआई<sub>1</sub>  
जहां, डब्ल्यूपीआई 'सभी वस्तुओं' के लिए डब्ल्यूपीआई है  
डब्ल्यूपीआई = 31 मार्च, 2001 को डब्ल्यूपीआई

डब्ल्यूपीआई<sub>1</sub> = शुल्क संशोधन की तारीख से पहले वाले 31 मार्च को डब्ल्यूपीआई

संदेह से बचने के लिए, मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभारों और टर्मिनल दिक्चालन प्रभारों की उगाही और एकत्रण एएआई द्वारा किया जाएगा।

## अनुसूची 7

### निपटान राशि

यदि निपटान राशि देय हो जाती है तो, निपटान राशि से तात्पर्य है (i) सकल स्थिर परिसंपत्तियां (यथा सूचकांक) (ii) निवल चालू परिसंपत्तियां (iii) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य (iv) बीआईएएली की अमूर्त परिसंपत्तियां तथा (v) इस करार के अनुच्छेद-13.4 के अनुसरण में जारी संगत समापन नोटिस की तिथि को बीआईएएल की अंतिम तिमाही के तुलन पत्र में रिकार्ड किए अनुसार हवाईअड्डा प्रचालन तिथि से पूर्व बीआईएएल द्वारा किए गए पूर्व-प्रचालन लागतें और व्यय। संदेह से बचने के लिए, निपटान राशि में गैर-हवाईअड्डा गतिविधियों के प्रावधान से संबंधित किसी पूंजीगत निवेशों, राशियां या लागतों को शामिल नहीं किया गया है, जिनके संबंध में अनुच्छेद 7.2 के अनुसार भारत सरकार द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गई है और सरकार ने इन्हें अनुच्छेद 13.5.2 के प्रावधानों को अनुसार न लिए जाने का विकल्प चुना है।

## अनुसूची 8

### आरक्षित गतिविधियां

बीआईएएल द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाला स्थान

(i)	सीमाशुल्क	-	335 वर्ग मीटर
(ii)	अप्रवासन	-	270 वर्ग मीटर
(iii)	स्वास्थ्य	-	18 वर्ग मीटर
(iv)	सुरक्षा	-	144 मीटर वर्ग मीटर
(v)	मौसम विज्ञान	-	240 वर्ग मीटर

**नोट:** फ्लोर प्लान के अंतिम संशोधन के दौरान आंकड़े परिवर्तित हो सकते हैं।

**अनुसूची - 9**  
**भाग - 1 विशिष्टताएं**

**1.1.1 टर्मिनल भवन**

यात्री टर्मिनल भवन का कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 55850 वर्ग मीटर है। यात्रियों के लिए चैक-इन, बैगेज मेक-अप, बैगेज ब्रेक डाउन तथा बैगेज क्लेम भू तल पर किए जाने तथा पहले तल पर खुदरा, शॉपिंग सेन्टर, सुरक्षा जांच, पासपोर्ट नियंत्रण एवं होल्डिंग क्षेत्र के साथ टर्मिनल भवन का डिजायन दो तलीय आरसीसी फ्रेम संरचना से निर्मित है। सेवाओं की व्यवस्था भू तल के नीचे बेसमेंट में की गई है। टर्मिनल भवन की कुल लम्बाई 216 मीटर, मध्य भाग 144 मीटर तथा भू स्तर से कुल ऊंचाई 19.5 मीटर है। एच आकार के स्तम्भ 24मीटर x 24 मीटर के अंतर पर स्थित हैं। 19.5 मीटर की छत कंक्रीट से पूर्व निर्मित पूर्व स्ट्रैन्ड शैल का आधार है। भू स्थल का खंड और प्रथम तल का खंड क्रमशः 12 मीटर x 12 मीटर के खम्बों की ग्रिड पर स्थापित किया गया है।

सम्पूर्ण यात्री क्षेत्र के फर्श ग्रेनाइट से निर्मित किए गए हैं, जन के लिए उपयोग न किए जाने वाले क्षेत्र जैसे कि बैगेज मेक-अप तथा ब्रेक डाउन क्षेत्रों के फर्श कंक्रीट से निर्मित हैं जिनकी फिनिशिंग वैक्यूम डिवाटरिंग तकनीक से की गई है। सभी यात्री शौचालयों में विट्रिफाइड मैट फिनिशिड टॉयल्स एवं उनके अनुकूल सैरेमिक टॉयल्स डॉडो लगाई गई हैं। वीआईपी / सीआईपी / बिजनेस लाउंज के शौचालयों में बोर्डिंग ब्रिज फिंगर्स के लिए ग्रेनाइट फ्लोरिंग, रबड़ शीट फ्लोरिंग लगाई जाएगी।

टर्मिनल भवन का उत्तरी एवं दक्षिणी अग्रभाग में इसके अग्रभाग की पूरी लम्बाई एवं ऊंचाई का क्षेत्र डबल वॉल ग्लेज्ड एलीमेंट्स से युक्त होगा। पूर्वी एवं पश्चिमी अग्रभाग के लिए ग्लास ब्लॉक इनसर्ट्स के साथ प्रि-कास्ट रिइनफोर्सड कंक्रीट पैनल लगे होंगे। छत की स्काईलाइट्स अंदर की तरफ से डबल ग्लेज्ड यूनिट्स की तथा बाहरी भाग में ये सिंगल लेमिनेटिड ग्लास पैनलों से युक्त होंगी।

सभी बाहरी दीवार 200 एमएम घनी ब्लॉक वर्क की होंगी तथा सभी शौचालयों की अंदरूनी दीवारें 100 एमएम ब्लॉक वॉल की होंगी। कार्यालय क्षेत्र जैसे कि एयरलाइनें, सीमा शुल्क कार्यालय, स्टाफ कक्ष इत्यादि के लिए जिपसम बोर्ड से बने दीवार पार्टीशन लगाए जाएंगे। भूतल तथा प्रथम तल के सभी खम्बों पर आवरण चढ़ाए जाएंगे। बेसमेंट के खम्बों पर सेमबोर्ड पैनल से आवरण चढ़ाया जाएगा।

उपलब्ध करवाए जाने वाले टर्मिनल उपकरणों में निम्नलिखित शामिल होगा:-

- होल्ड बैगेज के लिए इन-लाइन एक्स-रे बैगेज स्कैनर
- एओडीबी/सीयूटीई/उड़ान सूचना सिस्टम
- सीसीटीवी / पीए सिस्टम
- फायर अलार्म तथा स्मोक डिटेक्शन
- बैगेज कन्वेयर्स
- एस्कलेटर्स, एलीवेटर्स एवं ऑटोमेटिक दरवाजे
- आप्रवास तथा सीमा शुल्क के लिए काउंटर
- यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था / पब्लिक फर्नीचर
- रेस्टोरेंट फर्नीचर
- साइन बोर्ड / पिक्टोग्राफ्स
- भवन प्रबंधन व्यवस्था
- बैगेज ट्रालियां
- चैक इन काउंटर
- यात्री बोर्डिंग ब्रिज
- भवन प्रबंधन व्यवस्था
- एचवीएसी

### 1.1.2 नियंत्रण टॉवर, तकनीकी ब्लॉक, प्रशासन, स्टाफ कैंटीन तथा सुरक्षा कार्यालय

भवन का कुल निर्मित क्षेत्र 5741 वर्गमीटर है। प्रशासन / तकनीकी / सुरक्षा ब्लॉक की संरचना में तीन तलीय आरसीसी स्तम्भ बीम फ्रेम होंगे। भवन की लम्बाई 72 मीटर तथा मध्य भाग 24 मीटर है। भू स्तर से भवन की कुल उंचाई 14.25 मीटर है। फ्लोर से फ्लोर तक स्पष्ट उंचाई 4.30 मीटर है। प्रथम तल स्लैब, द्वितीय तल स्लैब तथा रूफ स्लैब 8 मीटर x 8 मीटर के आरसीसी स्तम्भ के आधार से डिजायन ग्रिड फ्लोर सिस्टम से निर्मित किया गया है।

विमान यातायात नियंत्रण टॉवर की उंचाई 65 मीटर है तथा यह एक सिग्नेचर संरचना होगी। नियंत्रण टॉवर को 1.50 मीटर चौड़े एक्सेस ब्रिज के माध्यम से +4.3 मीटर पर तकनीकी ब्लॉक से कनेक्ट किया गया है। संरचना 10.5 मीटर x 5.10 मीटर की आरसीसी शाफ्ट से युक्त होगी, जिसके भीतरी भाग में सीढ़ियां एवं लिफ्ट है। टॉवर कैब हल्के वजन वाली स्टील ट्यूब्स से निर्मित है, जिसे पैनोरामा ग्लेजिंग से आच्छादित किया गया है। कैब का उंचाई में आयाम 8.30 मीटर तथा 4 मीटर है। कैब को +61.25 मीटर स्तर पर आरसीसी शाफ्ट का आधार प्रदान किया गया है।

#### फिनिशिंग विशिष्टताएं

- कार्यालय / स्टाफ डायनिंग स्थल पर विट्रिफाइड सेरेमिक टॉयल की फ्लोरिंग
- शौचालय तथा पेंटरी में विट्रिफाइड मैट टॉयल फ्लोरिंग
- किचन में कोटा स्टोन फ्लोरिंग
- सीढ़ियों में पॉलिशड कोटा स्टोन स्लैब्स
- कार्यालयों में एकोयटिक सस्पेंडिड सिलिंग
- केबिनो के लिए टीक वुड फ्लश पार्टली ग्लेज्ड / पार्टली पैनेल किए गए पार्टिशंस
- नियंत्रण टॉवर के केबिन के भीतर पीवीसी टॉयल फिनिश के साथ फॉल्स फ्लोरिंग
- भवन के बाहरी भाग को कर्टेन ग्लेजिंग, सैंड स्टोन जाली तथा मैट पेंट फिनिश किया गया है।

### 1.1.3 स्थल सहायता उपकरण भवन

स्थल सहायता उपकरण भवन मोनो स्टील रूफिंग सिस्टम तथा भवन के भीतर कार्यालय के लिए आरसीसी मेजेनाइन फ्लोर के साथ दो तलीय संरचना है। कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 2000 वर्गमीटर है। स्थल सहायता उपकरण भवन की लम्बाई 63.25 मीटर, मध्य भाग 26 मीटर तथा उंचाई 16.35 मीटर है। वर्कशाप क्षेत्र के लिए स्ट्रक्चरल स्टील रूफिंग सिस्टम उपयोग में लाया गया है जिसपर 9 मीटर के अंतराल में निर्मित आरसीसी खंबो के आधार पर रूफ ट्रस्सिस बने हैं।

#### फिनिशिंग विशिष्टताएं

- वर्कशाप के भीतर वैक्यूम डिवार्टड फ्लोरिंग
- कार्यालय एवं सीढ़ियों में कोटा स्टोन फ्लोरिंग
- कार्यालय में अल्युमिनियम ग्लेज्ड पार्टिशंस
- वर्कशाप के लिए कलर कोटिड जीआई स्टील रूफ
- शौचालयों में विट्रिफाइड मैट फिनिश वाली टॉयल्स
- बाह्य भाग को वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट तथा आंतरिक भाग ओबीडी पेंट से रंगा गया है।

### 1.1.4 अनुरक्षण भवन (मोटर वाहन, नागर एवं इलैक्ट्रिकल)

अनुरक्षण भवन में वाहन अनुरक्षण वर्कशाप, सिविल एवं इलैक्ट्रिकल कार्यालय तथा भंडारण यार्ड होगा। मैकेनिकल वर्कशाप का कुल निर्मित क्षेत्र 2190 वर्गमीटर है जिसमें कार्यालय तथा सेवा क्षेत्र का 270 वर्गमीटर का क्षेत्र शामिल है। अनुरक्षण वर्कशाप की लम्बाई 90 मीटर तथा मध्य भाग 24 मीटर है। भू

स्तर से वर्कशाप की कुल ऊंचाई 11.75 मीटर है। पार्किंग बे का आकार 60 मीटर x 9 मीटर रखा गया है। वर्कशाप के लिए 15 मीटर के स्पैनिक रूफ ट्रसिस्स के साथ स्ट्रक्चरल स्टील का रूफिंग सिस्टम बनाया गया है।

सिविल एवं इलैक्ट्रिकल भवन का कुल निर्मित क्षेत्र 321 वर्गमीटर है। एक एकल तलीय फ्रेम से युक्त संरचना है जिसमें सिविल एवं इलैक्ट्रिकल स्टाफ के लिए व्यवस्था की गई है। भंडार एवं विश्राम गृहों के लिए एनेक्सी में व्यवस्था की गई तथा इसका कुल निर्मित क्षेत्र 291 वर्गमीटर है। स्टाफ के लिए 8 वाहनों की पार्किंग के प्रावधान 107 वर्गमीटर के क्षेत्र में पार्किंग शेड के साथ किए गए हैं।

### **फिनिशिंग मदें**

- वर्कशाप के लिए वैक्यूम डिवाटर्ड फ्लोर
- भंडार / टूल ग्रिब क्षेत्र के लिए कोटा स्टोन फ्लोर
- कार्यालय / विश्राम कक्ष में विट्रिफाइड मैट फिनिश वाली टॉयल्स
- शौचालयों के फ्लोर / डाडो के लिए विट्रिफाइल सेरेमिक मैट फिनिशिड टॉयल
- बाह्य भाग को वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट तथा आंतरिक भाग ओबीडी पेंट से रंगा गया है।
- वर्कशाप के लिए कलर कोटिड जीआई स्टील रूफ
- कार्यालयों के लिए गिप बोर्ड के पार्टीशंस

### **1.1.5 फायर स्टेशन भवन**

फायर स्टेशन का डिजायन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के एयरोड्राम वर्ग 9 के अनुरूप सुरक्षा के स्तर प्रदान करने के लिए किया गया है। स्टेशन के डिजायन में पांच केश फायर टेडर्स तथा तीन एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। इसके डिजायन में 3 बिस्तरों से युक्त एक चिकित्सा कक्ष, फोम के भंडारण क्षेत्र, अग्नि शमन अधिकारियों के लिए कार्यालय, नियंत्रण कक्ष, अग्नि शमन कर्मियों के लिए विश्राम कक्ष, प्रशिक्षण कक्ष इत्यादि हैं। एप्लायंस बे सहित कुल निर्मित क्षेत्र 1457 वर्गमीटर है। फायर स्टेशन की लम्बाई 70.20 मीटर तथा मध्य भाग 14.53 मीटर है। भवन क्षेत्र की लम्बाई 19 मीटर, मध्य भाग 14.53 मीटर तथा भू स्तर से ऊंचाई 10.45 मीटर है। भवन के ऊपरी भाग में एक वॉच टॉवर बनाया गया है। प्रथम तल स्लैब तथा रूफ स्लैब को आरसीसी खंबों एवं बीम से आधार दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

फायर स्टेशन के लिए 100 000 लीटर का अंडर ग्राउंड स्टैटिक टैंक तथा 50 000 लीटर का ओवर हैड टैंक उपलब्ध करवाया गया है।

### **फिनिशिंग मदें**

- बे तथा भंडार के लिए वैक्यूम डिवाटर्ड फ्लोर
- शौचालयों के फ्लोर / डाडो के लिए विट्रिफाइल सेरेमिक मैट फिनिशिड टॉयल
- वॉच टावर के लिए पीवीसी टॉयल फाल्स फ्लोर
- कार्यालय / विश्राम कक्ष तथा अन्य क्षेत्रों के लिए कोटा स्टोन फ्लोर
- बाह्य भाग को वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट तथा आंतरिक भाग ओबीडी पेंट से रंगा गया है।

### 1.1.6 वातानुकूलन संयंत्र भवन

वातानुकूलन संयंत्र भवन का कुल निर्मित क्षेत्र 685 वर्गमीटर है। भवन की लम्बाई का माप 47.25 मीटर तथा मध्य भाग 14 मीटर जिसमें 6.75 मीटर के समान अंतर पर 7 बे निर्मित किए गए हैं। भू स्तर से भवन की कुल ऊंचाई 7.45 है तथा यह एक तलीय भवन है। छत के आधार के लिए आरसीसी स्तम्भ एवं बीम लगाए गए हैं। छत तक पहुंचने के लिए भवन के बाहर सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है।

#### फिनिशिंग विशिष्टताएं

- वैक्युम डिवाटर्ड फ्लोर
- बाह्य भाग को वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट तथा आंतरिक भाग ओबीडी पेंट से रंगा गया है।

### 1.1.7 सब स्टेशन भवन

हवाईअड्डे में इलैक्ट्रिकल एवं विमानन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए रणनीतिक स्थलों पर चार सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। मुख्य पावर स्टेशन का कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 699 वर्गमीटर है। भवन की लम्बाई का माप 45.25 मीटर तथा मध्य भाग 17.70 मीटर एवं ऊंचाई 7.90 मीटर है। पावर हाउस उत्तर का कुल निर्मित क्षेत्र 198 वर्गमीटर है तथा इसकी लम्बाई का माप 21 मीटर, मध्य भाग 9 मीटर तथा ऊंचाई 5.65 मीटर है। एयरफील्ड लाइटिंग के लिए दो काम्पेक्ट स्टेशनों में से प्रत्येक का निर्मित क्षेत्र 182 मीटर है।

#### फिनिशिंग मदें

- वैक्युम डिवाटर्ड फ्लोर
- बाह्य भाग को वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट तथा आंतरिक भाग ओबीडी पेंट से रंगा गया है।

### 1.1.8 वीवीआईपी ब्लॉक

वीवीआईपी ब्लॉक का कुल निर्मित क्षेत्र 282 वर्गमीटर है। भवन की लम्बाई 24 मीटर तथा मध्य भाग 10.50 मीटर है। यह ब्लॉक ग्रेनाइट फ्लोरिंग के साथ तैयार किया गया है। वीवीआईपी लाउंज का डिजायन मनोहर एवं आकर्षक भीतरी सज्जा से युक्त है। इसके उत्तरी एवं दक्षिणी अग्रभाग में डबल ग्लेज्ड कर्टन वॉल लगाई गई है। इसमें आलीशान विश्राम गृह एवं पूर्ण सुविधाओं से युक्त शौचालय बनाए गए हैं।

### 1.1.9 अन्य भवन

अन्य भवन में दो जन सुविधाएं, राडार टीएक्स भवन, पंप हाउस एवं सुरक्षा केबिन हैं। दो जन सुविधाओं का कुल क्षेत्रफल 326 वर्ग मीटर है। फर्श विर्टीफाइड मैट फिनिशड सेरेमिक टाइल्स एवं मैचिंग डैडो से बना है।

सुरक्षा केबिन 4.5 मीटर+4.5 मीटर वर्ग मीटर में बना है। इसमें संबद्ध शौचालय के साथ चेंज रूम है। चेंज रूम में कोटा स्टोन फ्लोरिंग है तथा शौचालय में विर्टीफाइड मैट है।

राडार टीएक्स भवन की लंबाई 15 मीटर, गहराई 6 मीटर तथा ऊंचाई 4.50 मीटर है। यह भवन इलेक्ट्रिकल उपकरणों की हाउसिंग के लिए फाल्स फ्लोर के साथ उपलब्ध कराए गए हैं।

पंप हाउस भूतल वाटर संप्स के ऊपर उपलब्ध कराए गए हैं। उपर्युक्त सभी संरचनाओं के लिए बाहरी दीवार की पुताई वाटर प्रूफ रंग से किया जाएगा एवं आंतरिक दीवारों का रंग ओबीडी होगा।

### 1.1.10 रनवे

रनवे को इस प्रकार निर्मित किया गया है ताकि वो बी747 विमान के लिए उपयुक्त हो। इकाओ एरोड्रोम का संदर्भ कोड 4ई है।

रनवे विनिर्देश की विशेषता इस प्रकार है:-

- रनवे की लंबाई - 4000मीटर
- रनवे की चौड़ाई - 45 मीटर
- रनवे की चौड़ाई प्लस लाइट पेव्ड शोल्डर्स - 60 मीटर
- फुटपाथ प्रकार - लचीला
- फुटपाथ वर्गीकरण संख्या - 80
- रनवे स्ट्रिप की चौड़ाई - 300 मीटर
- प्रत्येक दहलीज़ पर स्टॉप-वे - 60मीटर गुना 60 मीटर
- रनवे अभिविन्यास - 09/27
- उपयोगिता कारक - >95 प्रतिशत
- 09 अंक पर सर्किल को टर्न करना -

अधोमुखी और अनुप्रस्थ प्रोफाइल, स्लोप चेंजेज़, साइट डिस्टन्स, स्लोप चेंजेज़ के मध्य दूरी, साइनेज एवं सतह की सटीकता को इकाओ अनुबंध 14 में निर्धारित मानकों एवं अनुशंसित प्रक्रियाओं के अनुसार है। लचीले फुटपाथ की डिजाइन लाइफ 20 वर्ष है।

### 1.1.11 टैक्सी-वे

टैक्सीवे विनिर्देश की विशेषता इस प्रकार है:-

- चौड़ाई - 25 मीटर (कोड एफ)
- टैक्सीवे प्लस शोल्डर की चौड़ाई - 45 मीटर
- रनवे की सेंटर लाइन और टैक्सीवे के मध्य अलग से दूरी - 190 मीटर
- टैक्सीवे सेंटर लाइन से टैक्सीवे सेंटर लाइन - 97.50 मीटर
- फुटपाथ प्रकार - लचीला
- पीसीएन -80

अधोमुखी और अनुप्रस्थ प्रोफाइल, स्लोप चेंजेज़, साइट डिस्टन्स, स्लोप चेंजेज़ के मध्य दूरी, साइनेज एवं सतह की सटीकता को इकाओ अनुबंध 14 में निर्धारित मानकों एवं अनुशंसित प्रक्रियाओं के अनुसार है। लचीले फुटपाथ की डिजाइन लाइफ 20 वर्ष है।

### 1.1.12 ऐप्रन

ठोस ऐप्रन का क्षेत्रफल 611 मी. गुना 181 वर्ग मीटर है। यह ऐप्रन 13 कोड सी विमान अथवा 7 कोड डी/ई विमान को समायोजित कर सकता है। आइसोलेशन बे बी-747 के लिए डिजाइन किया जाएगा और प्रथम चरण में निर्माण किया जाएगा। फुटपाथ का प्रकार अनम्य है। पीसीएन 80 मीटर है तथा इसकी डिजाइन लाइफ 30 वर्ष है। ऐप्रन सेवा रोड की चौड़ाई 10 मीटर होगी।

अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ प्रोफाइल, स्लोप चेंजेज़, साइट डिस्टन्स, स्लोप चेंजेज़ के मध्य दूरी, साइनेज एवं सतह की सटीकता को इकाओ अनुबंध 14 में निर्धारित मानकों एवं अनुशंसित प्रक्रियाओं के अनुसार है।

### 1.1.13 एयरसाइड सर्विस रोड

ऐप्रन क्षेत्र के बाहर एयरसाइड सर्विस रोड की चौड़ाई 7 मीटर होगी एवं 1.5 मीटर चौड़ा बजरी शॉल्डर है। टर्मिनल, अग्निशमन स्टेशन, जीएसई, कार्गो एवं ईंधन फार्म को जोड़ने के लिए दो लाइन डमरी फूटपाथ उपलब्ध कराए जाएंगे। आपातकालीन सड़क जो अग्निशमन स्टेशन से रनवे को जोड़ती है, वह 7.0 मीटर की चौड़ाई के साथ बनाई जाएगी।

हवाईअड्डा सुरक्षा दीवार एवं अन्य एयरसाइड निरीक्षण सड़कों के साथ हवाईअड्डा उपलब्ध कराई गई हवाईअड्डा परिमाण सड़क 3.50 मीटर की ऊपरी चौड़ाई के साथ दानेदार फूटपाथ होगा।

### 1.1.14 मुख्य प्रवेश, द्वितीय प्रवेश सड़क और कार पार्क

मुख्य प्रवेश सड़क का निर्माण चार लेन वाहकों के रूप में किया जाएगा जिसमें बजरी का चूरा सहित सभी दिशा में दो लेन होंगे। लचीला फूटपाथ का निर्माण संभावित ट्रैफिक और मानक एक्सेल के संदर्भ में लोडिंग के लिए किया जाएगा। द्वितीय सड़क की चौड़ाई प्रथम चरण में शोल्डर सहित 10 मीटर होगी।

मुख्य प्रवेश सड़क मुख्यतयः यात्री टर्मिनल को सर्व करेगा और यह अन्य हवाईअड्डा सहायता सुविधाओं को जोड़ेगा। मुख्य जंक्शन पर गोल चक्कर प्रस्तावित हैं।

द्वितीय प्रवेश सड़क का निर्माण लचीले फूटपाथ के साथ और संभावित ट्रैफिक के लिए किया जाएगा। द्वितीय प्रवेश सड़क की चौड़ाई कुल 10 मीटर होगी।

आरंभिक चरण में, भू स्तर पर टर्मिनल भवन के सामने कर पार्क योजनाबद्ध है। यह गंतव्य यात्रियों और हवाईअड्डा पर आने वाले आगंतुकों के लिए सुविधाजनक होगा। पिक अप और ड्रॉप के लिए एक अलग क्षेत्र निर्धारित है। निजी कारों, टैक्सीज, स्टाफ कार, स्टाफ वाहनों, वीआईपी कारों एवं वीवीआईपी कारों के लिए पार्किंग उपलब्ध कराए गए हैं।

### 1.1.15 एयरफील्ड लाइटिंग

पूर्णतः प्रचालनिक एयरफील्ड लाइटिंग उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा:

- रनवे दिशा 09 एवं 27 के लिए उच्च तीव्रता सीएटी 1 ऐप्रोच लाइटिंग प्रणाली (900मीटर) स्थापित की जाएगी।
- सभी ऐप्रोच दिशा 09 एवं 27 दोनों के लिए सटीक ऐप्रोच पाथ इंडिकेटर प्रणाली (पीएटीआई) स्थापित किया जाएगा।
- रनवे लाइटिंग प्रणाली में निम्नलिखित अलग लाइटिंग होंगी:
  - रनवे द्वार प्रकाश
  - रनवे किनारे और उसके अंत में प्रकाश
- टैक्सीवे किनारे की मार्किंग के लिए, उन्नत ओमनी दिशात्मक प्रकाश की भी व्यवस्था की जाएगी
- प्रबुद्ध साइन की भी व्यवस्था की जाएगी
- नियंत्रण और निगरानी प्रणाली
- रिमोट नियंत्रण और निगरानी
- एयरफील्ड प्रकाश नियंत्रण कार्य स्टेशन
- दोनों अवतरण दिशा के लिए विशुद्ध हवा की दिशा सूचक भी लगाए जाएंगे
- एरोड्रोम रोटेटिंग बीकन
- ऐप्रन फ्लड लाइट

यह प्रणाली संगत इकाओं नियमावली, मानकों एवं सिफारिशों के अनुसरण में उपलब्ध कराई जाएगी।

### 1.1.16 आंतरिक एवं बाह्य प्रकाश

निम्नलिखित भवन/क्षेत्रों के लिए आंतरिक एवं बाह्य प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी:

- टर्मिनल भवन
- ऐडमिन/टेक्निकल/सुरक्षा एवं एटीसी
- अनुरक्षण भवन
- भू सहायता उपकरण भवन एवं अन्य भवन
- अग्निशमन स्टेशन
- स्ट्रीट लाइटिंग
- कार पार्क लाइटिंग

कंप्यूटर, वाटर कूलरों, कॉफी मशीनों, विज्ञापन मॉड्यूलों, हैंड ड्रायर, सीसीटीवी/टीवी, पिक्टोग्राफ़स के लिए पर्याप्त संख्या में पावर सॉकेट स्थापित किए जाएंगे।

प्रस्थान एवं आगमन क्षेत्र में कन्वेयर बेल्ट के लिए ऊर्जा जरूरतें शामिल की गई हैं। इस्कलेशन, लिफ्ट्स, ऑटोमेटिक दरवाजे एवं एचवीएसी के लिए ऊर्जा की जरूरतें शामिल हैं।

अर्थिंग प्रणाली शामिल है।

सभी भवनों के लिए लाइटिंग प्रोटेक्शन शामिल हैं।

### 1.1.17 बिजली वितरण

हवाईअड्डों के लिए बिजली की आपूर्ति 66केवी स्तर पर बीईएससीओएम/केपीटीसीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य बिजली स्टेशन 66केवी से 11केवी स्टेपिंग डाउन के लिए 2 16एमवीए ट्रांसफॉर्मर्स के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। इन बिजली ट्रांसफॉर्मरों से हवाईअड्डे की मुख्य बिजली प्रणाली 11केवी स्तर पर आपूर्ति की जाएगी। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा प्रणाली में ट्रांसफॉर्मर स्टेशन, वितरण नेटवर्क एवं आपात बिजली आपूर्ति शामिल हैं। वितरण नेटवर्क रिंग मेंस के साथ योजनाबद्ध की जाएगी, ताकि बिजली आपूर्ति दो अलग स्रोतों से सदैव ही संभव हो सके। एक सहायक बिजली उत्पादक (लगभग 6 एमवीए) उत्तरी पावर स्टेशन में स्थापित किया गया है जो बिजली आपूर्ति में अवरोध की स्थिति में हवाईअड्डे के अत्यावश्यक उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करेगा।

### 1.1.18 केबल सिस्टम

- संबंधित भवनों में सामान्य और आकस्मिक बिजली आपूर्ति प्रदान की जाएगी। केबल, पीवीसी विद्युत रोधित/इन्सुलेटेड एल्युमिनियम/ कॉपर, कवच वाले/ बिना कवच के होंगे। केबल, पैनल/ उपकरण की स्थिति के आधार पर ऊपरी केबल ट्रे/ केबल के वाहिक के जरिये बाहर निकाले जाएंगे।
- हीटिंग वेंटिलेशन और एअर कंडीशनिंग सिस्टम के विद्युतीय वितरण पर एचवीएसी सिस्टम में विचार किया जाता है।
- केन्द्रीकृत बैटरी और बैटरी चार्जर सिस्टम से संबंधित भवनों को कंट्रोल सप्लाई फीडर प्रदान किया जाता है।

### 1.1.19 आंतरिक लाइटिंग सिस्टम

सुविचारित डिज़ाइन लक्स स्तर का निम्नानुसार है:

- चेक-इन - 450 लक्स
- कार्यालयी क्षेत्र - 300 लक्स
- तकनीकी क्षेत्र - 300 लक्स
- बैगेज क्लेम - 300 लक्स
- प्रस्थान/आगमन क्षेत्र - 300 लक्स
- शॉपिंग एरिया - 300 लक्स

### 1.1.20 बाहरी क्षेत्र में लाइटिंग

मुख्य प्रवेश मार्ग, दूसरे प्रवेश मार्ग और भवन तक पहुँच के अन्य प्रवेश मार्गों पर निम्नलिखित के अनुसार लाइटिंग प्रदान की जाएगी:

- मुख्य प्रवेश मार्ग - 20 लक्स
- दूसरा प्रवेश मार्ग - 14 लक्स
- भवन तक पहुँच - 14 लक्स
- फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की जगमगाहट के साथ पार्किंग क्षेत्रों को लाइटिंग प्रदान की जाएगी - 14 लक्स

### 1.1.21 प्रस्तावित सिस्टम

आग से संरक्षण हेतु निम्नलिखित सिस्टम प्रदान किए जाएंगे:

- हायड्रेंट सिस्टम
- स्प्रिंकलर सिस्टम
- फ़ायर अलार्म सिस्टम
- सुवाह्य अग्नि शामक

### 1.1.22 एअर कन्डीशनिंग और वेंटीलेशन सिस्टम

निम्नलिखित भवनों के लिए एअर कन्डीशनिंग सिस्टम प्रदान किए जाएंगे। निम्नलिखित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल एअर कन्डीशनिंग सिस्टम प्रदान किए जाएंगे।

- यात्री टर्मिनल भवन
- प्रशासनिक ब्लॉक
- तकनीकी भवन
- एटीसी टावर
- शौचालयों के लिए वेंटीलेशन सिस्टम।

### 1.1.23 पेयजल, राँ वॉटर और सीवेज नेटवर्क

#### पेयजल व्यवस्था

बीडब्ल्यूएसएसबी द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला पेयजल यूजी सॉम्प्स में संग्रहित किया जाएगा और नल के ज़रिये बाहर निकाला जाएगा। दो दिन की माँग के अनुसार पेयजल की संग्रहण क्षमता प्रदान की जाएगी। यूजी सॉम्प्स की क्षमता 6000 घन मीटर होगी। यूजी सॉम्प्स से पानी नीचे निर्दिष्ट विविध भवनों तक एक हाइड्रो-न्यूमैटिक सिस्टम के ज़रिये पहुंचाया जाएगा।

- टर्मिनल भवन
- प्रशासनिक भवन
- फ़ायर स्टेशन भवन
- हवाई यातायात नियंत्रण कॉम्प्लेक्स
- हवाईअड्डा अनुरक्षण भवन
- ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट भवन
- सुरक्षा कार्यालय/ पुलिस स्टेशन / स्टाफ कैंटीन

हाइड्रो-न्यूमैटिक पंपिंग सिस्टम में पेयजल का अंतरण करने के लिए पम्प, एअर कंप्रेसर और आवश्यक पाइपिंग के साथ एअर वेसल, उपकरण के नियंत्रक यथा लेवल कंट्रोलर, लेवल प्रोब इत्यादि शामिल होने चाहिए। हाइड्रो-न्यूमैटिक सिस्टम में 50 प्रतिशत की अतिरिक्त क्षमता होनी चाहिए।

### 1.1.24 राँ वॉटर

बीडब्ल्यूएसएसबी हवाईअड्डा बैटरी लिमिट तक अशोधित अपरिष्कृत पानी प्रदान करेगा। एक दिन की माँग के अनुसार अपरिष्कृत पानी का संग्रहण प्रदान किया जाएगा। सॉम्प की क्षमता 1800 घन मीटर होगी। अशोधित पानी यूजी सॉम्प्स में संग्रहित करके नल के ज़रिये उपलब्ध कराया जाएगा। हाइड्रो-न्यूमैटिक पंपिंग सिस्टम के ज़रिये यह पानी पम्प किया जाएगा और फर्श/उपकरणों की धुलाई और बागबानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हवाईअड्डा परिसर में एचडीपीई पाइपों के ज़रिये वितरित किया जाएगा।

### 1.1.25 सीवेज नेटवर्क

सम्पूर्ण हवाईअड्डा परिसर के लिए गंदे पानी के नेटवर्क में अपेक्षित संख्या में मैन होल और निरीक्षण कक्ष के साथ उपयुक्त व्यास के कास्ट आइरन के पाइप लगाए गए हैं, जो ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं। नेटवर्क के ज़रिये इस प्रकार एकत्रित गंदे पानी को, गंदे पानी के उपचार संयंत्र में परिष्कृत किया जाएगा और उपनियमों के अनुसार निपटाया जाएगा।

### 1.1.26 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (1500 घन मीटर/प्रतिदिन)

हवाईअड्डा सुविधाओं के कारण उत्पन्न अपशिष्ट जल के उपचार के लिए ट्रीटमेंट प्लांट प्रदान किया जाएगा। एसटीपी प्रतिदिन 1500 एम<sup>3</sup> सीवेज ट्रीट का उपचार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रक्रिया की योजना 24 घंटों के प्रचालनिक चक्र के साथ एक्स्टेंडेड एयरेशन प्रोसेस है।

### 1.1.27 तूफान के पानी का निपटान

कठोर भूमि क्षेत्र यथा टैक्सी-वे और रनवे के बीच तूफान आने के परिणामस्वरूप जमा पानी खुली चालू नालियों (मुख्य पट्टी के बाहर निर्मित) और भूमिगत पाइपों तथा पुलिया में जाएगा। मोल्ड्स की भूमि का ऊपरी भाग डिज़ाइन किए गए ढलान के अनुसार वर्गीकृत किया गया है और टैक्सी वे तथा रोड क्रॉसिंग्स के नीचे पुलिया के ज़रिये दोनों को जोड़ा गया है, ताकि तूफान से आया पानी बहकर सिल्टिंग बेसिन में चला जाए। पक्के क्षेत्रों में ऊपरी भाग की ढलान को तिर्यक डिज़ाइन दिया गया है, जिससे तूफान के कारण आया पानी पर्याप्त रूप से बहकर निकाल जाए। पानी एकत्रित करने के लिए खुली नालियाँ, पतली खाड़ियाँ और पाईप पुलिया बनाई जाएंगी और हवाईअड्डा तूफानी-पानी जल निकासी प्रणाली में निर्वहन हेतु आपस में जोड़ी जाएंगी।

## भाग 2 - मानक

### आयटा वैश्विक हवाईअड्डा मॉनीटरिंग मानक

निम्नलिखित मानदंडों को अनुच्छेद-9 के अनुसार वार्षिक आधार पर मापा जाएगा। सर्वेक्षण को आयटा ग्लोबल एयरपोर्ट मॉनिटर स्कोरिंग तंत्र के आधार पर अंक दिए जाएंगे (अर्थात एक से पांच के पैमाने पर, जहां एक बहुत खराब है और पांच उत्कृष्ट है):

- (i) अपना मार्ग खोजने में सुगमता;
- (ii) उड़ान सूचना स्क्रीन;
- (iii) समान महाद्वीप में सम्पर्कता की उपलब्धता;
- (iv) दूसरे महाद्वीप में सम्पर्कता की उपलब्धता;
- (v) सम्पर्कता बनाने में सुगमता;
- (vi) सामान गाड़ियों की उपलब्धता;
- (vii) हवाईअड्ड कर्मचारियों की विनम्रता;
- (viii) रेस्तरां और खान-पान की सुविधाएं;
- (ix) खरीदारी की सुविधा
- (X) वॉशरूम;
- (xi) पासपोर्ट निरीक्षण;
- (xii) सीमाशुल्क निरीक्षण;
- (xiii) प्रतीक्षा क्षेत्र/लाउंज;
- (xiv) सामान सुपुर्दगी सेवा;
- (xv) शहर से / तक ग्राउंड परिवहन;
- (xvi) पार्किंग सुविधाएं;
- (xvii) सुरक्षा की भावना; तथा
- (xviii) हवाईअड्डे का परिवेश।

**अनुसूची- 10**  
**समापन प्रमाणपत्र**

हम सचिव नागर विमानन, भारत सरकार के माध्यम से कार्यकारी भारत के राष्ट्रपति महोदय तथा बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ("रियायत करार") के बीच दिनांक [ ] के रियायत करार का संदर्भ लेते हैं। रियायत करार में परिभाषित सभी शब्दों का यहां समान अर्थ होगा।

हमें ऋणदाताओं द्वारा स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। हम एतद्वारा रियायत करार के खंड 7.3 की अपेक्षाओं के अनुसार इस समापन प्रमाणपत्र को एतद्वारा जारी करते हैं और पुष्टि करते हैं कि यह हवाईअड्डा दिनांक ..... के रियायत करार की अनुसूची-9 के भाग-1 में निर्धारित विशिष्टताओं का अनुपालन करता है।

दिनांक.....

## अनुसूची 11

### बीमा

- (क) निर्माण चरण: बीआईएएल तथा/या -ईपीसी ठेकेदार सिविल कार्यो तथा उपकरणों (ठेकेदार सर्व जोखिम पॉलिसी, निर्माण सर्व जोखिम पॉलिसी, जलीय कार्गो पॉलिसी), को हानि या क्षति को शामिल करने के लिए उपयुक्त बीमा तीसरा पक्ष देयता तथा कामगार क्षतिपूर्ति पॉलिसी।
- (ख) प्रचालन चरण: बीआईएएल अपनी परिसंपत्तियों को हानि या क्षति, तीसरा पक्ष देयता और कामगार क्षतिपूर्ति पॉलिसी को शामिल करने के लिए उपयुक्त बीमा पॉलिसी लेगा।

## अनुसूची 12

### कर लाभ

#### (क) कुल आय से कटौती:

अवसंरचना सुविधा यथा बायल के लिए हवाईअड्डा उपलब्ध है, के विकास के व्यवसाय से मुनाफों एवं लाभ के संबंध में कर छूट हेतु आयकर अधिनियम 1961 के खंड 80आईए के अंतर्गत लाभ। इस संबंध में लाभ इस प्रकार से उपलब्ध होगा ताकि बायल द्वारा अवसंरचना सुविधाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्य के आरंभ करने के वर्ष से 15 वर्षों में से किन्हीं 10 क्रमागत आकलन वर्षों के लिए ऐसे व्यवसाय से प्राप्त मुनाफों और लाभों के 100 प्रतिशत कटौती की जा सके।

बायल को आकलन वर्ष (2003-04 से 2005-06)(संदर्भ: अधिसूचना सं. 171/2003 दिनांक 14.7.2003) के लिए आईसी अधिनियम के अनुच्छेद 10 (23जी) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा उपक्रम के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह माना गया है कि बायल आकलन वर्ष 2005-06 के पश्चात इस लाभ के लिए अधिसूचित बना रहेगा।

#### (ख) आय में छूट जो कुल आय का भाग नहीं है:

1. जर्मनी और स्विट्जरलैंड को तकनीकी शुल्कों के भुगतान के लिए कर की कटौती संबंधित राष्ट्रों के साथ भारत के दोहरे कर वंचन करारों के अनुसार जारी रहेगी।
2. विदेशी प्रमोटरों को विकास लागतों/पूर्व-एसएचए लागतों की धनवापसी पर कोई कर कटौती नहीं होगी।
3. विदेशी प्रमोटरों और ओएमएसए के अंतर्गत किए गए भुगतानों की प्रतिपूर्तियों पर विप्रेषण पर कोई आर एंड डी उपकर देय नहीं होगा।